Wednesday, 19 March, 1969

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

4th
LOK SABHA DEBATES

Preservation Unit
Fumigated On
Parliament Library

[सातवां सत्र
Seventh Session]

[खंड 26 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. XXVI contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 22, बुधवार, 19 मार्च, 1969/28 फाल्गुन, 1890 (शक)

No. 22, Wednesday, March 19, 1969/Phalguna 28, 1890 (Saka)

विषय	SUBJECT		पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS			
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
571. फ्रांस द्वारा हिन्द महासागर में घुसने का प्रयत्न	French Attempt to Break into Indian Ocean	..	1—8
572. हाकियों का निर्यात	Export of Hockey Sticks	..	8—9
573. मारिशस में भारतीयों के उद्योग	Industries in Mauritius by Indians	..	9—13
574. फिल्मों के निर्यात से प्राप्त आय	Earnings from Export of Films	..	13—14
577. नागालैंड में नागाओं के अतिरिक्त अन्य भारतीयों पर प्रतिबन्ध	Restrictions on Indian Citizens other than Nagas in Nagaland	..	18—19
592. श्रीलंका को चलचित्रों का निर्यात	Expo.t of Films to Ceylon	..	14—17

विषय	SUBJECT		पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS			
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
575. भारत में चीनी दूतावास के कर्मचारियों के गतिविधियों पर प्रतिबन्ध	Restrictions on the Movement of Chinese Embassy Staff in India	..	20
576. जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य मे उर्वरकों और ट्रैक्टरों का आयात	Import of Fertilizers and Tractors from German Democratic Republic	..	20—21

* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

ता० प्र० संख्या

S. Q. Nos.

578. रूस तथा अन्य पूर्वी यूरोपीय देशों से लिए गये तथा उन देशों को दिये गये ऋणों का अवमूल्यन के बाद पुन: निर्धारण	Revaluation of Loans from and to USSR and other East European countries after Devaluation ..	21
579. विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों में वाणिज्यिक सहचारी	Commercial Attaches in Indian Missions Abroad ..	21—22
580. अमेरिका से रूई का आयात	Import of Cotton from USA ..	22—23
581. रूस को रेल डिब्बों का निर्यात	Export of Rail Wagons to USSR ..	23
582. राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात के लिये दिये गये टेण्डर	Tenders for Exports submitted by State Trading Corporation ..	23—24
583. उत्तर कोरिया को मैंगनीज अयस्क का निर्यात	Export of Manganese Ore to North Korea..	24—25
584. रेयन के धागे का आयात	Import of Rayon Yarn ..	25
585. खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा दिया गया विलम्ब शुल्क	Demurrage paid by MMTC ..	25—26
586. टर्नकी परियोजनाएं	Turn Key Projects ..	26
587. फलों का निर्यात	Export of Fruits ..	27
588. प्रतिरक्षा उत्पादन विभाग के लिये विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange for Department of Defence Production ..	27
589. हिंडन हवाई अड्डे के लिये अर्जित भूमि का मुआवजा	Compensation for land acquired for Hindon Airport ..	28
590. पाकिस्तान के लिए रूसी हथियार	Russian Arms for Pakistan ..	28
591. तिब्बत में महात्मा बुद्ध की प्रतिमा का हटाया जाना	Removal of Buddha Statues in Tibet ..	28—29
593. जवानों के मांस के राशन में कटौती को बहाल करना	Restoration of cut in Meat Ration to Jawans ..	29
594. जवानों से विभिन्न कार्य करवाना	Assignment of Miscellaneous jobs to Jawans ..	29—30
595. ब्रिटेन के सहयोग से सुपर-सोनिक विमान का निर्माण	Manufacture of Supersonic Aircraft with British Collaboration ..	30
596. विद्रोही नागाओं के पास चीनी हथियार	Chinese Arms with Naga Hostiles ..	30—31

विषय	SUBJECT		पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या			
S. Q. Nos.			
597. आयुध कारखाने में स्कूटरों का निर्माण	Manufacture of Scooters in Ordnance Factory	..	31
598. नेपाल के लिये निर्बाध पत्तन सुविधाएं	Free port Facilities to Nepal	..	31
599. वायु सेना के विमान चालक	Air Force Pilots	..	32
600. विदेशों में भारतीय दूतावासों में सांस्कृतिक सहचारी राजदूत "अटैशे"	Cultural Attaches in Indian Embassies Abroad	..	33
अता० प्र० संख्या			
U. S. Q. Nos.			
3582. नेपाल के अंग दोरजी लामा का निरोध	Detention of Ang Dorji Lama of Nepal	..	33—34
3583. एच. जे. ई. 2500 जेट विमान इंजिन	HJE 2500 Jet Engines	..	34
3584. मध्य प्रदेश में शक्ति चालित करघे	Powerlooms in Madhya Pradesh	..	34
3585. निर्यात/आयात लाइसेंसों सम्बन्धी शर्तों का उल्लंघन	Violation of Regulations of Export/ Import Licences	..	35
3588. राज्य व्यापार निगम द्वारा लिया जाने वाला सेवा शुल्क	Service charges charged by State Trading Corporation	..	35—36
3589. गार्डन रीच वर्कशाप, कलकत्ता तथा गोआ नौसेना के अड्डे पर परामर्शदातृ कार्य	Consultancy work in Garden Reach Workshop, Calcutta and Goa Naval Base	..	36
3590. डिब्बा बन्द तैयार खाद्य पदार्थों का निर्यात	Export of processed Food	..	36—37
3591. भारत नेपाल तकनीकी परिषद्	Indo Nepal Technical Council	..	37—38
3592. वर्ष 1969-70 में भारत का निर्यात	India's Exports during the year 1969-70	..	38
3593. भारतीय राज्य व्यापार	State Trading Corporation of India	..	38—39
3594. अति महीन सूती कपड़ा मिलें	Superfiine Cotton Textile Units	..	39—40

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

अता० प्र० संख्या	विषय	SUBJECT		पृष्ठ/PAGES
3595.	अहमदाबाद में कपड़ा मिलों का बन्द होना	Closure of Textile Mills in Ahmedabad	..	40—41
3596.	सोमालिया के साथ व्यापार	Trade with Somalia	..	41
3597.	मेवों के आयात के लिए लाइसेंस	Licences for Import of Dry Fruits	..	42
3598.	रेल डिब्बों आदि (रोलिंग स्टाक) का निर्यात	Export of Rolling Stock	..	42—43
3599.	व्यापार बोर्ड की बैठक	Meeting of Board of Trade	..	43
3600.	भारतीय वैदेशिक व्यापार परिषद् द्वारा भेजे गये प्रतिनिधिमण्डल की यात्रा	Visit by the Delegation sponsored by the Indian Council of Foreign Trade	..	43—44
3601.	महुआ (गुजरात राज्य) स्थित कपड़ा मिल	Textile Mill, Mahuva (Gujarat State)	..	44
3602.	रूस का दक्षिण पूर्व एशिया का शान्ति प्रस्ताव	Soviet South East Asia Peace Move	..	44
3603.	उत्तर प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों को भूमि का आवंटन	Allotment of Land to Ex-servicemen in U. P.	..	45
3604.	दक्षिण पूर्व एशिया में मिशनों के अध्यक्षों की बैठक	Meeting of Heads of Missions in SE Asia	..	45
3605.	रक्षा प्रदर्शनी	Defence Exhibition		46
3606.	नई दिल्ली में फलस्तीन मुक्ति मोर्चे का कार्यालय	Palestine liberation Front Office in New Delhi	..	46—47
3607.	योजना आयोग का विकेन्द्रीकरण	Decentralisation of Plannin g Commission	..	47
3608.	मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा निकाले गये प्रकाशन	Publications Brought out by Cabinet Secretariat	..	47—48
3609.	नागा विद्रोहियों द्वारा आत्मसमर्पण	Surrender by Naga Hostiles	..	48
3610.	पाकिस्तान के लिए रूसी टैंक	Russian Tanks for Pakistan	..	48—49
3611.	मंत्रालय के हिन्दी प्रकाशन	Publications of the Ministry in Hindi		49
3612.	आर्याना अफगान विमान सेवा के विमान की दुर्घटना	Ariana Afghan Airways Crash	..	49—50

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3613. मिग विमानों की मरम्मत	Repairs of MIG Planes ..	50
3614. प्रतिरक्षा संस्थानों को 19 सितम्बर, 1968 की सांकेतिक हड़ताल के परिणामस्वरूप हुई हानि	Loss in Defence Establishments due to 19th Sept., 1968 token strike ..	51
3615. प्रागा टूल्स लिमिटेड	Praga Tools Ltd.	51—53
3616. श्रीलंका में भारतीयों के लिए अलग रजिस्टर	Separate Register for Indians in Ceylon ..	53—54
3617. सेवा निवृत्त कमीशन प्राप्त अधिकारियों की पेंशन में कटौती	Reduction in Pension of Retired Commissioned Officers ..	54
3618. उत्तर प्रदेश में भूमि का अधिग्रहण	Acquisition of Land in U. P. ..	54—55
3619. फास्ट ब्रीडर एटामिक रिएक्टर	Fast Breeder Atomic Reactor ..	55
3620. ट्रैवल एजेंसियों द्वारा पारपत्र प्राप्त करना	Obtaining of Passports by Travel Agencies ..	55—56
3621. सैनिक स्कूल	Sainik Schools	56
3622. किसी प्रदेश को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने के मानदण्ड	Criteria for Determining Backwardness of any Region ..	56
3623. भारत ब्रिटेन सम्बन्ध	Indo-British Ties ..	57
3624. पूर्वी पाकिस्तान में कांग्रेस भवनों को शत्रु की सम्पत्ति घोषित करना	Declaration of Congress Bhavans in East Pakistan as Enemy Property ..	57
3625. प्रधान मंत्री के साथ बातचीत करने के लिये नागालैण्ड के बैपटिस्ट चर्च की समिति	Committee of Baptist Church of Nagaland for talks with P. M. ..	57—58
3626. तीनों पंचवर्षीय योजनाओं में सामाजिक सेवाओं पर किया गया खर्च	Expenditure on Social Services in 3 Five Year Plans ..	58—59
3627. उत्तर प्रदेश में अणुशक्ति केन्द्र	Atomic Power Station in U. P.	59
3628. सीमान्त पड़ताल चौकियां	Border Check Posts	59

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

3629. भारत पाक संघर्ष के दौरान पाकिस्तान द्वारा पकड़े गये भारतीय जहाजों का लौटाया जाना	Release of Indian Ships seized by Pakistan during Indo Pak conflict ..	59—60
3630. पूर्व पाकिस्तान में अल्पसंख्यक	Minorities in East Pakistan ..	60
3631. कमीशन प्राप्त अधिकारियों द्वारा निजी व्यापार किया जाना	Private Business carried on by Commissioned Officers ..	60—61
3632. पूर्व पाकिस्तान में हिन्दुओं का धर्म परिवर्तन	Conversion of Hindus in E. Pakistan ..	61
3633. प्रतिरक्षा की तैयारी	Defence Preparedness	62
3634. डान मिल्स लिमिटेड, बम्बई	Dawn Mills Limited, Bombay	62
3635. अहमदाबाद एडवांस मिल्स लिमिटेड, बम्बई	Ahmedabad Advance Mills Ltd., Bombay..	63
3636. विद्रोही नागाओं के पास चीन में बने हथियार	Chinese made Weapons with Naga Hostiles ..	63—64
3637. समुद्र पर क्षेत्राधिकार	Jurisdiction of Sea Bed ..	64
3638. खाद्य पदार्थों का परिरक्षण	Food preservation	64—65
3639. श्रवण सहायक यंत्र	Hearing Aids ..	65
3640. कर्णधार समिति का प्रतिवेदन	Steering Committee Report ..	65—66
3641. रत्नों और आभूषणों का निर्यात	Export of Gems and Jewellery	66—67
3642. परमाणु छत्री	Nuclear Umbrella	67
3643. एल्युमीनियम के निर्यात पर प्रतिबन्ध	Ban on Exports of Aluminium ..	67—68
3644. डिब्बा बन्द खाद्य पदार्थ	Processed Food ..	68
3645. मिग विमान	Mig Aircraft	69
3646. इण्डो चाइना आयोग की समस्याओं के बारे में पूछताछ करने के लिये उच्च शक्ति प्राप्त निकाय का सैगोन का दौरा	Visit by High Power Body to Saigon to Enquire into Indo-China Commission's problems ..	69—70

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3647. जाली आयात लाइसेंसों का प्रयोग	Use of Forged Import Licences ..	70
3648. कांडला में उद्योगों की स्थापना	Establishment of Industries in Kandla ..	70—71
3649. राज्य व्यापार निगम द्वारा औद्योगिक कच्चे माल का आयात	Import of Industrial raw materials by STC ..	71
3650. परमाणु शक्ति का शान्ति के लिये उपयोग करने के बारे में भारत और फिलीपीन के बीच करार	Agreement between India and Philippines for peaceful uses of Atomic Energy ..	71—72
3651. नौसेना मुख्यालय में हिन्दी अनुवाद कार्य	Hindi Translation Work in Naval Headquarters ..	72—73
3652. नारियल जटा की चटाइयां बनाने वालों की सहकारी समितियां	Coir Mats and Matting Co-operative Societies ..	74
3653. पाकिस्तान द्वारा मिजोओं को शस्त्रों की सहायता	Arms Assistance to Mizos by Pakistan ..	74—75
3654. झींगा मछलियों को जहाज द्वारा बाहर भेजने में विलम्ब	Delay in Shipment of Prawns	75
3655. अन्य देशों के साथ औद्योगिक सहयोग	Industrial Collaboration with Foreign Countries ..	75—77
3656. भारतीय वायु सेना की शक्ति	Strength of IAF ..	77
3657. उत्तर कोरिया के साथ राजनयिक सम्बन्ध	Diplomatic Relations with North Korea ..	77
3658. ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड कलकत्ता में सार्वजनिक सभा करना	Holding of meetings at Brigade Parade Ground, Calcutta ..	77—78
3659. भारत बलगारिया संयुक्त व्यवस्था	Indo Bulgarian Joint Machinery ..	78
3660. मोटर गाड़ियों के निर्माण के लिये सहयोग	Joint Collaboration for Manufacture of Motor Vehicles ..	78—79
3661. आई० एन० एस० विक्रान्त	INS Vikrant ..	79

विषय	SUBJECT		पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
3662. विद्युतचालित करघों की योजना	Powerloom Scheme	..	79—80
3663. राज्य व्यापार निगम द्वारा पटसन खरीदना	Purchase of Jute by STC	..	80
3664. इंजीनियरी माल का निर्यात	Export of Engineering Goods	..	80—81
3665. व्यापार प्रतिनिधिमंडल का न्यूजीलैण्ड का दौरा	Visit by a Trade Delegation to New Zealand	..	81—82
3666. नेफा में रडार केन्द्र	Radar Station in Nefa	..	82
3667. कृत्रिम रेशम उद्योग	Art Silk Industry	..	82—83
3668. 1969-70 में दिल्ली के लिये योजना राशि का निर्धारित किया जाना	Plan Allocations for Delhi for 1969-70	..	83
3669. मैंगनीज अयस्क के निर्यात पर खनिज तथा धातु व्यापार निगम के अध्यक्ष का प्रतिवेदन	Report by the Chairman, M. M. T. C. on Exports of Manganese Ore	..	83—84
3670. भारत नेपाल व्यापार	Indo-Nepal Trade	..	84
3671. मैंगनीज का निर्यात	Export of Manganese Ore	..	84—85
3672. रूस के साथ व्यापार करार	Trade Agreement with USSR	..	85
3673. रूस को निर्यात	Exports to USSR	..	86
3674. रुपया भुगतान वाले देशों के व्यापार संतुलन में परिवर्तन	Conversion of Balance of Trade with Rupee-payment countries	..	86—87
3675. नमक का निर्यात बढाने के लिये वित्तीय सहायता	Financial Assistance to increase Salt Exports	..	87
3676. पारादीप पत्तन	Paradeep Port	..	87—88
3677. चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाना	China's Admission to UNO	..	88
3678. भारत श्रीलंका व्यापार	Indo-Ceylon Trade	..	88—89
3679. हथकरघा विकास के लिये उपकर निधि	Cess Fund for Handloom Development	..	89—90

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3680. संकटग्रस्त कपड़ा उद्योग को प्राथमिकता वाले उद्योग बनाना	Sagging Textile Industry as priority Industry ..	90
3681. प्रधान मंत्री की विदेश यात्राओं में साथी दल का आकार	Size of the Party Accompanying Prime Minister during Foreign Visits ..	90—91
3682. राजस्थान की सीमाओं पर पाकिस्तानी गतिविधियां	Pak. activities on Rajasthan Borders ..	91
3683. सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	Public Sector Undertakings ..	91—92
3684. भारतीय व्यापारियों की सिंगापुर यात्रा	Indian Businessmen's visit to Singapore ..	92
3685. ब्रिटेन के साथ व्यापार सन्तुलन	Balance of Trade with U. K. ..	92—93
3686. मनीपुर में भूतपूर्व सैनिक	Ex-Servicemen in Manipur ..	93—94
3687. मनीपुर में ईंटों के दाम	Prices of bricks in Manipur	94
3688. रूई का मूल्य	Prices of cotton ..	94—95
3689. उर्वरकों की खरीद	Purchase of Fertilizers ..	95
3690. भारत से फलों तथा सब्जियों का निर्यात	Export of fruits and vegetables from India ..	95—96
3691. राज्य व्यापार निगम के पास पटसन भारी मात्रा में जमा होना	Accumulation of Jute Stock with STC ..	96
3692. केन्द्रीय कुटीर उद्योग एसोसिएशन	Central Cottage Industries Association ..	96—97
3693. मेहसी (बिहार) में सीप के बटन बनाने के उद्योग	Shell Button Industry at Mehsi (Bihar) ..	97
3694. छावनियों में काम कर रहे प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिए आमोद-प्रमोद की व्यवस्था	Entertainment of Defence Personnel Stationed in Cantonments ..	98
3695. चौथी पंचवर्षीय योजना संबंधी दृष्टिकोण में आधारभूत परिवर्तन	Basic change in the approach to the Fourth Five Year Plan ..	98—99

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

3696. अणुशक्ति का शान्तिपूर्ण उपयोग योजना	Atom for Peace Plan ..	99—100
3697. खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा अलौह धातुओं का दिया जाना	Release of Non-ferrous metals by Minerals and Metals Trading Corporation ..	100—101
3698. मध्य प्रदेश में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं	Centrally sponsored schemes in Madhya Pradesh ..	101
3700. कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण	Modernisation of Textile Mills ..	101
3701. तमिलनाडु में कपड़ा मिलें	Textile Mills in Tamil Nadu ..	102
3702. सैनिक कार्यों के लिये भूमि का अर्जन	Acquisition of Land for Military purposes ..	102
3703. कृषि भूमि का अर्जन	Acquisition of Agricultural Land ..	102—103
3704. ब्रिटेन द्वारा हिन्द महासागर से नौसेना हटाना	British withdrawal of Naval Forces from Indian Ocean ..	103
3705. अप्रैल, 1967 से विदेशों के राज्याध्यक्षों की भारत यात्रा	Visits by Heads of Foreign Countries since April, 1967 ..	103—104
3706. भारत पाकिस्तान विवादों के बारे में ब्रिटेन की नीति	U. K's stand on Indo-Pak Disputes	104
3707. बन्दरों का निर्यात	Export of Monkeys ..	104
3709. रेडियो सेटों का निर्माण	Manufacture of Radios ..	104—105
3710. आयात लाइसेंस की चोरी	Theft of Import Licences	105
3711. हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड और उसके कर्मचारियों का विवाद	Dispute between Hindustan Aeronautics Ltd., and its Employees ..	105—106
3712. भारतीय सांख्यिकी संस्था की गिरडीह शाखा	Girdih Branch of Indian Statistics Institute ..	106
3714. भारत कुवैत युवक एसोसिएशन	Indo-Kuwait Youth Association ..	106—107
3715. बी० ट्विल के मूल्यों पर से नियंत्रण का हटाया जाना	Removal of Control on Prices of B. Twill ..	107
3716. प्राग टूल्स लिमिटेड	Praga Tools Ltd. ..	107—108

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3717. उत्तर कोरिया से व्यापार प्रतिनिधि मण्डल	Trade Delegation from North Korea ..	108
3718. बगदाद में भारतीय अधिकारी की पिटाई	Indian Official Manhandled at Baghdad ..	108—109
3719. भारतीय समुद्री जल क्षेत्र की विदेशी घुसपैठियों से सुरक्षा निमित्त विशेष नाविक बेड़ा	Special Fleet for protection of Indian waters from Foreign Intruders ..	109
3720. द्वितीय संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन की सिफारिशें	Recommendations of Second United Nations Conference on Trade and Development ..	109
3721. सैनिक अधिकारियों द्वारा निजी व्यापार करना	Private Business Run by Army Officers ..	110
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
चीन की सीमा पर रूस के कथित आक्रमण के बारे में नक्सलपंथियों द्वारा चीन को तार का भेजा जाना	Naxalites' telegram to China re. alleged Soviet attack on Chinese Frontier ..	110—112
सरकारी उपबन्धों सम्बन्धी समिति—	Committee on Public undertakings—	
27वां प्रतिवेदन	Twenty-seventh Report ..	112
लोक लेखा समिति—	Public Accounts Committee—	
54वां प्रतिवेदन	Fifty-Fourth Report ..	112
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—	Committee on Absence of Members from sittings of the House—	
9वां प्रतिवेदन	Ninth Report ..	112
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), 1968-69	Demands for Supplementary Grants (Railways), 1968-69 ..	113—130
श्री नम्बियार	Shri Nambiar ..	113—115
श्री जो० ना० हजारिका	Shri J. N. Hazarika ..	115—116
श्री एस० पी० राममूर्ति	Shri S. P. Ramamoorthy ..	116—117
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain ..	117—118

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
डा० राम सुभग सिंह	Dr. Ram Subhag Singh ..	118—119, 127—130
श्री श्रीचन्द गोयल	Shri Shri Chand Goyal ..	119—121
श्री विक्रम चन्द महाजन	Shri Vikaram Chand Mahajan ..	121—122
श्री जगेश्वर यादव	Shri Jageshwar Yadav ..	122
श्री रा० ढो० भंडारे	Shri R. D. Bhandare ..	122—123
श्री जार्ज फरनेन्डीज	Shri George Fernandes ..	123—124
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan ..	124
श्री मोहन स्वरूप	Shri Mohan Swarup ..	124—125
श्री चेंगलराया नायडू	Shri Chengalraya Naidu ..	125—126
श्री लोबो प्रभू	Shri Lobo Prabhu ..	126—127
उपप्रधान मंत्री के निवास स्थान पर महानगर के सदस्यों द्वारा धरना देने के बारे में	Re. Dharna by Members of Delhi Metropolitan Council at the Deputy Prime Minister's Residence ..	120
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1966-67	Demands for Excess Grants (General), 1966-67 ..	131—137
श्री ओम प्रकाश त्यागी	Shri Om Prakash Tyagi ..	131
श्री क० मि० मधुकर	Shri K. M. Madhukar ..	131—132
श्री शिवचन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha ..	132
श्री लखन लाल कपूर	Shri Lakhan Lal Kapoor ..	133
श्री नन्द कुमार सोमानी	Shri N. K. Somani ..	133—134
श्री मुहम्मद इस्माइल	Shri Mohammad Ismail	134
श्री लोबो प्रभू	Shri Lobo Prabhu ..	134—135
श्री एस० आर० दामानी	Shri S. R. Damani ..	135
श्री प्र० चं० सेठी	Shri P. C. Sethi ..	135—136
विनियोग विधेयक, 1969 पुरःस्थापित तथा पारित	Appropriation Bill, 1969-Introduced and passed. ..	137—139
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 1968-69	Supplementary Demands for Grants (General), 1968-69 ..	139—150
श्री मी० रू० मसानी	Shri M. R. Masani ..	142—143
श्री श्रीचन्द गोयल	Shri Shri Chand Goyal ..	143—144

लोक-सभा वाद-विवाद (संक्षिप्त अनूदित संस्करण)
LOK SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 19 मार्च, 1969/28 फाल्गुन, 1890 (शक)
Wednesday, March 19, 1969/Phalguna 28, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

फ्रांस द्वारा हिन्द महासागर में घुसने का प्रयत्न

*571. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फ्रांस हिंद महासागर में घुसने का प्रयत्न कर रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि फ्रांस के हाई कमान ने हिन्द महासागर में बंगाल की खाड़ी में तथा उसके आस-पास दो परमाणु पनडुब्बियां तैनात करने का निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). इस बारे में सरकार को कोई सूचना नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री चेंगलराया नायडू : यदि मंत्रियों को कोई जानकारी नहीं है, तो कम से कम विभागीय लोगों को तो पत्रों को देखना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि अन्य क्षेत्रों में क्या हो रहा है, यदि वे नहीं जानते कि क्या हो रहा है, तो वे मंत्रियों के रूप में कैसे कार्य कर सकते हैं ? फ्रांस पहले ही हिन्द महासागर में दो परमाणु पनडुब्बियां भेज चुका है और वे केप टाउन के निकट साइमन्स टाउन में एक नौसैनिक अड्डा बनाने के लिये दक्षिण अफ्रीका से भी बातचीत कर रहे

हैं, जहां वे नौसैनिक जहाजों को रख सकते हैं। फ्रांसीसी सरकार वहां पर अपना प्रधान कार्यालय बनाने के लिये दक्षिण अफ्रीका से बातचीत कर रही है। क्या मंत्री महोदय यह जानने का कष्ट करेंगे कि विश्व में क्या हो रहा है और यह पता लगायेंगे कि जो कुछ मैंने कहा है क्या वह सच है ? यदि हां, तो क्या वे हमारे तट की रक्षा के लिये आवश्यक कदम उठायेंगे क्योंकि फ्रांसिसी सरकार अरब सागर और हिन्द महासागर में अपनी पनडुब्बियां भेजने जा रही है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : हम विश्व में होने वाली घटनाओं की जानकारी रखने का प्रयास करते हैं लेकिन कभी-कभी कहीं एक दो मामूली सी बात हो सकती है, जिसकी ओर हमारा ध्यान न जाये। जहां तक हमारी जानकारी है, अब तक इस क्षेत्र में कोई फ्रांसिसी पनडुब्बी नहीं आई है। संभवतः माननीय सदस्य ने कुछ समय पहले जोहन्सवर्ग से प्राप्त हुए इस समाचार के आधार पर पूछा है कि फ्रांस और दक्षिण अफ्रीका की सरकारों के बीच कोई गुप्त बातचीत हो रही थी। लेकिन यह तो समाचारपत्रों में प्रकाशित होने वाले समाचार हैं जो केवल अटकल मात्र हैं, ये अधिकृत समाचार नहीं हैं। न ही फ्रांसिसी सरकार ने इनका समर्थन किया है। हम इसके बारे में अधिक नहीं कह सकते।

श्री चेंगलराया नायडू : हिन्द महासागर में न केवल फ्रांसिसी पनडुब्बियां चल रही हैं बल्कि हिन्द महासागर अरब सागर में एक नौसैनिक दस्ते सहित रूसी पनडुब्बियां भी चल रही हैं प्रतिरक्षा मंत्रालय ने इस पर टिप्पणी करने से इंकार कर दिया है। रूसी बेड़ा हमारे जल-प्रांगण में दो बार आ चुका है। उन्होंने हमारी सरकार से उन्हें नौसैनिक सुविधायें प्रदान करने के लिये कहा था, इस बार रूसी नौसैनिक बेड़ा भारतीय जल-प्रांगण में आ गया है और हमारी सरकार को सूचित किये बिना अथवा हमारी अनुमति लिये बिना हमारे हिन्द महासागर में रूसी बेड़ा सक्रिय है। क्या सरकार को हमारे हिन्द महासागर में अभ्यास करने के बारे में रूसी नौसैनिक बेड़े से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार पता लगायेगी कि क्या यह बेड़ा वहां पर है और क्या वे रूस सरकार से कड़ा विरोध प्रकट करेंगे ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : मेरी माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कि वे इस बात को ध्यान में रखें कि हिन्द महासागर हमारा सागर नहीं है। हिन्द महासागर भारत का नहीं है। वे अपने सागर की बात करते रहे हैं।

श्री चेंगलराया नायडू : मैंने कहा था कि बेड़ा हमारे जल-प्रांगण में आ गया है। मेरा तो यही अभिप्राय था।

श्री दिनेश सिंह : वह एक भिन्न बात है। इसे हमें अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों की दृष्टि से देखना चाहिए। हम कुछ अन्तर्राष्ट्रीय परम्पराओं और कानूनों के अन्तर्गत काम कर रहे हैं। हम हिन्द महासागर अथवा अरब सागर के सम्पूर्ण स्वामित्व का उत्तरदायित्व अपने आप ग्रहण नहीं कर सकते हैं। हमारा सम्बन्ध भारतीय जल-प्रांगण से है और हम कह सकते हैं कि हम अपने जल-प्रांगण की रक्षा के लिये प्रभावी उपाय करते हैं तथा हमें अपने जल-प्रांगण में किसी

विदेशी पनडुब्बी के होने की जानकारी नहीं है। चाहे सोवियत बेड़ा हिन्द महासागर में आता है अथवा अन्य बेड़े हिन्द महासागर में आते हैं, यदि वे अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों का पालन करते हैं, तो हमारे लिये यह कहने के अतिरिक्त कि हम इस क्षेत्र को संघर्ष और परमाणु हथियारों से मुक्त रखना चाहते हैं कोई आपत्ति नहीं हो सकती है।

श्री बलराज मधोक : माननीय मंत्री ने अभी कहा कि हिन्द महासागर केवल भारत का ही नहीं है। मानते हैं कि यह भारत का नहीं है। लेकिन इस महासागर के बारे में भारत की एक विशेष स्थिति है और वे इससे इंकार नहीं कर सकते हैं तथा सरकार शक्ति-शून्यता की बात तो स्वीकार करे अथवा न करे, समूचे विश्व ने और सम्पूर्ण इतिहास में इस बात को स्वीकार किया गया है। हिन्द महासागर का एक महत्वपूर्ण स्थान है और वहां शक्ति शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो गई है क्योंकि ब्रिटेन और अमरीका वहां से हट गये हैं। इसलिये यहां एक खुला समुद्र है जिस पर चीन, रूस, फ्रांस तथा अन्य देशों द्वारा नियंत्रण करने के प्रयास किये जा रहे हैं। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यदि भारत अकेला यह सुनिश्चित नहीं कर सकता कि हिन्द महासागर विदेशियों का आखेट क्षेत्र नहीं बनता, तो क्या भारत हिन्द महासागर के अन्य देशों के साथ, जैसे इंडोनेशिया और आस्ट्रेलिया, किसी प्रकार का समझौता करेगा ताकि हिन्द महासागर इन विदेशियों के दुस्सहासों से मुक्त रहे तथा भारत तथा हिन्द महासागर क्षेत्र के अन्य देशों की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न न हो ?

श्री दिनेश सिंह : हम अपने सीमित साधनों को ध्यान में रखते हुए हिन्द महासागर में अपने हितों की रक्षा के लिये हर सम्भव कार्यवाही करेंगे ? दूसरा प्रश्न माननीय सदस्य ने अन्य देशों के साथ किसी प्रकार के प्रतिरक्षा सहयोग के बारे में पूछा। हमारा ऐसा विचार नहीं है।

श्री बलराज मधोक : मैंने समझौते के बारे में कहा था। बिना किसी प्रतिरक्षा करार के हम समझौता कर सकते हैं क्या आप ऐसा नहीं कर सकते ? कृपया उत्तर दें।

श्री रंगा : आपको हिन्द महासागर के प्रत्यक्ष रूप में ही रखने वाले अन्य देशों का सहयोग लेना चाहिए :

श्री दिनेश सिंह : मैंने कहा कि हमारी किसी अन्य देश के साथ कोई प्रतिरक्षा व्यवस्था नहीं है। हिन्द महासागर के लिये इस प्रकार की कोई प्रतिरक्षा व्यवस्था करने का हम विचार नहीं कर रहे हैं।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : हिन्द महासागर में शक्ति-शून्यता उत्पन्न होने के कारण इस क्षेत्र के सामरिक महत्व के कारण और इन जहाजों के पूर्णतः छोटे जहाज न होने के क्या कारण हैं, लेकिन जैसाकि प्रश्नकर्ता सदस्य ने कहा कि ये परमाणु पनडुब्बियां हैं मैं सरकार से यह जानना चाहती हूं कि क्या सरकार इस सामरिक स्वरूप को देखते हुए इस क्षेत्र विशेष में वह पूर्णतः सतर्क है ? क्या सरकार ने कोई जांच की है कि क्या ये सामान्य छोटे जहाज हैं अथवा परमाणु हथियारों से लैस जहाज हैं ?

श्री दिनेश सिंह : मैं यह बात नहीं समझ सकता हूं । हम जांच किस प्रकार कर सकते हैं ? माननीय सदस्या इस मामले में मुझसे क्या अपेक्षा करती हैं ? अन्य देशों की नौसेना हमारी अनुमति से अथवा हमें सूचना देकर नहीं आती हैं । लेकिन हम अपने साधनों के जरिये यह देखने तथा पता लगाने के लिये कारगर कदम उठाते हैं कि कौन-कौन से जहाज यहां आते हैं ।

श्री रंगा : यह तो पर्याप्त नहीं है ।

श्री दिनेश सिंह : लेकिन अन्य देश अपनी नौसेना के हमारे समुद्र में आने से पहले आवश्यक रूप से हमें सूचित नहीं करते हैं । एक बात मेरी समझ में नहीं आई । ब्रिटेन की नौसेना की वापसो के बारे में बहुत कुछ कहा गया है स्पष्ट है कि उनके कहने के अनुसार यदि ब्रिटेन की नौसेना वहां हो तो सब कुछ ठीक है । ब्रिटेन की नौसेना की वापसी के कारण ये सब बातें उत्पन्न हुई हैं । जहां तक वहां पर किसी भी अन्य नौसेना को नहीं आ सकने देने के प्रश्न का सम्बन्ध है, हम खुले समुद्र में जहाजरानी नौसेना के बारे विद्यमान अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अन्तर्गत ही कार्य कर सकते हैं । हम इसके अनुसार कार्य करेंगे । जहां तक क्षेत्र का सम्बन्ध है, हम अनेक बार कह चुके हैं कि यह क्षेत्र शान्ति का क्षेत्र होना चाहिए, शान्ति को भंग नहीं किया जाना चाहिए और इसे परमाणु हथियारों से मुक्त रखा जाना चाहिए ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये कोई कार्यकाही की है कि इस क्षेत्र में परमाणु पनडुब्बियों के आने अथवा रहने की अनुमति देकर अशान्ति उत्पन्न नहीं की जाती ?

श्री दिनेश सिंह : इस मामले में हमसे क्या करने की आशा की जाती है ? हमें खुले समुद्र में जहाजरानी (नौसेना) के कानूनों का आदर करना है ।

श्री प० गोपालन : भारत सरकार द्वारा पहले एक हल्के से और औपचारिक विरोध के बावजूद ऐसा मालूम देता है कि अमरीका ने हिन्द महासागर में एक नौसैनिक और प्रक्षेपणास्त्र अड्डा बनाने के अपने निर्णय को क्रियान्वित करने का निश्चय किया है । इससे हमारे देश की सुरक्षा को गम्भीर खतरा है । क्या सरकार इसे हमारे देश की सुरक्षा को खतरा समझती है और क्या यह सच है कि भारत सरकार द्वारा विरोध प्रकट किये जाने के बावजूद भारत और अमरीका सरकार के बीच चीन के तथाकथित खतरे से हमारे देश की रक्षा करने के नाम पर हिन्द महासागर में एक अड्डा बनाने के लिये समझौता है ?

श्री दिनेश सिंह : हम इस क्षेत्र में कोई विदेशी अड्डा बनाने के विरुद्ध हैं । हम इसकी कई बार घोषणा कर चुके हैं । हमें ब्रिटेन तथा अमरीका की सरकारों ने सूचित किया है कि उनका विचार वहां पर एक बाड़ (स्टेजिंग) चौकी और एक संचार केन्द्र बनाने का है ।

श्री प० गोपालन : आपने इसकी किस प्रकार जांच की है ?

श्री दिनेश सिंह : किसी भी हालत में हम इस क्षेत्र में किसी अड्डे के पक्ष में नहीं हैं ।

श्री वेदव्रत बरुआ : इस सभा में एक से अधिक अवसरों पर यह कहा गया है कि सरकार खुले समुद्र अर्थात् हिन्द महासागर में शक्ति शून्यता के सिद्धान्त में विश्वास नहीं करती हैं, साथ ही समाचार आते रहे हैं कि ब्रिटेन के हट जाने को ध्यान में रखते हुए रूस और अमरीका दोनों ने ही हिन्द महासागर में अपनी शक्ति बढ़ा ली होगी। इस बारे में सरकार की क्या रिपोर्ट है, क्या उनकी शक्ति बढ़ाई गई है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ? केवल यह कहने के अतिरिक्त कि हम हिन्द महासागर के बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम राजनयिक तथा अन्य स्तर पर कुछ करने का प्रयास कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हिन्द महासागर एक शान्ति क्षेत्र बना दिया जायेगा ?

Shri George Fernandes : I would like to recall that all the external aggression, whether by Portugal or France or England, were committed through the high seas. The Hon. Minister says that Indian Ocean does not belong to India and we need not inquire into the activities of others in that area. I feel that Government is neglecting the defences of the country. As regards France, the following report appeared in "Himmat" weekly of Bombay on the 27th December :

"A correspondent in the Sunday Times of Johannesburg reports that France and South Africa are holding secret military negotiations which involve providing a submarine base from which "to deploy the first two of France's growing armada of nuclear submarines in and around the Bay of Bengal and the Indian Ocean." They already are said to be modernising their low level refitting stations in Madagascar and the Comoro Islands. Despite the United Nations embargo, France was the only country supplying South Africa with arms."

The Hon. Minister says that he has got no more information beyond what has appeared in the press. May I know whether Government made any enquiries from the French Government through its ambassador ? If France did not give any information about it during the secret talks, did Government try to obtain information from other sources or methods ; if so, what are the details ? If France with the cooperation of South Africa is indulging in such activities in and around our waters, the nature of steps being taken by Government ?

Shri Dinesh Singh : During our recent talks with France, we expressed the desire that we wanted to maintain it as an area of peace and nuclear weapons such as Atom bomb should not be brought into it. France agreed with us.

Shri Mrityunjay Prasad : I want to know whether any provision has been made by Government for radars or such other equipment in the seas as are on the land to locate the planes in the air so that we may know the kinds of ships moving at a distance of 50 to 200 miles from shores. The Hon. Minister may not give any details in this connection but he should at least assure this much that Government has made provisions to detect the movements of foreign ships.

Shri Dinesh Singh : We try to detect such ships, and in this connection we utilise the modern and latest equipments we have got.

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि इंडोनेशिया ने सुझाव दिया है कि भारतीय समुद्र को इंडोनेशियाई समुद्र कहा जाय; यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

क्या यह सच है कि रूस ने पहले से ही दो थरमो-न्यूक्लीयर पनडुब्बियां भेजी हुई हैं जो अब भारतीय महासागर में घूम रही हैं; और यदि हां, तो सरकार का लक्ष्य क्या कार्यवाही करने का है, क्या सरकार का विचार रूस से इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श करने का है ताकि भारतीय महासागर जो अभी तक भारतीय-महासागर के नाम से बोला जाता है—किसी भी प्रकार की राजनीतिक अशान्ति से मुक्त रहे ?

श्री दिनेश सिंह : इंडोनेशियायी महासागर की कथा अब पुरानी हो गई है। अब यह वर्तमान की बात नहीं रही है। जहां तक इस प्रश्न का.......

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या आपके कहने का तात्पर्य है कि इसे छोड़ दिया है ?

श्री हेम बरुआ : वह मांग चाहे पुरानी हो गई है। आप पुराने मनुष्यों को इसलिए अस्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि वे पुराने हैं। आप एक मांग को इसलिए अस्वीकार नहीं करते क्योंकि वह पुरानी हो गई है।

श्री दिनेश सिंह : जहां तक रूसी पनडुब्बियों के प्रश्न को आने का सम्बन्ध है हमें किसी रूसी न्यूक्लीयर पनडुब्बियों के पहुंचने की जानकारी नहीं है। हमारी स्थिति रूस भली प्रकार जानता है। हम इस क्षेत्र को आण्विक-अस्त्रों से मुक्त रखना चाहते हैं। यह भली प्रकार ज्ञात है।

श्री स्वैल : श्रीमान जी, बहुत से प्रश्नों का यह उत्तर देने में कि उन्हें जानकारी नहीं है, हमारे कई माननीय मंत्रियों को प्रकृति हो गई है। भारतीय महासागर में हमारे इधर-उधर जो भी घटना होती है हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। यदि उनको यह जानकारी नहीं है कि वहां क्या घटना घटित हो रही है, तो मैं समझता हूं कि उनको वहां बैठने का कोई अधिकार नहीं है जहां वे बैठे हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न पर आएं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : परन्तु प्रश्न है कि क्या वे अनुगृहीत करेंगे ?

श्री स्वैल : मैं बहुत गम्भीरता तथा ध्यानपूर्वक प्रश्न कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय मुझे सतर्कता तथा गम्भीरतापूर्वक उत्तर दें। यह सच है कि अंग्रेजों के सिंगापुर से अपने सैनिक अड्डे हटाने के फलस्वरूप तथा वियतनाम से अमरीका के हट जाने की सम्भाव्यता से भारतीय महासागर में घुसने तथा वहां बलपूर्वक अपने प्रभाव का क्षेत्र बनाने के लिए कई शक्तियां आपस में संघर्ष कर रही हैं। जैसा आपने अभी कहा कि आप यह सूचना देते रहे हैं कि भारतीय महासागर में इस अनुवर्ती रिक्त स्थान को पूरा करने की आपकी यह पद्धति समुद्रतटीय देशों की आर्थिक शक्ति को बढ़ाने की है। आस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री श्री गोर्टन, के वक्तव्य की ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने यथार्थरूप में बढ़ते हुए वाह्य आक्रमण से समुद्रतटीय देशों की अभिरक्षा तथा वहां के आर्थिक जीवन की उन्नति करने के

आधार पर सिंगापुर में आस्ट्रेलिया तथा मलेशिया की सेनाओं की उपस्थिति का समर्थन किया है; और, यदि हां, तो समुद्रतटीय देशों में से किसी एक देश की इस कार्यवाही के प्रति इस सरकार का क्या रुख है ?

श्री दिनेश सिंह : इस स्थिति में हम किसी भी प्रकार के सैनिक समझौते के पक्ष में नहीं हैं। जो प्रश्न आदरणीय सदस्य ने उठाया है वह सामान्य प्रश्न है और मेरी इच्छा है कि वह इसे वाद-विवाद के दौरान उठाएं उस समय इसका पूर्ण स्पष्टीकरण देने के लिये मुझे अधिक समय मिल जायेगा। प्रश्नोत्तर काल में तो मैं कुछ ही शब्द कह सकता हूं। जहां तक भारतीय महासागर के प्रश्न का सम्बन्ध है मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि यह अनिवार्यतः अंग्रेजों के हटने से सम्बद्ध नहीं है, सम्भवतः यह भी एक हेतु हो सकता है। परन्तु दूसरे देशों के बढ़ते हुये प्रभाव का अनुभव विश्व के अन्य भागों में भी हो रहा है, चाहे दूसरे देश वहां उपस्थित हों या न हों। अतः हमारे लिये सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हम अपने बचाव के लिये अपनी रक्षा सामर्थ्य को दृढ़ करें।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हो गये।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये मैं मुख्य प्रश्न को पढ़ूंगा और यह सदस्यों पर निर्भर करता है कि वे देखें कि क्या अनुपूरक प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न का मुख्य प्रश्न से सम्बन्ध है। मुख्य प्रश्न इस प्रकार है :—

(क) क्या यह सच है कि फ्रांस भारतीय महासागर में प्रवेश करने का प्रयत्न कर रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि फ्रांसीसी उच्च कमान ने भारत महासागर में बंगाल की खाड़ी में और उसके समीप दो न्युक्लीयर पनडुब्बियों को तैनात करने का निश्चय किया था; और

(ग) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

यदि आप अनुपूरकों को देखें तो आपको विदित हो जायेगा कि इनका प्रमुख प्रश्न के साथ बिल्कुल कुछ भी तारतम्य नहीं है। दूसरे सदस्यों को अनुमति देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु समय किसका नष्ट होता है ? पूरे प्रश्न काल के दौरान एक प्रश्न का उत्तर दिये जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु समय किसका नष्ट होता है, तथा अनुपूरकों का भी प्रमुख प्रश्न से बिल्कुल कोई तारतम्य नहीं है। अन्ततोगत्वा, विदेशी मामलों पर वाद-विवाद है और इसके दौरान इन तमाम नीति सम्बन्धी मामलों पर विचार-विमर्श हो सकता है। दुर्भाग्यवश प्रश्न काल का इस प्रकार प्रयोग किया जाता है। फिर भी आपको ही हानि होती है ना कि पदाधिकारी अथवा मंत्रियों को। पहले ही एक प्रश्न पर 20-22 मिनट लग गये। हम 20 मिनट और ले सकते हैं, इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यदि मैं श्री ज्योतिर्मय बसु को बुलाता हूं तो मुझे दूसरों को

भी बुलाना पड़ेगा । मुझे कोई आपत्ति नहीं है । यदि सदन की यही इच्छा है, तो प्रथम प्रश्न पर जो भी खड़ा होगा उस प्रत्येक सदस्य को बुलाऊंगा और एक घण्टा बीत जायेगा अतः किसी को क्रोध करने की आवश्यकता नहीं...

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : यदि कोई विशेष अनुपूरक प्रसंगानुकूल है अथवा नहीं, इसका निर्णय तो आप ही करते हैं । किन्तु आप अनुमति देते हैं और बात चल पड़ती है ।

अध्यक्ष महोदय : इसी कारण मैं यह कह रहा हूं । यदि सभी सदस्य उन अनुपूरकों को, जिनका प्रमुख प्रश्न से बिल्कुल कोई सम्बन्ध नहीं है, पेश न करने का सहयोग दें तो उससे हमें सहायता मिलेगी । अब हम अन्य प्रश्नों को उठाने का प्रयत्न करते हैं—यदि समग्र सूची नहीं तो कम से कम पांच या छः तो ले ही लें ।

अन्य प्रश्न—श्री महाराज सिंह भारती ।

Export of Hockey Sticks

*572. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state:

(a) the extent to which the export of hockey sticks from India has been affected by the defeat of Indian hockey team and the triumph of Pakistani team in Olympics ;

(b) whether Government have carried out propaganda abroad that Indian hockey sticks are the best and defeat of Indian hockey team was due to other factors ; and

(c) if so, the extent to which the adverse effect has been mitigated ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Chowdhary Ram Sewak) : (a) Exports of Hockey Sticks during the month of November-December, 1968 were of the order of Rs. 3.17 lakhs as against Rs. 1.84 lakhs in the corresponding period of 1967. According to the latest trends available defeat of Indian team in Olympics in October, 1968 has had no adverse effect on exports of this item so far.

(b) The Sports Goods E. P. Council have been carrying out the necessary publicity and propaganda campaign highlighting the quality and competitiveness of Indian hockey sticks as a part of its export promotion programme. Indian hockey sticks are liked and imported in foreign counties on their own merit in terms of their quality performance and competitive prices. The defeat or victory of our team is a matter of sporting change which is not material to the export prospects.

(c) Does not arise.

Shri Maharaj Singh Bharati : Hockey sticks manufacturing industry was confined to Pakistan before partition. But after partition this industry spread over India, and now we are running this on a large scale in Meerut and other districts and several other states also. Hon. Minister answered that there was no adverse effect of our defeat. These are old orders already concluded before our defeat against which supplies were being made. I want to know whether Pakistan is carrying on wide publicity and propaganda abroad that they are the actual Hockey sticks manufacturers, that some of their experts had gone to India, they used to

manufacture Hockey sticks of sub-standard quality and that is why the Indians have been defeated "Oh the people of the world. If you want victory, play with our Hockey sticks." Do Government intend to counteract this propaganda of Pakistan by saying that the defeat of Indian Hockey team was by chance and not due to the week Hockey sticks and that Hockey sticks are of best quality?

Chowdhary Ram Sewak: Sir, this is wrong to say that the export of our Hockey sticks have come down because of our defeat. If I am permitted I can submit figures. The total value of the Hockey sticks exported in 1960 was Rs. 1.86 lakhs. In 1961 Rs. 4.26 lakhs; in 1962 Rs. 4.46 lakhs; in 1963 Rs. 5.79 lakhs; in 1964 Rs. 5.64 lakhs; in 1965 Rs. 7.25 lakhs; in 1966 Rs. 9.89 lakhs; in 1967 Rs. 10.68 lakhs; and in 1968 Rs. 13.76 lakhs. From these figures it is observed that the defeat had had no effect. We are exporting Hockey sticks regularly and with continuous progress.

Shri Maharaj Singh Bharati: Mr. Speaker, the figures which have been given pertain to old orders already placed on us, when we had been securing first position. We are not getting more orders now.

My second question is that, whether it is a fact that Mulberry-wood is used in manufacturing Hockey sticks. We are still requesting Pakistan for the Mulberry-wood. In view of the fact that our plan of planting Mulberry trees has proved utter failure and we have not been able to compete in this field because we are getting the wood from Pakistan at high prices. What steps Government proposes to take in this connection so that we may get good quality Mulberry-wood for this industry at low prices?

Chowdhary Ram Sewak: We do not have any trade with Pakistan. Nothing is being imported from Pakistan. The wood used in manufacturing Hockey sticks is brought from Kashmir.

Industries in Mauritius by Indians

*573. **Shri Om Prakash Tyagi**: +
Shri Narain Swarup Sharma:
Shri Ram Swarup Vidyarathi:

Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that Mauritius Government are anxious to have industries established by the Indian industrialists and have also announced special facilities for the purpose;

(b) if so, the number of industrialists who have approached Government for permission to set up industries there;

(c) the incentive provided by Government to the industrialists in this regard in Mauritius; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Chowdhary Ram Sewak): (a) Government have been given to understand that the Government of

Mauritius welcome the participation of foreign investors including Indians in their local industries.

(b) So far one application has been received by an Indian firm for setting up a unit in Mauritius to manufacture marble mosaic tiles and rolling shutters. Government have given their approval to this proposal.

(c) The facilities which have been offered by the Government of Mauritius in this connection include permission for the transfer of dividends, after local taxation, and the repatriation of foreign capital invested in Mauritius ; an assurance that the Mauritius Government will not compete with any industry which may be set up by private entrepreneurs ; provision for the imposition of protective tariffs where needed, and also exemption from customs duty on the import of raw materials for approved industries. From the Government of India, the entrepreneurs would be eligible for import replenishment against machinery exported as part of their equity participation, as admissible under the rules.

(d) Does not arise.

Shri Om Prakash Tyagi : Mr. Speaker, Sir, today Indians think that Mauritius is another India. The Government of India do help the under-developed and small countries, like Nepal etc. open-heartedly financially and give them industrial assistance also. May I know whether our Government have suggested to Government of Mauritius to take help for their industrial development and, if so, what, and if not, the reasons thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Chowdhary Ram Sewak) : Sir, whatever assistance is asked for by the Government of Mauritius we are prepared to give them and we will assist them fully.

Shri Om Prakash Tyagi : I did not ask that. I asked whether the Government itself had given any suggestion to help them, as Mauritius is an under-developed country.

Chowdhary Ram Sewak : There is no question of offering assistance to them. But if any Indian residing there want to establish any industry there, this Government is prepared to help them fully.

Shri Om Prakash Tyagi : Mr. Speaker, Sir, are you satisfied with this answer ? Sir, my second question is that the people of Indian origin there hope that India will help them but India treats them as orphans. In the light of the informations received from the Mauritius Government to provide facilities to the entrepreneur, who are interested in establishing their industries in Mauritius, I want to know the facilities proposed to be given to such Indian industrialists.

Chowdhary Ram Sewak : The Government give due consideration on the applications received from the industrialists in regard to establishing industries in Mauritius. We have received only one application in this regard and permission to set up an industry has been given to the applicant.

Shri Om Prakash Tyagi : Sir, he has not answered my question. My question was that what facilities would be given to those Indian industrialists who want to set up industry in Mauritius ?

The Minister of Foreign Trade and Supply (Shri B. R. Bhagat) : Those persons who go there to set up industries there take machinery from here and are given import replenishment and the credit facilities. In such cases all the required facilities are provided to them.

Shri Narain Swarup Sharma : As the Hon. Minister has just now stated that only one application has been received as yet in this regard. Many porsons have migrated from India to other countries, such as Mauritius and British-Guiana and they look for help from India. It is the policy of the Prime Minister of Mauritius, Shri Ramgulam, who inherits a little Indian blood, to maintain the relations with India and that is why he wants to give certain facilities in this connection. It is, therefore, your duty to take initiatives to popularise these facilities among the industrialists. You should tell them that you are giving them so and so facilities. It is not a praiseworthy attitude which has been adopted by you. Will you popularise all these things so that more and more industries may be established there by the Indian industrialists? Will the provisions be made to appoint a Central Committee to go into the facilities to be given to those industrialists and will you communicate the decisions of that committee to them?

Shri B. R. Bhagat : Mauritius got freedom recently. We have very cordial relations with Shri Ramgulam and his country. We have assured him that we are prepared to give them assistance. But that is an independent country and they have to frame their own policy by themselves. Even then India will do efforts to provide them full assistance. At this stage the Government of Mauritius have not decided that which are the industries to be established there and it will not be possible to know it unless the Techno-economic survey is completed there. Therefore attempts are being made to send there a Techno-economic survey team which may find out that what kind of industries can be established in that country.

Shri Ram Swarup Vidyarthi : I feel that the Hon. Minister has not got full information. In 1967 an Expert Team was sent to Mauritius in connection with the establishment of a modern textile unit there. May I know whether any report has yet been given by that Team?

The Hon. Minister has just now stated that no assistance has been demanded by the Government of that country. I want to tell him that when the Prime Minister of that country visited India in 1967 and the Foreign Minister also visited India afterward they candidly announced that every kind of facilities would be provided by them to the Government of India in connection with the establishment of industries. Other countries, like France, Japan, are busy in establishing their industries there. I am unable to recognize the specific hurdles which prevent the Government of India in establishing their industries in Mauritius though the Government of that country have openly declared that they are prepared to exempt such industries from the burden of tax for eight years and to protect them from the competition. Is it not in consequence of the mistake done by you that France and Japan have planned to establish many industries there?

Shri B. R. Bhagat : So far as the textile Mills are concerned, Khatau Makkhanji Spinning Mills are trying to establish their Textile Mills there. If we receive an application from them we will consider their case.

Shri Ram Sewak Vidyarthi : Sir, I want your protection. I have asked that when Mauritius was prepared to give you all kinds of facilities, such as exemption from taxation, etc.,

what are the reasons that you are not establishing industries there. They did not send any written demand to France also for establishing a particular industry.

अध्यक्ष महोदय : यह एक सामान्य प्रश्न है और चूंकि अनुपूरक प्रश्न भी सामान्य प्रकार के हैं अतः उनके उत्तर भी सामान्य ही होंगे। न प्रश्न विशेष प्रकार के हैं और न उत्तर ही। यदि इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते रहे तो आशंका है कि विशिष्ट प्रश्न पूछे ही न जा सकें।

श्री एस० आर० दामानी : यह निश्चित करने के लिए कि मारीशस में उद्योग स्थापित करने की कोई गुंजाइश है या नहीं क्या सरकार विभिन्न उद्योगों के उद्योगपतियों के प्रतिनिधि-मण्डल को वहां भेजने के प्रश्न पर विचार कर रही है अथवा करेगी ?

श्री ब० रा० भगत : वहां तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण के लिए एक विशेषज्ञ दल भेजे जाने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है। उद्योगों की पहचान होने के बाद ही उद्योगपतियों के प्रतिनिधिमण्डल को भेजने की व्यवस्था की जा सकती है।

श्री ई० के० नायनार : लाखों भारतीय एशियाई और अफ्रीकी देशों में जाकर बस गए हैं तथा वे वहां रोजगार के लिए मारे-मारे फिर रहे हैं। क्या उद्योगपति एशियाई और अफ्रीकी देशों में भी जो कि नए-नए स्वतंत्र हुए हैं, अपनी पूंजी लगा रहे हैं ? क्या सरकार ने उद्योगपतियों की इन देशों में पूंजी निवेश की नीति को स्वीकार कर लिया है ?

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न केवल मारीशस से सम्बन्धित है और इसका उससे कोई मेल नहीं है।

श्री नन्दकुमार सोमानी : भारत मूलक अफ्रीकी और एशियाई व्यापारियों की समस्या बहुत पुरानी है। माननीय प्रधान मंत्री और माननीय वैदेशिक-कार्य मंत्री उनकी समस्या को सहानुभूतिपूर्वक सुलझाने में असफल रहे हैं अतः उनके लिए भारत के द्वार बन्द हो गए हैं। अब हमें मारीशस से यह अवसर प्राप्त हुआ है कि हम वहां अपने व्यापारी भेजें जो कि मारीशस में अपने उद्योग चलाएं। मारीशस उनका स्वागत करेगा। इन तथ्यों को देखते हुए मैं पूछना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार वहां जाने वाले व्यापारियों की सहायता करने तथा उनका मार्ग-दर्शन करने की कोई औपचारिक या अनौपचारिक व्यवस्था करेगी जिससे वे मारीशस जैसे देशों में बसकर अपना नया जीवन प्रारम्भ करें क्योंकि उन्हें न भारत लौटने की आशा होती है और न अफ्रीका में रहने की। साथ ही उनके लिए अमरीका के द्वार भी बन्द हो जाते हैं ?

श्री ब० रा० भगत : हम मारीशस की सरकार से सम्बन्ध स्थापित किये हुए हैं। मारीशस सरकार के हित में तथा उनकी इच्छा के अनुसार हम सब कुछ करेंगे। मैं सदन को आश्वासन दिलाता हूं कि हम उनके साथ आर्थिक दृष्टि से और अन्य दृष्टि से भी अपने निकटतम सम्बन्ध बढ़ाना चाहते हैं किन्तु सभी कुछ मारीशस की सरकार के परामर्श से ही हो सकता है। मारीशस सरकार द्वारा प्रस्तावित सुविधाएं सभी देशों के लिये सामान्य हैं, भारत के लिये कोई विशेष

सुविधाएं नहीं हैं। हम इससे भली-भांति अवगत हैं तथा हमें इसका यथासम्भव लाभ उठाना चाहिये।

श्री मनुभाई पटेल : जो प्रश्न श्री सोमानी का है वही मेरा भी था। जो भारतीय अफ्रीका में बस गये हैं उनकी समस्या के प्रति सरकार की काफी सहानुभूति है किन्तु उन्हें उनकी परिसम्पत्तियों सहित भारत में आने की अनुमति दिलाने के सम्बन्ध में भारत सरकार के सामने कुछ तकनीकी कठिनाइयां हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उन लोगों को भी वही सुविधाएं प्रदान करेगी जो मारीशस जाने वाले लोगों को दी जायेंगी क्योंकि पहले ये लोग भी तो भारतीय ही माने जाने चाहिये।

श्री ब० रा० भगत : मारीशस की स्थिति अफ्रीका की स्थिति से नितांत भिन्न है। मारीशस से भारत आने के लिए लोगों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। भारत के लोगों के वहां जाने और उद्योग स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

डा० रानेन सेन : क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि भारतीय बड़े व्यापारी भारतीय साधनों और भारतीय जनता का शोषण करने में ही संतुष्ट नहीं हैं अपितु भारत सरकार की सहायता से वे अपनी पूंजी अफ्रीका और मारीशस जैसे देशों में भी भेज रहे हैं। यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें इसमें प्रोत्साहन दे रही है ?

श्री ब० रा० भगत : हम किसी भी बड़े या अन्य व्यापारी को दूसरे देशों का शोषण करने को प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं। वे तभी जाते हैं जब उन्हें वहां की शर्तें स्वीकार्य होती हैं तथा जहां उनका स्वागत होता है। सभी स्वतंत्र देश इस बारे में पूरे सतर्क रहते हैं तथा हर कोई देश उन्नति करने की इच्छा रखता है। माननीय सदस्य जानते हैं कि आधुनिक राजनय के अनुसार व्यापार, वाणिज्य और अन्य सम्बन्धों को शेष बातों से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है अतः मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को बढ़ाने की नीति ही के अनुसार ये आर्थिक और वाणिज्य सम्बन्ध बनाये जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न संख्या 574 इसके साथ ही प्रश्न संख्या 592 भी लिया जाये।

फिल्मों के निर्यात से प्राप्त आय

*574. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फिल्मों के निर्यात से होने वाली हमारी आय चार करोड़ रुपये तक पहुंच गई है; और

(ख) यदि हां, तो निर्यात और उससे होने वाली आय बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Chowdhary Ram Sewak) : (a) Value of exports of films during 1967-68 and April 1968-November 1968 stood at Rs. 3.89 crores and Rs. 1.90 crores respectively.

(b) Besides participation in International Film Festivals and holding of Indian Films Weeks abroad, a consortium of producers concerned has been formed for intensive export effort in Malaysia and Singapore. A dubbing plant is being installed by the Indian Motion Pictures Export Corporation. Overseas offices of the S. T. C. are rendering on-the-spot facilities to Indian Motion Pictures Export Corporation for promotion of exports in their regions.

श्रीलंका को चलचित्रों का निर्यात

+

*592. **श्री नि० रं० लास्कर :**

श्री रा० बरुआ :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीलंका सरकार ने भारतीय चलचित्रों का आयात 33⅓ प्रतिशत और कम करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1968 के आरम्भ में भी 20 प्रतिशत कमी की गई थी;

(ग) यदि हां, तो इस कटौती के फलस्वरूप भारत को कितनी हानि होने की सम्भावना है; और

(घ) कटौती करने के क्या कारण हैं और इस विषय में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) ऐसा कोई विनिश्चय सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ख) से (घ). यह स्पष्ट है कि चलचित्रों के आयात पर श्रीलंका सरकार ने 1 जनवरी, 1968 से 20 प्रतिशत की कटौती लगा दी है जिसका कारण, अन्य बातों के अतिरिक्त, उसकी विदेशी मुद्रा की कठिनाइयां और स्थानीय चलचित्र उद्योग का संरक्षण करना है। सितम्बर, 1968 में हमें पता लगा कि यह कटौती केवल अंग्रेजी के चलचित्रों के विषय में हटा दी गई है और बाद में हमें बताया गया कि कटौती में केवल 10 प्रतिशत की कमी की गई है। क्योंकि गैर-अंग्रेजी चलचित्रों पर प्रतिबन्ध लगे रहने से मुख्यतः हिन्दी तथा तमिल चलचित्रों पर प्रभाव पड़ता है, अतः कोलम्बो स्थित हमारे उच्चायुक्त की मार्फत श्रीलंका सरकार को विरोध-पत्र भेजा गया। इस समय यह निर्धारित करना सम्भव नहीं है कि श्रीलंका को भारत से इस मद के निर्यात पर कितनी हानि होने की सम्भावना है। स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। इस मामले को भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने आर्थिक सहयोग सम्बन्धी भारत—श्रीलंका समिति की प्रथम बैठक में, जो जनवरी, 1969 में कोलम्बो में हुई थी, भी उठाया था। परन्तु श्रीलंका सरकार कटौती को समाप्त करने के लिये सहमत नहीं हुई है।

Shri Shri Chand Goyal : I would like to know the number of countries to which our films are exported. It has been indicated that certain steps have been taken for giving encouragement to the export of our films. In this context I would like to point out that the duration of our films is usually 2½ hours or 3 hours, whereas the duration of films in foreign countries is 1½ hours or 2 hours. So I would like to know whether steps have been taken to reduce the duration of our films, because it will save expenditure on one hand and on the other hand there will be increased demand of our films in foreign countries. Apart from this foreign countries have been demanding an improvement in the quality of our films. I would like to know the steps being taken in this regard ?

Shri B. R. Bhagat : There are nealy 90 countries to which Indian films are sent and there are 35 such countries with which trade agreements have been concluded for the export of Indian films. So far as the question of encouragement is concerned, 25 percent import replacement on F. O. B. price is allowed and it is more in case of coloured films. Apart from that all facilities for importing raw films are also provided.

So far as the question of reduction in the size of films is concerned, new types of films will have to be prepared other wise there will be no reduction in the cost of production. Separate films will have to be prepared for exports. However, the suggestion given by the Hon. Member will be sent to the Export Corporation.

Shri Shri Chand Goyal : Sir, the present situation is that the Indian Motion Pictures Corporation has a monopoly over the export of Indian films and the other producers have not been given the facility of exporting films of their own choice. The Indian Motion Pictures Export Corporation is not concentrating its energy on the export of films, but it has started giving loans to the film producers. They take loan from the Government at a cheap rate of interest and then advance it to film producers at 12% interest. So, I want to know whether Government will ask the corporation to concentrate its entire energy on the export of Indian films and not indulge in giving loans to producers ?

Shri B. R. Bhagat : The Indian Motion Pictures Export Corporation has private Exporters also as its Members. Its working is complicated. It decides as to what types of films should be produced for encouraging export and it is the function of the Corporation to give proper facilities for the production of those films.

So this function is not separate from that of export. It is co-related with that.

श्री नि० रं० लास्कर : मेरा प्रश्न श्रीलंका को भारतीय चलचित्रों के निर्यात से सम्बन्धित है। मेरे इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर नहीं दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि श्रीलंका को हमारा निर्यात पहले जितना ही है अथवा वह कम हो गया है। श्रीलंका को चलचित्रों के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है ? क्या यह राशि उत्तरोत्तर कम हो रही है अथवा उतनी ही है, जितनी पहले थी ?

श्री ब० रा० भगत : वर्ष 1967-68 में श्रीलंका को 44 लाख रुपये की फिल्मों का निर्यात किया गया और इस वर्ष दिसम्बर तक 21 लाख रुपये की फिल्मों का निर्यात हुआ है।

Shri Shiv Charan Lal : I want to know whether the value of exports of our films to foreign countries is more than the value of imports of foreign films in to our country.

Shri B. R. Bhagat : I do not have the figures regarding imports and exports with me at the moment. I require notice for that.

Shri M. A. Khan : Will the Hon. Minister be pleased to state the name and the educational and professional qualifications of the person who has been appointed the chairman of the Indian Motion Pictures Export Corporation ?

Secondly is it a fact that the person who has been appointed Chairman was defeated in last elections and that is why he has been provided with the Chairmanship and a huge salary has been fixed for him and if so, I would like to know the details of the salary and allowances fixed for him ?

Shri B. R. Bhagat : The appointment of the chairman will be annonced in a day or two. His name is S. M. Tariq.

Shri M. A. Khan : I would like to know the details of salary and allowances fixed for him and whether it is a fact that he was defeated in the last elections ?

Shri B. R. Bhagat : He was a Member of Rajya Sabha.

Shri Atal Bihari Vajpayee : The question about his salary and allowances has not been answered.

Shri B. R. Bhagat : The Exports Corporation is a subsidiary body of the State Trading Corporation. As I have said these things will be announced in a few days, because the rules have not so far been finalised. Shri Tariq will be appointed as a director of this body. As it is an independent body its Chairman will be elected by directors. So it has not so far been decided. There will be elections in the near future and then it will be decided.

Shri Meetha Lal Meena : Sir, many of the film directors and producers get foreign exchange worth lakhs of rupees for shooting in foreign countries by giving an assurance to the Government that they will earn foreign exchange worth crores of rupees when their films are shown in foreign countries ? They give a guarantee to the Government that their films will prove success and thus there will be huge earnings of foreign exchange. But either the films prove failure or they are not completed. I would like to know the action taken by Government against the directors and producers who had given guarantee for earning huge foreign exchange, but who had later completely failed to do so ?

Shri B. R. Bhagat : I do not have the details of the terms of the guarantee at present. But all the terms are there in the guarantee. If the Hon. Member gives me a separate notice for that, I will give him the necessary information.

श्री गणेश घोष : विश्व भर में बंगाली चलचित्रों को बहुत पसन्द किया जाता है। सरकार विदेशों में अधिक बंगाली चलचित्रों का निर्यात करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही हैं, ताकि अधिक विदेशी मुद्रा कमाई जा सके ?

श्री ब० रा० भगत : यह सच है कि कुछ बंगाली चलचित्रों ने अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है और वे बहुत अच्छे चल चित्र हैं। हम अधिक बंगाली चलचित्रों का निर्यात करने के लिये यथासंभव अधिकाधिक कार्यवाही करेंगे।

श्री एस० कंडप्पन : माननीय मंत्री ने कहा है कि श्री लंका को अंग्रेजी फिल्मों के निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है, परन्तु भारतीय फिल्मों और विशेषतया हिन्दी और तमिल फिल्मों के निर्यात पर कुछ प्रतिबन्ध हैं। इन प्रतिबन्धों के कई कारण हो सकते हैं। परन्तु मैं समझता हूं कि इसका एक कारण दर्शकों की पसंद है। हमारे सेंसर बोर्ड के कड़े स्तर के कारण वे लोग हमारी फिल्मों को पसन्द नहीं करते हैं। क्या सरकार बाहर भेजे जाने वाली फिल्मों के लिये एक बिल्कुल भिन्न स्तर कायम करने को तैयार है ?

श्री ब० रा० भगत : मुझे इस कठिनाई की जानकारी नहीं है। वास्तव में हिन्दी तथा तामिल फिल्में श्री लंका में बहुत पसंद की जाती हैं और हम श्री लंका सरकार के साथ इस मामले पर पत्र व्यवहार कर रहे हैं तथा इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि इस प्रतिबन्ध को हटाया जाये।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : कहा गया है कि एक हारे हुए सदस्य को निदेशक बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया है। क्या मंत्री महोदय हारे हुए सदस्य के स्थान पर विपक्ष के एक विजयी सदस्य को निदेशक बोर्ड का सदस्य नियुक्त करने को तैयार है ?

श्री ब० रा० भगत : बोर्ड के सदस्यों का चुनाव होता है।

Shri Prakash Vir Shastri : It has often been seen that Indian businessmen purchase those films which are sent abroad for one and two lakhs of rupees and then earn foreign exchange worth crores of rupees. For example I have personally seen in Tehran and Kabul that the film named "Sangam" was being shown there for the last nine months and even then it was drawing packed houses. So I want to know why Government do not take this business in their own hands, so that the foreign exchange worth crores of rupees which is going in private pockets at present, may be earned by Government.

Shri B. R. Bhagat : The difficulty pointed out by the Hon. Member will be removed because this work will be taken up by the corporation. However their exihibition will depend on the techinical confidence. After some time this work will also be taken over by the corporation.

श्री नाथ पाई : कहा जाता है कि फिल्म की सफलता तीन बातों अर्थात् रोमांच, उत्तेजना तथा प्रेरणा पर निर्भर होती है। यह भी कहा जाता है कि सेंसर बोर्ड की सख्ती के कारण भारतीय फिल्मों में इन तीन बातों की कमी होती जा रही है। यदि यह सच है तो माननीय मंत्री का यह सुनिश्चित करने के लिये कि भारतीय फिल्मों में उपरोक्त तीनों बातें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों, क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री ब० रा० भगत : समय के साथ-साथ इन तीनों बातों के बारे में जनता के विचार भी बदलते रहते हैं। पुरानी पीढ़ी के कुछ और विचार थे तथा नई पीढ़ी के कुछ और विचार हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सेंसर बोर्ड इन बातों पर विचार करता है।

नागालैंड में नागाओं के अतिरिक्त अन्य भारतीयों पर प्रतिबन्ध

+

*577. **श्री रा० की० अमीन :**
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री चं० चु० देसाई :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैंड राज्य में नागाओं के अतिरिक्त अन्य भारतीय नागरिकों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने-जाने पर प्रतिबन्ध है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने नागालैंड सरकार से नागालैंड में भारतीय नागरिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने-जाने की स्वतन्त्रता देने के लिए अनुरोध किया हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में नागालैंड सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) बंगाल पूर्वी सीमांत विनियम, 1873 की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत नागालैंड में रहने वालों को, मणिपुर-दीमापुर मार्ग पर यात्रा करते समय मणिपुर के रहने वालों को और सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर सभी व्यक्तियों पर, जिनमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जो रास्ते में हैं, मुख्य जिला कार्यकारी द्वारा जारी किए गए सरकारी प्रवेश-पत्रों के बिना, नागालैंड की पहाड़ियों के साथ-साथ सीमांकित रेखा के पार जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ।

(ख) और (ग). भारत के दूसरे भागों के लोगों के नागालैंड में प्रवेश के प्रतिबंधों में ढील देने के प्रश्न पर भारत सरकार विचार कर रही है और सुरक्षा-स्थिति में जब और सुधार हो जाएगा तो इसे नागालैंड की सरकार के साथ भी उठाएगी ।

श्री रा० की० अमीन : महोदय, जैसाकि आपको पता है हम भारत में विभिन्नता में एकता कायम करना चाहते हैं और शीघ्र ही हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि नागालैंड भारत का अविभाज्य अंग बने । चूंकि ये सीमावर्ती क्षेत्र भारत के अभिन्न अंग हैं, इसलिये यह बहुत जरूरी है कि इन सीमावर्ती क्षेत्रों में हमारे बलशाली किसानों को बसाया जाये, ताकि इन की सुरक्षा हो सके । क्या सरकार ने इस दशा में कोई कार्यवाही की है कि धीरे-धीरे ये प्रतिबन्ध हटाये जायें और भारत के लोग तथा नागालैंड के लोग इस क्षेत्र का इस प्रकार से विकास करें, जिससे भविष्य में इसकी सुरक्षा सुनिश्चित रहे ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : जी हां, सरकार का मत है कि धीरे-धीरे इन प्रतिबन्धों को उदार बनाया जाना चाहिए । परन्तु विभिन्न कारणों से अर्थात सुरक्षा सम्बन्धी कारणों और नागालैंड के लोगों की भावनाओं को देखते हुए इन प्रतिबन्धों को कुछ समय तक जारी रखना जरूरी समझा गया है ।

श्री रा० की० अमीन : इस समय तो यह ठीक है परन्तु शीघ्र ही हमें ऐसी कार्यवाही करनी चाहिए जिससे यह क्षेत्र भारत का एक अविभाज्य अंग बन सके तथा भारत के लोग वहां रह सकें। क्या मंत्री महोदय इस बारे में कोई आश्वासन दे सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही आश्वासन दे दिया है।

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : नागालैंड पहले ही भारत का अविभाज्य अंग है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य के कहने का अर्थ यह है उसका और अधिक विलय किया जाना चाहिए। हम इस दशा में कार्यवाही कर रहे हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta : Due to these restrictions Nagaland could not make even as much progress in trade and industry as has been made in the rest of India, we went to Nagaland, we found that the people of Nagaland were anxious for having trade with India and for the establishment of industries there. This can happen only if the restrictions imposed on trade, commerce, industry and the movement of Indians there is removed. I want to know whether Government proposes to remove these restrictios in the near future, so that the people of Nagaland may also be benefited with the progress made in India.

Shri Surendra Pal Singh : I have already stated that we have taken steps in this direction, we want the cooperation of Nagaland Government for all these things.

Shri Kanwar Lal Gupta : I want to know the reasons as to why this rule was framed that no Indian except the Nagas will be allowed to have trade or industry there in his own name.

Shri Dinesh Singh : So far as the question of special industry rules for Nagaland are concerned, I want notice for that. I do not have this information at present. So far as the trade is concerned, I think the people going from here are subject to the restriction on the movements of Indians and there are no other restrictions and if there are any I will look into them.

श्री पें० वेंकटासुब्बया : इन प्रतिबन्धों को उदार बनाते समय क्या सरकार इस बात का पूरा ध्यान रखेगी कि नागालैण्ड के निवासियों में यह भावना पैदा न होने पाये कि देश के अन्य भागों के अधिक सम्पन्न तथा शिक्षित लोगों द्वारा उन्हें दबाया जा रहा है तथा क्या सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि वहां निहित हितों वाले व्यापारियों को जाने की अनुमति देने के बजाय सरकारी क्षेत्र में लघु उद्योग स्थापित किये जाएं ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : इन सब बातों का पूरा ध्यान रखा जायेगा। इसीलिये तो मैंने कहा है कि नियमों को उदार बनाने के बारे में जो भी कार्यवाही की जायेगी वह राज्य सरकार की सलाह से की जायेगी, क्योंकि नागालैण्ड के लोगों में यह भावना है कि यदि आने-जाने के प्रतिबन्ध को समाप्त किया गया तो बाहर के लोग उन पर काबू पा लेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

भारत में चीनी दूतावास के कर्मचारियों की गतिविधियों पर प्रतिबन्ध

*575. **श्री गार्डिलिंगन गौड़ :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में चीनी दूतावास के कर्मचारियों की गतिविधियों पर उतने ही प्रतिबन्ध लगाये हैं जितने चीन में हमारे कर्मचारियों पर चीन सरकार ने लगाये हैं;

(ख) क्या यह सच है कि कई अवसरों पर चीनियों ने उन पर लगाये गये प्रतिबन्धों का उल्लंघन किया है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे उल्लंघनों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है और इनकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) नई दिल्ली में चीनी राजदूतावास के कर्मचारियों के आने-जाने पर लगाए गए प्रतिबन्धों के मामले में भारत सरकार मोटे तौर से पारस्परिकता बरतती है ।

(ख) जी हां ।

(ग) भारत सरकार ने चीनी राजदूतावास का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है और उन्हें इस बारे में चेतावनी दी है कि वह इस विषय पर भारत सरकार के विनियमों का पालन करें । हमारी ओर से लगाये गये प्रतिबन्ध अब भी सख्ती से लागू हैं ।

जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य से उर्वरकों और ट्रैक्टरों का आयात

*576. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व जर्मनी लोकतंत्रात्मक गणराज्य से बहुत बड़ी मात्रा में उर्वरकों और ट्रैक्टरों का आयात करने के प्रस्ताव के बारे में भारत तथा जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य के बीच इस समय कोई पत्र-व्यवहार चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो कितना तथा किस किस्म के उर्वरकों का तथा कितने ट्रैक्टरों का आयात किया जायेगा;

(ग) उर्वरकों का प्रति टन मूल्य तथा प्रत्येक ट्रैक्टर का मूल्य क्या है; और

(घ) भारत में निर्मित इन दोनों वस्तुओं की तुलना में आयातित उर्वरकों तथा ट्रैक्टरों के मूल्य कम हैं अथवा अधिक और वे अच्छी किस्म के हैं अथवा घटिया किस्म के ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). राज्य व्यापार निगम ने 1968 के दौरान जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य से लगभग 3.2 करोड़ रु० कुल मूल्य के 20 अश्वशक्ति के 3,000 ट्रैक्टरों के आयात के लिए पहले ही एक संविदा सम्पन्न कर ली है। लगभग 120,000 टन म्यूरियेट आफ पोटाश के आयात के लिये इस समय राज्य व्यापार निगम तथा जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य के तत्स्थानी विदेशी व्यापार उद्यम के बीच बातचीत चल रही है।

(घ) अपेक्षित विशिष्टयों वाली दोनों वस्तुओं का देश में निर्माण नहीं हो रहा है और उनका, मूल्य तथा गुण, दोनों ही के विचार से प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर आयात करने का विचार है।

Revaluation of Loan from and to U. S. S. R. and other East European Countries after Devaluation

*578, **Shri Brij Bhushan Lal:**
Shri Suraj Bhan:
Shri Jagannath Rao Joshi:
Shri Atal Bihari Vajpayee:
Shri Ram Gopal Shalwale:

Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state:

(a) whether the amounts due to and due from India have been revalued by U. S. S. R. and other East European countries after devaluation by India; and

(b) if not, the reasons therefor and the details of the likely impact thereof?

The Minister of Foreign Trade and Supply (Shri B. R. Bhagat): (a) and (b). Following devaluation of the Indian rupee in June, 1966 agreements were reached for the revaluation of amounts due to and due from India with U. S. S. R. and other East European countries.

विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों में वाणिज्यिक सहचारी

*579. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों तथा दूतावासों के वाणिज्यिक सहचारियों तथा तत्समान अन्य अधिकारियों के मुख्य कार्य क्या हैं और क्या उनके पास पूरे समय के लिये पर्याप्त काम है; और

(ख) हमारे देश के माल का निर्यात बढ़ाने के लिये विदेशों में भारतीय वस्तुओं को लोकप्रिय बनाने के लिये इन अधिकारियों द्वारा क्या सहायता दी जाती है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों तथा राजदूतावासों के वाणिज्यिक सहचारियों के पास पूरे समय के लिये पर्याप्त काम है और वे हमारे निर्यातों को बढ़ाने के उद्देश्य से निम्नलिखित कार्यों के लिये उत्तरदायी हैं :—

(1) व्यापार, उद्योग तथा वित्त के मोटे-मोटे प्रश्नों पर मिशनों के प्रमुखों को परामर्श तथा सहायता देना;

(2) भारत सरकार को वाणिज्यिक तथा आर्थिक मामलों पर नियतकालिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना;

(3) व्यापार सम्बन्धी पूछताछों के उत्तर देना, यात्रा पर गये हुए भारतीय व्यापारियों को सहायता देना, चुनी हुई मदों का विपणन सर्वेक्षण करना, विदेशों से आयातित मदों के सैम्पल भेजना जिनका भारत में निर्माण तथा यहां से निर्यात किया जा सकता है, भारत के साथ व्यापार के दावों से उत्पन्न विवादों को निपटाना, सरकार, अर्ध-सरकारी तथा गैर-सरकारी अभिकरणों आदि से टेण्डर प्रपत्रों को भेजना;

(4) भारतीय तथा स्थानीय व्यापार प्रकाशनों के पुस्तकालय बनाकर रखना, प्रदर्शनी तथा मेले आयोजित करना, भारतीय उत्पादों के प्रदर्शन तथा बिक्री के लिये प्रदर्शन कक्षों तथा व्यापार केन्द्रों की देखभाल;

(5) नियतकालिक विज्ञप्तियों, बुलेटिनों, भाषणों, रेडियो वार्ता आदि के माध्यम से भारत की निर्यात सम्भाव्यताओं का प्रचार करना;

(6) भारत के साथ व्यापार के इच्छुक वाणिज्य तथा व्यापार संगठनों के स्थानीय मण्डल, फर्मों, बैंकों आदि के साथ सम्पर्क रखना;

(7) भारतीय वाणिज्यिक समुदाय, उनके व्यवसाय सम्बन्ध तथा पूंजी निवेश आदि के ब्योरे रखना;

(8) राज्य व्यापार निगम, खनिज तथा धातु व्यापार निगम और हस्तशिल्प तथा हथकरघा, निर्यात निगम के प्रतिनिधियों के साथ सम्पर्क रखना;

Import of Cotton from U. S. A.

*580. **Shri Ranjit Singh** : **Shri A. K. Gopalan** :
Shri Deorao Patil : **Shri K. Ramani** :
Shri Nambiar : **Shri P. Rammurthi** :

Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) whether a proposal to import cotton from America is under consideration ;

(b) if so, the details thereof; and

(c) its probable effect on the economic condition and cotton textile industry in India?

The Minister of Foreign Trade and Supply (Shri B. R. Bhagat) : (a) and (b). Negotiations with the U. S. Authorities for an allotment of PL-480 cotton are in progress.

(c) The imports are expected to have a healthy effect.

रूस को रेल डिब्बों का निर्यात

*581. **श्री द० रा० परमार :** **श्री एस० एम० कृष्ण :**
श्री सीताराम केसरी : **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्रीमती तारा सप्रे : **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :**
श्री स० कुण्डू : **श्री एस० एम० जोशी :**
श्री श्रीनिवास मिश्र : **श्री क० मि० मधुकर :**
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस वर्ष 1970-71 से 1976-77 तक की अवधि में भारत से 54,000 रेल डिब्बे खरीदने के लिये सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक किस्म के डिब्बे के निर्धारित मूल्यों का ब्योरा क्या है; और

(ग) भारत ने इसी प्रकार के डिब्बे अन्य देशों को किस मूल्य पर बेचे ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड तथा बी/ओ मशीनी इम्पोर्ट, जो सोवियत संघ का एक क्रय संगठन है, के बीच 13 मार्च, 1968 को हस्ताक्षर हुए करार में वर्ष 1969-70 से 1975-76 तक सोवियत संघ को 54,000 रेल माल डिब्बों के संभरण के कार्यक्रम की व्यवस्था है ।

(ख) बातचीत चल रही है ।

(ग) इस प्रकार के डिब्बों का न तो अभी तक भारत में निर्माण हुआ है और न ही वे अभी किसी अन्य देश को बेचे गये हैं ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात के लिए दिये गये टेण्डर

*582. **श्री सु० कु० तापड़िया :** **श्री सी० मुत्तुस्वामी :**
श्री वि० नरसिम्हा राव : **श्री एम० सुदर्शनम :**
श्री रा० वे० नायक :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से बाहर सरकारी अथवा गैर-सरकारी पक्षों को विभिन्न वस्तुओं की बिक्री के लिये राज्य व्यापार निगम द्वारा गत दो वर्षों में दिये गये टेण्डरों का ब्योरा क्या है;

(ख) इन टेण्डरों के फलस्वरूप राज्य व्यापार निगम को प्राप्त हुये क्रयादेशों का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम के कई टेण्डरों को स्वीकार नहीं किया गया; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (घ). राज्य व्यापार निगम ने 136 टेण्डर दिये थे और 26 मामलों में क्रयादेश प्राप्त हुये थे। टेण्डर स्वीकार न करने के कारण भिन्न-भिन्न मामलों में भिन्न-भिन्न हैं जैसे कि निगम के टेण्डर का सबसे कम न होना। अन्यों द्वारा प्रदान की गई सुपुर्दगी तथा भुगतान की बेहतर शर्तें आदि। कतिपय मामलों में स्वीकार न करने के कारण निगम को बताये नहीं जाते।

दिये गये टेण्डरों अथवा प्राप्त क्रयादेशों के ब्योरे देना निगम के व्यावसायिक हित में नहीं होगा।

उत्तर कोरिया को मैंगनीज अयस्क का निर्यात

*583. **श्री बंश नारायण सिंह** **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री शारदा नन्द : **श्री मृत्युंजय प्रसाद :**
श्री भारत सिंह चौहान :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1968 में उत्तर कोरिया का एक व्यापार प्रतिनिधि-मण्डल नई दिल्ली आया था और उसने भारत से मैंगनीज अयस्क के आयात के लिये एक करार किया था;

(ख) यदि हां, तो इस करार के अन्तर्गत और कौन-कौन-सी वस्तुएं उत्तर कोरिया भेजी जाएंगी;

(ग) क्या भारत सरकार उत्तर कोरिया को ऐसी वस्तुओं का निर्यात करने के लिये सहमत हो गई है, जिनका वह चीन को पुनर्निर्यात कर सकेगा, क्योंकि चीन के साथ उसके बहुत अच्छे सम्बन्ध हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या उत्तर कोरिया सरकार से यह आश्वासन लिया गया है कि भारत से भेजा गया माल चीन नहीं भेजा जायेगा ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) कोरिया के लोकतंत्रीय जनवादी गणराज्य से एक व्यापार प्रतिनिधि-मण्डल नवम्बर-दिसम्बर, 1968 में दोनों देशों के बीच व्यापार विकसित करने की संभाव्यता पर विचार करने के लिये नई दिल्ली आया था। इस यात्रा के दौरान हुई वार्ता के फलस्वरूप 31 दिसम्बर, 1970 को समाप्त होने वाले दो वर्षों की

के लिये व्यापार तथा भुगतान प्रबन्धों के सम्बन्ध में पत्रों का आदान-प्रदान किया गया है। कोरिया के लोकतंत्रीय जनवादी गणराज्य को मैंगनीज अयस्क के निर्यात के लिये कोई ट करार पर हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं तथापि यह उन मदों में से एक है जिसे भारत से श को निर्यात के लिये उपलब्ध मदों की सूची में शामिल किया गया है।

(ख) भारत से कोरिया के लोकतंत्रीय जनवादी गणराज्य को निर्यात के लिये उपलब्ध की सूचियों को कोरिया के लोकतंत्रीय जनवादी गणराज्य के साथ 9 दिसम्बर, 1968 को ा व्यापार तथा भुगतान करार के साथ संलग्न किया गया है जिसकी प्रतियां संसद्-पुस्तकालय पलब्ध हैं।

(ग) तथा (घ). व्यापार तथा भुगतान करार की कंडिका 11 में यह विशिष्ट रूप से ख किया गया है कि दोनों पक्षों के बीच आदान-प्रदान की गई वस्तुएं अपने-अपने देशों में त के लिये होंगी और उनका पुनः निर्यात नहीं किया जायेगा।

रेयन के धागे का आयात

*584. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की ा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बुनकरों के अनुरोध पर रेयन के धागे का आयात करने है ;

(ख) क्या देश में रेयन के धागे का उत्पादन उसकी आवश्यकता से दस प्रतिशत अधिक ; और

(ग) यदि हां, तो इसके और आयात करने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी नहीं।

(ख) 1968 में रेयन धागे, विस्कोज तथा ऐसीटेट, दोनों ही, और जिसमें कता हुआ रेयन धागा भी शामिल है, का उत्पादन 859.4 लाख किग्रा० है और इसे कृत्रिम रेशम बुनाई उद्योग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पर्याप्त समझा जाता है। 1967 में कुल उत्पादन 870 लाख किग्रा० था।

(ग) भाग (क) के उत्तर के संदर्भ में यह प्रश्न नहीं उठता।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा दिया गया विलम्ब शुल्क

*585. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक जहाज के हल्दिया से कलकत्ता की ओर मोड़े जाने के

कारण खनिज तथा धातु व्यापार निगम को भारी विलम्ब शुल्क देना पड़ा;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे अपव्यय को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते।

"टर्नकी" परियोजनाएं

*586. **श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह **बताने की कृपा** करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में भारतीय कम्पनियों द्वारा विश्व के विभिन्न भागों में **"टर्नकी"** परियोजनाएं आरम्भ की हैं;

(ख) यदि हां, तो ये परियोजनाएं क्या हैं और उनका निर्यात मूल्य कितना है;

(ग) इन परियोजनाओं को किन शर्तों तथा नियमों के अधीन आरम्भ किया गया है ; और

(घ) क्या राज्य व्यापार निगम ने ऐसी किसी परियोजना में भाग लिया है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) तथा (ख). जी, हां। निर्यात सम्बन्धी आंकड़े वस्तुवार रखे जाते हैं तथा निर्यात परियोजनाओं के स्वरूप के अनुसार नहीं रखे जाते। फिर भी सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 1965-66 से भारतीय निर्यातकों द्वारा आरम्भ की गई मुख्य औद्योपान्त परियोजनाएं तथा उनके मूल्य संलग्न विवरण (अंग्रेजी में) में दिये गये हैं। **[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 403/69]**

(ग) औद्योपान्त स्वरूप की संविदाओं के लिये कोई मानक शर्तें नहीं हैं। ये शर्तें प्रत्येक संविदा के आधार पर विक्रेता तथा क्रेता के बीच तय होती हैं और उल्लिखित की जाती हैं। ऐसी संविदाओं में जो शर्तें होती हैं उनमें प्रायः ये व्यवस्थाएं की जाती हैं : उपकरण की संतोषजनक जांच, पूर्ण परियोजना का निष्पादन, निरीक्षण, निष्पादन गारण्टी यदि कोई हो। इसके साथ भुगतान, सुपुर्दगी समयक्रम, पैंकिंग तथा जहाज लदान का तरीका, विवादों के निपटान का तरीका, त्रुटि के लिये दण्ड आदि की सामान्य शर्तें तो होती ही हैं।

(घ) राज्य व्यापार निगम ने संयुक्त अरब गणराज्य को पूरी कपड़ा मशीनों और उपकरण की पूर्ति करने के लिये लगभग 4 करोड़ रुपये की एक संविदा की है जिसमें संयंत्र लगाते समय देखरेख, कर्मचारियों का प्रशिक्षण तथा गारण्टी परीक्षण करना भी शामिल है।

फलों का निर्यात

*587. **डा० सुशीला नैयर :**
श्री ए० श्रीधरन :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से फलों का निर्यात बढ़ाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कोई ऐसा कार्यक्रम बनाया है, जिसके अनुसार आगामी पांच वर्षों में फलों का निर्यात किया जायेगा ;

(ग) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा की आय होने का अनुमान है ; और

(घ) किन-किन देशों को फलों का निर्यात किया जायेगा ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (घ). विदेशी व्यापार की भारतीय संस्था द्वारा हाल ही में किये गये सर्वेक्षण में भारत से फलों के निर्यात की काफी सम्भाव्यता का संकेत मिलता है। प्रतिवेदन में दिये गये सुझावों पर विचार किया जा रहा है।

इतनी जल्दी यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि फलों के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की जाने की सम्भावना है और किन देशों को फलों का निर्यात किया जा सकता है।

प्रतिरक्षा उत्पादन विभाग के लिये विदेशी मुद्रा

*588. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा उत्पादन विभाग ने चौथी योजना में एक हजार करोड़ रुपये के अतिरिक्त परिव्यय की मांग की है जिनमें अधिकांश भाग विदेशी मुद्रा का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई और यह धनराशि किस प्रयोजन के लिये चाहिये ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख). चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969-74) के दौरान रक्षा उत्पादन विभाग की आवश्यकताएं सरकार द्वारा विचाराधीन रक्षा योजना (1969-74) का अंशभूत है। रक्षा उत्पादन विभाग के लिए कैपिटल औटले, प्रश्न में सुझाए गए औटले से काफी कम है।

Compensation for Land Acquired for Hindon Airport

*589. **Kumari Kamla Kumari:** Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 819 on the 18th December, 1968 and state:

(a) the time by which the compensation in respect of the remaining land acquired from the farmers for the Hindon Airport would be determined;

(b) when the land was acquired by the Minister;

(c) the grounds on which the disposal of the matter is taking so much time; and

(d) whether Government would appoint an investigation committee for awarding compensation to dispose of the matter expeditiously?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): (a), (c) and (d). It is for the Land Acquisition Collector to determine compensation in accordance with the procedure prescribed by law. Efforts are being made to expedite the same. It is not considered necessary to appoint a committee.

(b) Approximately 185 acres were acquired in 1919 and 1951; 2,200 acres were acquired in 1964 and 1965 and 190 acres were acquired in 1966.

Russian Arms for Pakistan

590. **Shri Kanwar Lal Gupta:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) the types of arms and ammunitions supplied by Russia to Pakistan so far and the arms and ammunitions likely to be supplied shortly;

(b) the details of the talks held between India and U. S. S. R. during the last six months in this connection; and

(c) the results thereof?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): (a) to (c). According to our information the equipment so far supplied by the Soviet Union to Pakistan include helicopters, ammunition, vehicles, tanks and spare parts for aircraft and vehicles. Though the Soviet Union on their part have re-assured us that their decision to supply a comparatively smaller quantity of arms to Pakistan does not in any way lessen their friendship for India, during our talks with the Soviet authorities, we have pointed out that Pakistan had no reasonable justification for augmenting its armed strength and that such sale of arms would only accentuate tension in the sub-continent.

Removal of Buddha Statues in Tibet

*591. **Shri Raghuvir Singh Shastri:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether the attention of the Government of India has been drawn to the report that the Chinese people have started removing Buddha's Statues from the 'Maths' in Tibet and have started installing the statues of Mao in their places;

(b) whether it is also a fact that China has intensified her campaign of violation of religious freedom and suppression of Tibetans; and

(c) whether Government have decided to recognise the exiled Government of Dalai Lama and to support the Tibetans under these circumstances?

The Minister of External Affairs (Shri Dinesh Singh): (a) Government have seen reports in the Chinese press indicating that as a result of the dissemination of Mao Tse-tun's Thoughts in Tibet, portraits of Mao are generally replacing Lord Budda's Statues.

(b) The violation of the religious freedom of Tibetans and the deprivation of their fundamental Humam Rights are now well known.

(c) The Government of India's policy does not extend to giving political statues to His Holiness the Dalai Lama. Government have supported UN Resolutions calling for cessation of practices which result in the deprivation of the fundamental Human Rights in Tibet.

जवानों के मांस के राशन में कटौती को बहाल करना

*593. **श्री मधु लिमये :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मितव्ययिता की दृष्टि से जवानों के लिये मांस के राशन में कटौती करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या मांगों पर चर्चा के दौरान इस झूठी मितव्ययिता का विरोध किया गया था ;

(ग) क्या मंत्री ने इस बीच एक संसद् सदस्य को सूचना दी है कि मांस के राशन में कटौती बहाल कर दी जायेगी ; और

(घ) यदि हां, तो क्या मांस के राशन की इस बहाली को वास्तव में लागू कर दिया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) मूल राशन की राशि 1-4-1968 से बहाल कर दी गई है। ऐसा प्रयोगात्मक आधार पर अगस्त, 1967 में फैसला किया गया था, कि उचित दरों पर मांस की आवश्यकताओं की प्राप्ति में बढ़ती हुई कठिनाई के कारण मांस में एक सप्ताह के लिए मांस के बदले प्रतिबदल जैसे कि दूध, अण्डे और मुर्ग जारी किए जाएं।

(ख) जी हां।

(ग) तथा (घ). संसद् सदस्य महोदय को सूचित कर दिया गया था कि दिनांक 25-3-1968 के आदेशों द्वारा मांस में की गई कटौती 1-4-1968 से पहले ही पूरी तरह बहाल कर दी गई थी।

Assignment of Miscellaneous Jobs to Jawans

*594. **Shri Prakash Vir Shastri:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government have received some suggestions to keep the Jawans engaged usefully in their assigned jobs and not to utilise their services for other purposes ;

(b) whether these suggestions have been received on the basis of complaints received for their services being utilised for miscellaneous jobs; and

(c) if so, whether Government propose to look into the matter at their level and to take a firm decision in this regard?

The Minister of Defence (Shri Swarn Singh) : (a) to (c). Instructions already exist forbidding the use of Jawans for purposes other than their assigned jobs. Complaints recived about violation of these instructions are duly looked into and suitable action taken.

ब्रिटेन के सहयोग से सुपरसोनिक विमान का निर्माण

*595. **श्री क० लकप्पा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कारपोरेशन के सहयोग से सुपरसोनिक विमान का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो सहयोग की शर्तें क्या हैं ; और

(ग) इस पर कितना खर्च किये जाने की सम्भावना है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) लाइसेन्स के अन्तर्गत जगुआर विमान का भारत में निर्माण प्रस्तावित करने के लिए ब्रिटिश विमान निगम से एक पेशकश प्राप्त हुई है ।

(ख) निर्माताओं ने इस प्रावस्था पर सहयोग की केवल मुख्य शर्तें ही बताई हैं । साधारण वाणिज्य प्रक्रिया के अनुसार पेशकश के विस्तार प्रकट करना सम्भव नहीं है ।

(ग) अभी जगुआर विमान का आंकन हस्तगत नहीं किया गया है । इस प्रायोजना पर खर्च की जाने वाली निधियों का तभी ही हिसाब लगाया जाएगा, जब अन्त में इस विमान में हमारी रुचि हुई ।

विद्रोही नागाओं के पास चीनी हथियार

*596. **श्री हेम बरुआ** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन से लौटे विद्रोही नागाओं से हाल में दो रिकायललेस चीनी तोपें बरामद को गयी थीं ;

(ख) यदि हां, तो यह तोपें किस प्रकार को हैं और इन्हें किन परिस्थितियों में बरामद किया गया ; और

(ग) विद्रोही नागाओं द्वारा चीन में बने हथियारों को भारत में लाने से रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख). 2 दिसम्बर, 1968 को एक छापे में एक भूमि शिविर से एक चीनी राईफल गोली बारूद समेत और चार हथगोले पकड़े गए थे। इसके अतिरिक्त चीन से लौटे दलों से हमारी सुरक्षा सेनाओं द्वारा चीनी निर्माण के आयुधों और गोली बारूद की एक भारी राशि भी पकड़ी गई थी। परन्तु उनमें रिकायललेस गन कोई नहीं थी।

(ग) राज्य सरकार तथा सुरक्षा सेनाओं द्वारा आयुधों की पहुंच रोकने के लिए उचित उपाय किए गए हैं। प्रशासनिक केन्द्रों पर अतिरिक्त पुलिस तैनात की गई है। गुप्तचर तन्त्र में सुधार किया गया है। पहुंच के सम्भाव्य रास्तों में रक्षा सेनाओं द्वारा सतर्कता दृढ़ कर दी गई है। इस काम में स्थानीय अधिकरणों की ग्राम संरक्षक भी हाथ बटाते रहते हैं।

आयुध कारखानों में स्कूटरों का निर्माण

*597. **श्री वेदव्रत बरुआ** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधीन किसी आयुध कारखाने ने कम लागत पर स्कूटरों का निर्माण करने की कोई योजना प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस आयुध कारखाने को अनुमति नहीं दी गई थी कि इस योजना के सम्बन्ध में आगे कार्य करें ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते।

नेपाल के लिये निर्बाध पत्तन सुविधाएं

*598. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में नेपाल को निर्बाध पत्तन सुविधाएं उपलब्ध करने के प्रश्न पर हाल में हुई भारत-नेपाल वार्ता में विचार किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). कलकत्ता बंदरगाह पर नेपाल को स्वत:पूर्ण एक स्थान देने के प्रश्न पर काठमांडू में अन्तर-सरकारी वार्ता में विचार विमर्श हुआ था जो 15 से 19 नवम्बर, 1968 तक हुई थी। उस समय इस बात पर सहमति हुई थी कि इस बारे में आगे कार्यवाही तब की जाएगी जबकि ब्रसल्ज में भारत के राजदूत और बान्न में नेपाल के राजदूत यूरोप के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों का सम्मिलित सर्वेक्षण करके सम्मिलित रिपोर्ट दे देंगे जिन पर "पारगमन" यातायात होता हो। उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

वायु सेना के विमान चालक

*599. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वायु सेना के एक विमान चालक के प्रशिक्षण पर सरकार कुल कितनी धन-राशि खर्च करती है और प्रशिक्षण की कुल अवधि कितनी है ;

(ख) नि:शुल्क प्रशिक्षण के बदले में एक विमान चालक के लिये वायुसेना में कितनी अवधि तक सेवा करना अनिवार्य है ;

(ग) क्या यह सच है कि उपर्युक्त बन्धन के बावजूद वायुसेना के 40 से अधिक विमान चालक एयर इण्डिया में कार्य कर रहे हैं और 200 अन्य विमान चालकों ने भी एयर इण्डिया में नौकरियों के लिये आवेदन-पत्र भेजे हैं ;

(घ) इन विमान चालकों द्वारा वायुसेना छोड़े जाने और एयर इण्डिया में कार्य करने के सही-सही क्या कारण हैं और दोनों स्थानों की उपलब्धियों और विशेषाधिकार क्या हैं ; और

(ङ) क्या इतनी बड़ी संख्या में विशिष्ट रूप से प्रशिक्षित विमान चालकों को अन्य सेवा में जाने की अनुमति देने से देश की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर नहीं पड़ जायेगी ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) प्रशिक्षण की आवश्यक अवधि, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 3 वर्षों समेत औसतन साढ़े चार वर्ष है। एक लड़ाका विमान चालक की हालत में इस अवधि में प्रशिक्षण पर लागत लगभग 5,41,600 रुपये है, और परिवहन विमान चालक की हालत में लगभग 4,11,600 रुपये।

(ख) जनरल ड्यूटी स्कंध के किसी अफसर को सेवा निवृत्ति के लिए निर्धारित आयु तक सेवा करना होती है, या टेन्योर की सम्पूर्ति तक।

(ग) इस समय एयर इन्डिया में 48 आई० ए० एफ० विमान चालक काम कर रहे हैं। उस संगठन में नियुक्तियों के लिए लगभग 165 आई० ए० एफ० विमान चालकों ने प्रार्थना पत्र भेजे थे।

(घ) एयर इंडिया में शामिल होने के लिए विमुक्ति के लिये वायुसेना के विमान चालकों के प्रार्थना करने का कारण बहतर उपलब्धियां हो सकती हैं। एयर इंडिया के विमान चालक वायुसेना में उपलब्ध शर्तों से भिन्न शर्तों द्वारा शासित हैं। इस लिए विमान चालकों के दोनों वर्गों की उपलब्धियां और विशेषाधिकारों के सम्बन्ध में कोई उचित तुलना नहीं की जा सकती।

(ङ) जी नहीं। केवल उन विमान चालकों को ही एयर इंडिया में नियुक्ति के लिए निमुक्त किया गया था, जो वायुसेना की आवश्यकताओं में बाधा न डालते, फालतू किए जा सकते थे।

विदेशों में भारतीय दूतावासों में सांस्कृतिक सहचारी राजदूत 'अटैशे'

*600. **श्री बलराज मधोक** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में भारतीय दूतावासों में कुल कितने सांस्कृतिक सहचारी राजदूत 'अटैशे' हैं और वे किन-किन देशों में नियुक्त हैं ;

(ख) इन सांस्कृतिक सहचारी राजदूतों की अर्हताएं क्या हैं ; और

(ग) उनमें से कितने व्यक्तियों को संस्कृत तथा भारतीय इतिहास का ज्ञान है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग). काठमांडू स्थित अपने मिशन में केवल एक सहचारी है ।

इस पद के लिए, हिन्दी का ज्ञान होना, भारतीय इतिहास का सामान्य परिचय होना और भारतीय सभ्यता की मौलिक बातों तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में भारतीय उपलब्धि का पूर्ण ज्ञान होना, आवश्यक अर्हताएं हैं ।

वर्तमान पदधारी, डा० इन्दु शेखर, अन्य योग्यताओं के अतिरिक्त, संस्कृत और हिन्दी में एम० ए० हैं और साथ ही, उनके पास प्राचीन भारतीय अध्ययन में एम० लिट० की डिग्री है ।

नेपाल के अंग दोरजी लामा का निरोध

3582. **श्री बाबूराव पटेल : क्या वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेपाल के अंग दोरजी लामा को सेना द्वारा गिरफ्तार करने और उसे 21 जून से 26 सितम्बर, 1968 तक निरुद्ध रखने के क्या कारण हैं ;

(ख) नेपाल सरकार ने किस प्रकार का विरोध प्रकट किया था जिसके परिणामस्वरूप नेफा प्रशासन ने उसे रिहा कर दिया था ;

(ग) क्या यह सच है कि अंग दोरजी लामा चीनी सरकार की प्रेरणा पर जासूसी तथा तोड़ फोड़ में लगा हुआ था ;

(घ) नेपाल सरकार द्वारा उसकी ओर से हस्तक्षेप करने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) अंग दोरजी लामा अब कहां हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) नेफा में, 21 जून, 1968 को सेना अधिकारियों ने अपने अधिकार से अंग दोरजी लामा को गिरफ्तार किया था। उन्हें, 26 सितम्बर, 1968 को रिहा कर दिया गया था ।

(ख) नेपाल सरकार की ओर से कोई विरोध नहीं प्रकट किया गया था। किन्तु अंग दोरजी लामा की रिहाई के लिए उन्होंने निवेदन किया था ।

(ग) जी नहीं।

(घ) नेपाल सरकार ने उनकी ओर से मध्यस्थता की थी, क्योंकि वे नेपाली राष्ट्रिक थे।

(ङ) अंग दोरजी लामा के वर्तमान अते-पते की खोज की जा रही है।

एच० जे० ई० 2500 जेट विमान इंजिन

3583. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स में बनाये गये एच० जे० ई० 255 जेट विमान इंजिनों का अपेक्षित परीक्षण कर लिया गया है और ये प्रयोग के लिये तैयार हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) अभी काफी विकास कार्य करना शेष है, और प्रायोजना की कार्यसीमा का पुनरीक्षण किया जा रहा है।

Powerlooms in Madhya Pradesh

3584. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a meeting was held at Indore at the end of the year 1966 wherein the representative of the Textile Commissioner had made it clear that 300 powerlooms would be supplied to the textile mills for making them economical and the Madhya Pradesh State Industries Corporation has purchased 100 powerlooms on this basis;

(b) whether it is also a fact that the State Administration had approached Government on 6th March, 1968 to set up 100 power-looms in Sanavad Textile Mills and the proposal was turned down by Government on the 18th August, 1968; and

(c) if so, whether Government deem it proper that the power-looms purchased by the Madhya Pradesh State Industries Corporation on the assurance of the Textile Commissioner should be idle and thus cause financial loss to the Sanavad Textile Mills to which the State Administration has given grants?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Chowdhary Ram Sewak) : (a) to (c). As per Government's policy existing at the end of 1966, each cotton spinning mill was eligible to install 300 looms. Subsequently in the middle of 1967, this policy underwent a change and a complete ban was imposed on further expansion in the cotton textile industry. In accordance with that policy, the party's application for grant of licence for 100 power looms was turned down on 23rd August, 1968.

The Madhya Pradesh State Industries Corporation in their licensing application had made no mention that they had purchased 100 power-looms. In fact, in their subsequent letters they had requested for only 25 power-looms or even a small number. Government is not aware of purchase of 100 power-looms by the Corporation.

Violation of Regulations of Export Import Licences

3585. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) the names and addresses of those individuals and firms who were actually penalised for violating the terms of import and export licences issued to them during the year 1968 and the nature of penalty imposed in each case ;

(b) the names and addresses of such of the above individuals and firms, whose names were included in black list for these violations in the said period ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Chowdhary Ram Sewak) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

राज्य व्यापार निगम द्वारा लिया जाने वाला सेवा शुल्क

3588. **श्री न० कु० सांघी :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम पूर्वी यूरोप के देशों से ट्रैक्टरों के पुर्जों, डीजल इंजनों के पुर्जों, ईंधन अन्तःक्षेप्य उपकरणों, एक्सरे उपकरणों आदि का आयात करने के लिये विभिन्न व्यापार संस्थाओं से कोई सेवा शुल्क लेता है ; और यदि हां, तो कितना प्रतिशत सेवा शुल्क लेता है ;

(ख) क्या पूर्वी यूरोप के देशों से राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयात किये जाने वाले बेयरिंगों के आयात पर भी सेवा शुल्क लिया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो बेयरिंगों पर अधिक प्रतिशतता के सेवा शुल्क लिये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) 1965-66, 1966-67 और 1967-68 में राज्य व्यापार निगम द्वारा बेयरिंगों तथा अन्य उपकरणों पर पृथक-पृथक कुल कितना सेवा शुल्क लिया गया तथा कुल कितनी राशि के लिये लाइसेंस दिये गये ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां । एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है जिसमें पूर्वी यूरोपीय देशों से इंजीनियरी सामान के आयात पर राज्य व्यापार निगम द्वारा लिये जाने वाले सेवा प्रभारों को दिखाया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 404/69]

(ख) जी हां ।

(ग) बेयरिंगों पर कुछ अधिक प्रतिशत सेवा प्रभार लगाया गया है, ताकि इस महत्वपूर्ण औद्योगिक संघटक के विक्रय मूल्यों को युक्तिसंगत बनाया जा सके । अतिरिक्त लाभ निगम द्वारा रख लिया जाता है जिससे आयातक फर्मों द्वारा कदाचार करने की सम्भावना समाप्त हो जाती है ।

(घ) निगम द्वारा बेयरिंगों पर लिये जाने वाले सेवा प्रभारों का अलग से कोई हिसाब नहीं रखा जाता है। इंजीनियरी मदों के सम्बन्ध में निगम द्वारा वसूल किये गये सेवा प्रभार निम्नलिखित थे :

1965-66	24,69,396.60 रु०
1966-67	33,09,917.98 रु०
1967-68	30,78,679.51 रु०

स्टाक तथा बिक्री आधार पर निगम द्वारा विभिन्न देशों से इंजीनियरी सामान के आयात के लिये गत तीन वर्षों में दिये गये लाइसेंसों के कुल मूल्य नीचे दिये गये हैं :

1965-66	1313.10 लाख रु०
1966-67	2751.94 लाख रु०
1967-68	1994.82 लाख रु०

गार्डन रीच वर्कशाप, कलकत्ता तथा गोआ नौसेना के अड्डे पर परामर्शदातृ कार्य

3589. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गार्डन रीच वर्कशाप कलकत्ता तथा गोआ में नौ सेना के अड्डे के कार्य के बारे में परामर्शदातृ कार्य ब्रूस ह्वाईट नामक एक विदेशी सार्थ को दिया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसे भारतीय परामर्शदाता भी हैं जो यह कार्य उतना ही अच्छी तरह कर सकते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो एक विदेशी सार्थ को उक्त परामर्शदातृ कार्य देने और देश की मूल्यवान विदेशी मुद्रा की हानि करने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग). सर ब्रूस वाईट वुल्फ वेरी तथा साझीदार (भारत) 15 हजार रुपये मंत्रणा शुल्क पर शक्यता रिपोर्ट करने में सर्वश्री गार्डन रीच वर्कशाप द्वारा नियुक्त की गई भारत में रजिस्टर शुदा एक फर्म को गोवा के नौसैनिक अड्डे के लिए मन्त्रणादाताओं के तौर नियुक्त नहीं किया गया विदेशी मुद्रा की कोई अदायगी अन्तर्ग्रस्त नहीं है और मन्त्रणा शुल्क केवल रुपयों में देय है। इसमें फर्म की शक्यता रिपोर्ट देने को कहा गया था, क्योंकि मजगांव डाक लि० में वैसे ही कार्य का उन्हें अनुभव है।

डिब्बा बन्द तैयार खाद्य पदार्थों का निर्यात

3590. **श्रीमती इलापाल चौधरी :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1968 से 31 दिसम्बर, 1968 तक की अवधि में वर्ष 1966 तथा 1967

में इसी अवधि की तुलना में कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के डिब्बा बन्द तैयार खाद्य पदार्थों का निर्यात किया गया ;

(ख) निर्यात किए गए डिब्बा बन्द मुख्य खाद्य पदार्थों का ब्योरा क्या है तथा इनका निर्यात किन देशों को किया गया है ; और

(ग) यदि इनका निर्यात बढ़ाने के लिये कोई उपाय करने का विचार है, तो वे क्या हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 405/69]

(ग) साधित खाद्य मदों का निर्यात बढ़ाने के लिये, निम्नलिखित उपाय पहले ही किये जा चुके हैं :

(1) चीनी के मूल्य को निष्प्रभावी बनाने के लिये, चीनी आधारित उत्पादों के निर्यातों के जहाज पर मूल्यों पर 3 प्रतिशत से 17 प्रतिशत तक की नकदी सहायता दी जाती है ।

(2) कच्चे माल तथा पैकेजिंग सामग्री के आयात के लिये जहाज पर मूल्यों के 5 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक के आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस दिये जाते हैं ।

(4) पैकेजिंग के लिये इस्तेमाल होने वाली टिन प्लेट पर शुल्क वापसी दी जाती है । निर्यात के लिये उत्पादों में प्रयोग होने वाली चीनी पर उत्पादन शुल्क की छूट दी जाती है । इसके अतिरिक्त निर्यात आदेशों को पूरा करने के लिये उद्ग्रहण कोटे में से नियंत्रित दरों पर चीनी दी जाती है ।

इनके अतिरिक्त, विदेशों में निर्यात की अधिक संभाव्यता वाले उत्पादों के विषय में कुछ विशिष्ट प्रस्तावों पर भी विचार किया जा रहा है ।

भारत नेपाल तकनीकी परिषद्

3591. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और नेपाल ने एक तकनीकी परिषद स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यह कब तक स्थापित किया जायेगा ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

India's Exports during the year 1969-70

3592. **Shri Narain Swarup Sharma: Shri Ram Swarup Vidyarthi: Kumari Kamala Kumari: Shri Om Prakash Tyagi: Shri Onkar Singh: Shri Hukam Chand Kachwai:**

Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state:

(a) whether Government propose to take any special steps in the year 1969 to promote export trade;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the target of export fixed by Government for the year 1969?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Chowdhary Ram Sewak): (a) and (b). Details of export promotion measures taken in the past have been laid on the Table of the House in reply to Lok Sabha Unstarred Question No. 182 answered on 18th February, 1969. Recent Developments in the field of export promotion are:—

(i) The Industrial Development Bank of India has announced a scheme under which, in cooperation with commercial banks, it would provide long term finance and guarantee facilities to industrial firm exporting capital goods, engineering goods or related services.

(ii) The period of packing credit has been extended from three months to six months.

(iii) Reduction of export duties on major items like jute, tea, etc. and export market development allowance announced in the last Budget.

In addition to the above measures a number of other measures are under consideration and will be announced shortly.

(c) The target of exports for 1969-70 which would be the first year of the Fourth Plan would be set along with other targets for the Fourth Five Year Plan.

भारतीय राज्य व्यापार निगम

3593. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड की उसकी स्थापना के समय अधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी कितनी थी तथा 31 मार्च, 1968 को यह राशि कितनी थी ;

(ख) 31 मार्च, 1968 को निगम पर केन्द्रीय सरकार बैंकों अथवा अन्य पार्टियों की ऋण की राशि कितनी थी ;

(ग) पिछले तीन वर्षों में निगम ने कितना ब्याज दिया ;

(घ) पिछले तीन वर्षों में निगम के कार्य-करण के क्या परिणाम रहे ; और

(ङ) निगम ने कितना लाभ कमाया अथवा निगम को कितना घाटा हुआ, यदि कोई घाटा हुआ है, तो घाटे के मुख्य कारण क्या हैं ; तथा वर्ष 1968-69 के बारे में क्या अनुमान है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) :

(क)	**अधिकृत पूंजी**	**प्रदत्त पूंजी**
18-5-56	रु० 1 करोड़	रु० 5 लाख
31-3-68	रु० 5 करोड़	रु० 2 करोड़

(ख) भारतीय स्टेट बैंक का	16.16 करोड़ रु०
भारत सरकार का	2.00 करोड़ रु०
विदेशी बैंक का	9.04 करोड़ रु०
अन्यों का	0.01 करोड़ रु०
योग..	27.21 करोड़ रु०

(ग) 1965-66	16,42,797 रु०
1966-67	93,34,364 रु०
1967-68	1,82,16,872 रु०

(घ) तथा (ङ). विगत तीन वर्षों में कार्य-करण के परिणाम निम्नलिखित हैं :

आंकड़े करोड़ रु० में

वर्ष	**कराधान से पूर्व लाभ**	**कर**	**कर के पश्चात् लाभ**	**कर से पूर्व के लाभ का बिक्री से प्र० श०**
1965-66	4.24	2.65	1.59	6.90
1966-67	2.34	1.47	0.87	2.31
1967-68	7.66	5.35	2.31	5.4

वर्ष 1968-69 में 2 करोड़ रु० से अधिक लाभ होने का अनुमान है ।

अति महीन सूती कपड़ा मिलें

3594. **श्री सु० कु० तापड़िया :** **श्री मुत्तु स्वामी :**
श्री रा० वे० नायक : **श्री चं० चु० देसाई :**
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अति महीन सूती कपड़ा बनाने वाली कितनी मिलें हैं तथा उनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है ;

(ख) फरवरी, 1969 में इन मिलों में कितना तथा कितने मूल्य का कपड़ा बिना बिका पड़ा था ;

(ग) क्या ये मिलें संकट का सामना कर रही हैं और क्या सरकार का ध्यान इस बारे में 9 जनवरी, 1969 के 'इकानामिक्स टाइम्स' में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इन मिलों के भार को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) सम्भवतः, अति महीन सूती कपड़ा मिलों से माननीय सदस्य का अभिप्राय अति महीन कपड़ा बनाने वाली सूती कपड़ा मिलों से है। साधारणतया कोई मिल भी एकमात्र अति महीन कपड़े का उत्पादन नहीं करती। तथापि देश में आठ मिलीजुली मिलें हैं, जिनका अति महीन कपड़े का उत्पादन उनके कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत अथवा अधिक है। 1968 में उनका कुल उत्पादन 16 करोड़ मीटर होने का अनुमान है, जिसमें से 13.1 करोड़ मीटर अति महीन कपड़ा था।

(ख) अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं है। फिर भी फरवरी, 1969 के अन्त में इन आठ मिलों के पास सभी प्रकार के कपड़े की 4015 गांठें बिना बिकी पड़ी हुई थीं।

(ग) तथा (घ). सरकार के पास इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है कि इन मिलों को किसी संकट का सामना करना पड़ रहा है। परन्तु सरकार ने 9 जनवरी, 1969 के "इकानोमिक टाइम्स" में प्रकाशित लेख को देखा है, जिसका अन्तर्विषय व्यापक स्वरूप का है। सूती कपड़ा उद्योग को राहत देने के लिये सरकार द्वारा किये गये कुछ उपाय 1969-70 के बजट में घोषित किये गये थे।

अहमदाबाद में कपड़ा मिलों का बन्द होना

3595. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बन्द होने वाली कपड़ा मिलों की संख्या अहमदाबाद में बढ़ रही है और दिसम्बर, 1968 में लगभग 8 कपड़ा मिलें बन्द थीं ;

(ख) यदि हां, तो उनके बन्द होने के मुख्य कारण क्या हैं ;

(ग) क्या उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार उन्हें सहायता देने का विचार कर रही है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या राज्य सरकार से मिल मालिकों की सहायता करने के लिये कहा गया है ताकि ये मिलें पुनः चालू हो सकें ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) 1968 में अहमदाबाद में बन्द मिलों की संख्या बढ़ गई थी। दिसम्बर, 1968 में 7 मिलें बन्द थीं, न कि 8 मिलें जैसाकि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है।

(ख) इन मिलों के बन्द होने का मुख्य कारण वित्तीय कठिनाइयां हैं।

(ग) तथा (घ). इन मिलों में से एक मिल में 9-12-68 को पुनः कार्य शुरू हो गया था तथा एक अन्य मिल के सम्बन्ध में परिसमापन की कार्यवाही उच्च न्यायालय में लम्बित पड़ी हुई है। 2 मिलों के मामलों के सम्बन्ध में हाल ही में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत नियुक्ति जांच समिति द्वारा जांच की गई है। समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद सरकार ने इन मिलों में से एक के लिये प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त कर दिया है तथा दूसरी मिल के सम्बन्ध में प्रतिवेदन विचाराधीन है। उपर्युक्त अधिनियम के अन्तर्गत एक अन्य मिल के मामले की भी जांच की गई थी, परन्तु क्योंकि उसके परिसमापन की कार्यवाही उच्च न्यायालय में लम्बित पड़ी हुई है, इसलिए उपर्युक्त अधिनियम के अन्तर्गत आगे कोई कार्यवाही न की जा सकी। बाकी दो मिलों के मामलों की जांच की जा रही है तथा समिति का प्रतिवेदन मिल जाने के बाद आगे की कार्यवाही की जायेगी।

(ङ) जी नहीं।

सोमालिया के साथ व्यापार

3596. **श्री चेंगलराया नायडू : वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के प्रधान मंत्री तथा सोमालिया के राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी संयुक्त विज्ञप्ति में उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने पर जोर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) क्या भारत से उस देश में कोई प्रतिनिधिमंडल भेजे जाने का प्रस्ताव है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां। सोमालिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के अवसर पर जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति में दोनों देशों के वाणिज्यिक तथा आर्थिक सम्बन्धों को विकसित करने तथा मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

(ख) सोमालिया में भारतीय दूतावास ने उन उत्पादों का पता लगाने के उद्देश्य से जिन्हें एक दूसरे देश को भेज सकता है, सोमालिया सरकार के सम्बद्ध विभागों के साथ विचार-विमर्श किया है।

(ग) इस समय ऐसा कोई विचार नहीं है।

मेवों के आयात के लिये लाइसेंस

3597. **श्री गार्डिलिंगन गौड़ : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मेवों के आयात के लिये अंधाधुंध लाइसेंस देने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस दिशा में नीति को अधिक स्पष्ट बनाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

रेल डिब्बों आदि (रोलिंग स्टाक) का निर्यात

3598. **श्री गार्डिलिंगन गौड़ : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 में भारत में किन-किन देशों को रेल डिब्बों आदि का निर्यात किया था ;

(ख) प्रत्येक देश को कितना तथा कितने मूल्य का निर्यात किया गया था ;

(ग) भुगतान किस रूप में किया गया था ;

(घ) क्या निर्यात किये गये रेल डिब्बों आदि की घटिया किस्म होने के बारे में सरकार को शिकायतें मिली हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). वर्ष 1967-68 में रेल के माल डिब्बों/सवारी डिब्बों के निर्यात निम्नलिखित थे :

देश	**संख्या**	**मूल्य लाख रु० में**
(1) **रेल के सवारी डिब्बे**		
बर्मा	4	10.00
थाइलैण्ड	3	0.65
(2) **रेल के माल डिब्बे**		
हंगरी	446	205.92
केन्या	20	5.56

(इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद् के प्राधिकार से)

(ग) हंगरी को निर्यात 4 वर्ष के लिए आस्थगित आधार पर है और अन्य सभी मामलों में सामान्य रूप में है ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

व्यापार बोर्ड की बैठक

3599. **श्री नि० रं० लास्कर :** **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री रा० बरुआ : **डा० सुशीला नैयर :**
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 22 जनवरी, 1969 को व्यापार बोर्ड की बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन विषयों पर विचार किया गया था ; और

(ग) क्या निर्णय किये गये ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) व्यापार बोर्ड की बैठक 22 जनवरी, 1969 को नहीं हुई थी अपितु 23 जनवरी, 1969 को हुई थी ।

(ख) तथा (ग). बैठक के कार्यवृत्त की चार प्रतियां, जिनमें विभिन्न चर्चित विषय दिये गये हैं, संसद्-पुस्तकालय में पहले ही रख दी गयी हैं ।

सरकार सुझावों पर विचार कर रही है ।

भारतीय वैदेशिक व्यापार परिषद् द्वारा भेजे गये प्रतिनिधिमंडल की यात्रा

3600. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
श्री रवि राय :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय वैदेशिक व्यापार परिषद् द्वारा पांच देशों को भेजे गये प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के क्या नाम हैं ;

(ख) प्रतिनिधिमंडल ने किन-किन देशों की यात्रा की ;

(ग) प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के लिये कुल कितनी विदेशी मुद्रा दी गई थी ; और

(घ) प्रतिनिधिमंडल की यात्रा का क्या परिणाम रहा ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (घ). भारतीय विदेशी व्यापार परिषद् द्वारा पहले सितम्बर, 1968 में जिस प्रतिनिधिमंडल को

प्रायोजित किया था वह विदेश नहीं गया। यदि परिषद् अब किसी प्रतिनिधिमंडल को बाहर भेजना चाहती है तो उसे एक नया प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।

महुआ (गुजरात राज्य) स्थित कपड़ा मिल

3601. **श्री रा० की० अमीन** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य में महुआ स्थित एक कपड़ा मिल वर्ष 1965 से बन्द पड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो इस मिल को पुनः चालू करने के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं और इस मिल को चलाने के लिये वाणिज्यिक बैंकों से तथा राज्य वित्त निगम से प्रबन्ध निदेशक को कितना ऋण दिये जाने का प्रस्ताव है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) मिल को नये प्रबन्ध-मण्डल ने अपने हाथ में ले लिया है जो इसे नवीकरण के पश्चात् पुनः प्रारम्भ करना चाहता है। इस प्रयोजन के लिए गुजरात राज्य-वित्तीय निगम मिल-कम्पनी को, कतिपय शर्तों पर, 15 लाख रु० का ऋण देने के लिये सहमत हो गया है। गुजरात औद्योगिक निवेश निगम, लि०, जो राज्य सरकार का एक उपक्रम है, भी मिल-कम्पनी के 5 लाख रु० मूल्य के अधिमान शेयरों का जिम्मा लेने को सहमत हो गया है। स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र ने भी कार्यकारी पूंजी के लिए 17 लाख रु० का ऋण उपलब्ध कराने के लिये मिल-कम्पनी को आश्वासन दिया है। प्रबन्ध-मण्डल मिल को जुलाई-अगस्त, 1969 में पुनः प्रारम्भ करने की आशा रखता है।

रूस का दक्षिण पूर्व एशिया का शान्ति प्रस्ताव

3602. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस ने दक्षिण एशिया में शान्ति सम्बन्धी प्रस्ताव रखा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) भारत सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि सोवियत रूस ने दक्षिण पूर्वी एशिया में शान्ति की स्थापना का प्रस्ताव रखा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Allotment of Land to Ex-Servicemen in U. P.

3603. **Kumari Kamla Kumari : Shri Ram Swarup Vidyarthi : Shri Narain Swarup Sharma : Shri Om Prakash Tyagi :**

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government propose to allot the land belonging to the Ministry of Defence or Military in Tehsil Sikandrabad of Bulandshahr district in Uttar Pradesh at present given to an individual on lease, to ex-servicemen direct or through the Sailors, Soldiers and Airmen Board ;

(b) when the term of the present lease ends and when this land has been leased out and at what annual rate ; and

(c) the reasons for not allotting this land to ex-servicemen so far ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) to (c). The Military Camping Ground at Sikandrabad measuring 69.73 acres is currently on lease to one Shri Abdul Saleem for the period from 1st June, 1968, till 31st May, 1969, on "fair rent" which has been assessed by the Military Estates Officer at Rs. 3,759.25. The question of extending the lease in favour of Shri Abdul Saleem or leasing some of the land to a Cooperative Society of Ex-Servicemen will be considered about the time of the expiry of the current lease.

दक्षिण-पूर्व एशिया में मिशनों के अध्यक्षों की बैठक

3604. **श्री सीताराम केसरी : श्री भारत सिंह चौहान : श्री यशपाल सिंह : श्री हुकम चन्द कछवाय : श्री स० चं० सामन्त :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण-पूर्व एशिया में भारतीय मिशनों के अध्यक्षों का दिसम्बर, 1968 में दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में किन मुख्य बातों पर विचार किया गया; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इस सम्मेलन में, जिन मुख्य बातों पर चर्चा हुई, वे थीं; इस क्षेत्र में भारत सरकार की चालू नीतियां तथा इस क्षेत्र के देशों के साथ, विभिन्न क्षेत्रों में सम्बन्ध बेहतर बनाने के उपाय।

(ग) किसी क्षेत्र में, भारतीय मिशनों के प्रधानों का सम्मेलन होना काफी लाभदायक होता है, क्योंकि उनसे सरकार को उस क्षेत्र में बदलती हुई राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखकर नीति निर्धारित करने में आसानी होती है।

रक्षा प्रदर्शनी

3605. **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री ओंकार सिंह :
श्री शारदानन्द :
श्री जि० ब० सिंह :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री रणजीत सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रक्षा प्रदर्शनी को समय से पूर्व ही समाप्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस रक्षा प्रदर्शनी पर कितना धन व्यय किया गया था;

(घ) यह प्रदर्शनी कितने लोगों ने देखी थी; और

(ङ) क्या सरकार उनके निर्णय को बदलेगी ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख). सरकार ने रक्षा और योजना के प्रचार के लिए संयुक्त दो प्रदर्शनी गाड़ियों के लिए एक योजना स्वीकार की थी, एक चौड़ी पटड़ी की और दूसरी मीटर गाज की। स्वीकृति गाड़ियों के कमीशन किए जाने की तिथि से 18 मास की अवधि तक के लिए थी। स्वीकृति की शर्तों के अनुसार बड़ी पटड़ी की गाड़ी मार्च 1969 के अन्त तक बन्द होगी, और मीटर गाज की जून 1969 तक। गांधी शतक प्रदर्शनी अधिकरणों ने प्रार्थना की थी कि रक्षा प्रदर्शनी गाड़ियों में प्रयुक्त होने वाले डिब्बे उन्हें एक प्रदर्शनी संगठन करने के लिए प्राप्य किए जाएं। गांधी शतक प्रदर्शनी की आवश्यकता का और रेल मंत्रालय की इस उद्देश्य के लिए अन्य उपयुक्त डिब्बों को प्राप्त करने की कठिनाई को भी सामने रखते हुए दिसम्बर, 1968 में फैसला किया गया था कि रक्षा प्रदर्शनी गाड़ियां बन्द कर दी जाएं। चौड़ी पटड़ी की रक्षा प्रदर्शनी गाड़ी 27 दिसम्बर, 1968 को बन्द कर दी गई थी और मीटर की 29 जनवरी, 1969 को।

(ग) गाड़ियों पर उठे वास्तविक खर्च का हिसाब लगाया गया है, परन्तु उसके 40,00,000 रुपये से बढ़ने की प्रत्याशा नहीं।

(घ) लगभग 75,00,000 व्यक्तियों ने उन गाड़ियों को देखा।

(ङ) जी नहीं।

नई दिल्ली में पलस्तीन मुक्ति मोर्चों का कार्यालय

3606. **श्री रा० बे० नायक :**
श्री जे० मुहम्मद इमाम :
श्री गार्डिलिंगन गौड़ :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री चं० चु० देसाई :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काहिरा स्थित पलस्तीन मुक्ति मोर्चे ने हाल में भारत सरकार से नई दिल्ली में

एक कार्यालय खोलने की अनुमति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्यमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) काहिरा स्थित 'फिलस्तीन लिबरेशन फ्रन्ट' नाम के दिल्ली संगठन से हम अवगत नहीं हैं। वहां फिलस्तीन लिबरेशन आर्गेनाइजेशन है, जिसने भारत सरकार से नई दिल्ली में, अपना कार्यालय खोलने की अनुमति नहीं मांगी है जैसा कि 6 मार्च, 1969 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 841 के उत्तर में बताया गया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Decentralisation of Planning Commission

3607. **Shri Bal Raj Madhok :**
Shri Molahu Prasad :

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the total expenditure incurred on the Planning Commission by way of salaries and allowances to their officers and staff during the Third Five Year Plan period ;

(b) whether in view of heavy expenditure being incurred on the Planning Commission, Government propose to abolish the Planning Commission and decentralise it ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Prime Minister, Minister of Automic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Rs. 4.13 crores.

(b) and (c). No, Sir. The need for planned development of the country being imperative, continuance of the Planning Commission as the agency for formulation of plans and evaluation of plan performance is necessary. The expenditure on the Planning Commission is kept under constant review to achieve all possible economies.

Publications Brought out by Cabinet Secretariat

3608. **Shri Bal Raj Madhok :**
Shri Molahu Prasad :
Shri Ram Charan :
Shri Om Prakash Tyagi :

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that only 23 ad-hoc publications are brought out by the Cabinet Secretariat ;

(b) whether it is also a fact that their Hindi version are not published ;

(c) if so, whether Hindi version thereof or original Hindi publications are proposed to be brought out ; and

(d) if so, when ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b). 31 ad-hoc publications have been brought out by the Central Statistical Organisation of the Cabinet Secretariat. Their Hindi version has not been published.

(c) and (d). Combined Hindi-English versions of two regular publications, the Annual Survey of Industries 1964, Volume I, and Estimates of National Product, have been published. The possibility of bringing out Hindi version of other regular and ad-hoc publications, all of which are technical in nature, is being explored.

नागा विद्रोहियों द्वारा आत्म-समर्पण

3609. **श्री नि० रं० लास्कर :**

श्री रा० बरुआ :

श्री नाथूराम अहिरवार :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी सुरक्षा सेना के समक्ष काफी बड़ी संख्या में विद्रोही नागाओं ने आत्म-समर्पण किया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कुल कितने नागाओं ने आत्म-समर्पण किया है;

(ग) उनको क्या सुविधाएं दी गई हैं और उनकी सुरक्षा के लिये क्या उपाय किये गये हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि जिन नागाओं ने आत्म-समर्पण किया था उनमें से कुछ नागा फिर विद्रोही नागाओं में सम्मिलित हो गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो वे किन परिस्थितियों के कारण वापस चले गये हैं और विद्रोही नागाओं में पुनः सम्मिलित हो गये ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) संक्रियाएं स्थगित करने की तिथि (6 सितम्बर, 1964) से 28 फरवरी, 1969 तक सुरक्षा सेनाओं को आत्म-समर्पण करने वाले विद्रोही नागाओं की कुल संख्या लगभग 620 है।

(ग) जो नागा सरकारी अधिकरणों को आत्म-समर्पण करते हैं उन्हें कोई विशेष संरक्षण नहीं दिया जाता। उन्हें अपने गांवों में अपने कुटुम्बों के साथ रहने दिया जाता है, और अपने साधारण कार्य करने दिए जाते हैं। ग्रामीण अब अधिक सुरक्षित अनुभव करते हैं और अपनी कानून विरोधी तत्वों से रक्षा कर पाने में स्वयं समर्थ हैं तो कभी-कभी स्थानीय ग्राम संरक्षकों और पुलिस की सहायता से राज्य भर में व्यापक सुरक्षा प्रबन्धों को सुदृढ़ बना दिया गया है।

(घ) राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तान के लिये रूसी टैंक

3610. **श्री द० रा० परमार :**

श्री रा० की० अमीन :

श्री भारत सिंह चौहान :

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस का पाकिस्तान को टी-55 टैंक देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख). सरकार ने इस विषय की समाचार पत्रों में रिपोर्ट देखी है कि 40 से 50 सोवियत टैंक पाकिस्तान पहुंच गए हैं। हमारी सूचना के अनुसार यह रिपोर्ट सारतः सच है। सरकार ने पाकिस्तान को आयुधों के इस विक्रय के लिए सोवियत अधिकरणों को अपनी चिन्ता प्रकट की है। पाकिस्तान की सशस्त्र शक्ति में ऐसी वृद्धि उपमहाद्वीप में तनाव बढ़ाने में केवल सहाय्य ही होगा।

Publications of the Ministry in Hindi Question

3611. **Shri Ram Charan**: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) the number of magazines, books and annual, monthly and fortnightly reports which are being published by his Ministry ;

(b) the number out of them published in English and Hindi separately ;

(c) whether there is any proposal to publish all these magazines and books in Hindi ;

(d) if so, when ; and

(e) if not, how these books are of use to the Indian people who do not know English and the propriety of spending public money on these publications ?

The Minister of External Affairs (Shri Dinesh Singh): (a) Five publications are issued periodically and on a regular basis. Ad-hoc publications on current issues and publications relating to internal administration of the Ministry and Missions abroad are not included in this number.

(b) One in Hindi, Urdu, Bengali and Malayalam, one in English and Hindi and three in English.

(c) and (d). Such publications as are meant for use by the general public in India are already being published in Hindi.

(e) Does not arise.

'आर्याना' अफगान विमान सेवा के विमान की दुर्घटना

3612. **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री रणजीत सिंह :
श्री बलराज मधोक :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 3 जनवरी, 1969 को लंदन में आर्याना अफगान एयरवेज के बोईंग 727 विमान दुर्घटना के कारण 42 भारतीयों की मृत्यु हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने सम्बन्धित प्राधिकार को दुर्घटना की जांच करने के लिये लिखा है; और

(ग) क्या हताहतों को कोई मुआवजा दिया गया था और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) 5 जनवरी, 1969 को लंदन के पास गैटविक हवाई-अड्डे पर एरिआना अफगान एयरलाइन्स का जो 727 बोइंग विमान गिर पड़ा था उसमें 48 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी थी जिनमें 34 भारतीय राष्ट्रिक और 6 भारत मूलक व्यक्ति थे।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय सिविल विमानन अभिसमय के अनुसार युनाइटेड किंगडम, अफगानिस्तान (विमान की रजिस्ट्री का राज्य) और संयुक्त राज्य अमरीका (विमान के निर्माण का राज्य) के प्राधिकारी सम्मिलित रूप से इस विमान दुर्घटना की जांच कर रहे हैं। इस जांच-पड़ताल से भारत सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है।

(ग) संबद्ध हवाई कम्पनी ने मृतकों के निकट संबंधियों को पहले ही यह सलाह दे दी है कि वे कम्पनी के बीमा सालीसिटर मेसर्ज बेमांट एण्ड सन्स, 15 देवनशायर स्क्वायर, लन्दन, ई० सी—2, से मुआवजे के लिए दावा करें। कुछ दावेदारों ने इस कम्पनी से संपर्क स्थापित कर लिया है। और उनके दावों पर विचार किया जा रहा है।

लन्दन स्थित हमारा हाई कमीशन भी उन दावेदारों को आवश्यक सहायता दे रहा है जो उसके पास परामर्श और मार्ग दर्शन के लिए पहुंचे हैं।

मिग विमानों की मरम्मत

3613. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोरापुट के विमान-इंजन कारखाने में मिग विमानों की मरम्मत की जा सकती है;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां पर छोटी-मोटी मरम्मत की जाती है या बड़े पैमाने पर भी मरम्मत का कार्य किया जाता है;

(ग) क्या मिग के सभी कारखानों में मिग विमानों की मरम्मत की जा सकती है; और

(घ) क्या सरकार ने भारत में ए० एन० 12 विमान की मरम्मत के लिये सुविधाएं उपलब्ध करने के लिये कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग). नासिक में मिग विमानों के विमान ढांचों, नासिक में विमान इंजनों और हैदराबाद में अन्तरिक्ष वहित इलेक्ट्रानिकी साज-सामान के ओवरहाल-मरम्मत के लिए सुविधाएं स्थापित की जा रही हैं। और अधिक विस्तार देना लोकहित में नहीं होगा।

(घ) जी हां। सुविधाएं स्थापित की जा रही हैं।

प्रतिरक्षा संस्थानों को 19 सितम्बर, 1968 की सांकेतिक हड़ताल के परिणामस्वरूप हुई हानि

3614. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 13 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 476 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 सितम्बर, 1968 की सांकेतिक हड़ताल के परिणामस्वरूप प्रतिरक्षा संस्थानों को हुई हानि के बारे में इस बीच सूचना एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख). उजरतों में 1,22,000 रुपये के बराबर 1,39,000 मानव होरा की अनुमानित क्षति हुई थी। उत्पादन में 9 लाख की कमी हुई। ओवरहालों इत्यादि के कारण अनिर्धारित हानि के अतिरिक्त कि जिसका हिसाब लगा पाना कठिन होगा, हड़ताल के फलस्वरूप सरकार द्वारा स्पष्ट व्यय का कारण थे आपात स्थिति के कारण किए गए प्रबन्ध।

प्रागा टूल्स लिमिटेड

3615. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रागा टूल्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी और सरकार ने इसका नियंत्रण अपने हाथों में कब लिया था और इसके उद्देश्य क्या हैं;

(ख) सरकार द्वारा इसका नियंत्रण सम्भाल लेने के बाद उत्पादन और विकास के किन लक्ष्यों को प्राप्त किया गया;

(ग) इस समय विदेशों का सहयोग कितना है, सहयोग करने वाले देशों के नाम क्या हैं; सहयोग की शर्तें क्या हैं और सहायता के रूप में कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई;

(घ) इस समय इस कम्पनी द्वारा किन-किन वस्तुओं का कितना-कितना निर्माण किया जाता है और क्या इस कम्पनी के उत्पादन अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के हैं;

(ङ) गत तीन वर्षों में निर्माण और बिक्री के आंकड़े क्या हैं और इस उत्पादन में से कितना निर्यात किया गया; और

(च) क्या कम्पनी को इस समय कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और उन कठिनाइयों को किस प्रकार दूर करने का सरकार का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) प्रागा टूल्स लिमिटेड एक जायंट स्टाक कम्पनी के रूप में निजी क्षेत्र में 28-5-1943 को समाविष्ट की गई थी, और 1958-59 में केन्द्रीय सरकार द्वारा हस्तगत की गई थी। इस समय कम्पनी के उद्देश्य और लक्ष्य

हैं मशीनी औजारों, मशीनी औजारों के सहायकों, प्रिसयिन मदों और रक्षा आवश्यकताओं की मदों के अतिरिक्त कास्टिंग्ज और फोर्जिंग्ज का निर्माण हस्तगत करना।

(ख) उत्पादन और विकास के लक्ष्य प्राप्त करने में कमियां रही हैं, और यह मामला 21 फरवरी, 1969 को संसद को पेश की गई राजकीय क्षेत्र के उपकरणों पर कमेटी को 1968-69 (चौथी लोक सभा) की पच्चीसवीं रिपोर्ट के तीसरे अध्याय में आवृत्त है।

(ग) मशीनी औजारों और उनके सहायकों की कई मदों के निर्माण के लिए कम्पनी ने कई विदेशी तकनीकी, सहयोग करार सम्पन्न किए हैं। विस्तार इस प्रकार है :—

क्रम-संख्या	**उत्पादन**	**विदेशी सहयोगियों के ब्योरे**
1.	प्रागा जोन्ज शिप्मैन टूल एण्ड कटर ग्राईडर माडल 310 और उसके सहायक	सर्वश्री ए० ए० जोन्ज एण्ड शिप्मैन लि०, यू० के०।
2.	प्रागा जोन्ज शिप्मैन सर्फेस ग्राइंडर माडल 540 एच और 540 और उनके सहायक	
3.	प्रागा-गैम्बिन मिलिंग मशीन और सहायक	सर्वश्री गैम्बिन एस० ए० फ्रांस
4.	प्रागा सी० वी० ए० ड्रिल चक्स	सर्वश्री कर्मी एण्ड ट्रैकर सी० वी० ए० लि०, यू० के०।
5.	प्रागा प्रैट लेथ चक्स	सर्वश्री एफ० प्रैट कम्पनी लि०, यू० के०।

किसी भी विदेशी सहयोगी ने प्रागा टूल्स लि० को किसी प्रकार की विदेशी मुद्रा की सहायता नहीं दी है। जहां तक सहयोग को शर्तों के विस्तारों का संबंध है, उन्हें प्रकट करना लोक हित में उचित नहीं समझा गया।

(घ) तथा (ङ). कम्पनी द्वारा इस समय निर्माण की जा रही मदों के ब्योरे नीचे दिये गये हैं :—

1. **मशीनी औजार**

   बेंच तथा पिल्लर

   टाईप मल्टी-स्पिंडल

   ड्रिलिंग मशीनें

   प्रागा जोन्ज शिप्मैन टूल एण्ड कटर ग्राईडर (माडल 310)

   प्रागा जोन्ज शिप्मैन सर्फेस ग्राईडर्ज (माडल 540-एच० और 540) तथा

   प्रागा गोम्बिन मिलिंग मशीन (माडल 10 एन०)

2. **मशीनी औजारों के सहायक**

   टूल तथा कटर ग्राईडर, सर्फेस ग्राईडर और मिलिंग मशीनों के लिए सहायक/लेथ चक्स और ड्रिल चक्स।

3. **प्रिसीयन मदें**

सर्फेस प्लेटें, साईन वार, ऐंगल प्लेटें, वी ब्लाक, गाजें इत्यादि ।

4. कास्टिंग्ज एण्ड फोर्जिंग्ज उदाहरणतः रेलवे स्क्रियू कपलिंग, आटो और डीजल के फालतू पुर्जे ।

5. **रक्षा मदें**

गुण स्वरूप के दृष्टिकोण से फर्म के सभी उत्पादन समतुल्य विदेश निर्मित उत्पादनों के समान हैं ।

जहां तक गत तीन वर्षों में उत्पादन और विक्रय तथा निर्यात का सम्बन्ध है सूचना इस प्रकार है :—

			लाख रुपयों में	
			विक्रय	
वर्ष	**उत्पादन**	**भारत में**	**निर्यात**	**कुल जोड़**
1965-66	153.20	117.36	0.04	117.40
1966-67	125.56	147.65	0.36	148.01
1967-68	163.96	140.09	0.15	140.24

(च) प्रबन्ध में बाधाओं, असंतोषप्रद श्रम स्थिति, और कई अन्य तथ्यों के अतिरिक्त, कि जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में कम्पनी के उत्पादन और कृत्य को प्रभावित किया, कम्पनी को इस समय जिस मुख्य कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, वह है मशीनी औजारों के बाजार में चालू मन्दे के कारण मन्दे विक्रय । कम्पनी इसका उत्पादन में विभिन्नता कर सामना करने का यत्न कर रही है । श्रम स्थिति में जनवरी 1969 से कुछ सुधार नजर आता है । प्रबन्ध, उत्पादन, प्रायोजन और नियन्त्रण क्षेत्रों के व्यापक कृत्य में सुधार के लिए कम्पनी पग उठा रही है । अपने विक्रय बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं ।

श्रीलंका में भारतीयों के लिये अलग रजिस्टर

3616. **श्री हेम बरुआ** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 30 अक्तूबर, 1964 के भारत-श्रीलंका समझौते के बाद भी श्रीलंका सरकार ने श्रीलंका में रहने वाले भारत-मूलक लोगों के नाम अलग रजिस्टर में दर्ज किये हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो 1964 के भारत-श्रीलंका समझौते के संदर्भ में इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी नहीं। जहां तक सरकार को मालूम है, उन व्यक्तियों के लिये, अलग से, मतदाता सूची तैयार करने का कोई विचार नहीं है, जिन्हें इस करार के अन्तर्गत, श्रीलंका की नागरिकता प्राप्त हो गई है या होने वाली है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Reduction in Pension of Retired Commissioned Officers

3617. **Shri Ram Swarup Vidyarthi:**
Shri Om Prakash Tyagi:

Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) the names of such commissioned officers in the Army who retired during the past three years and their pensions were reduced for one reason or the other;

(b) the basis on which these reductions were made and the principal rules and orders under which they were made;

(c) whether a copy of these rules and orders would be laid on the Table; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri M. R. Krishna): (a) to (d). Pensions are reduced by the competent authority in accordance with Regulation 3 of the Pension Regulations for the Army (1961) Part-I which read as follows:

"Full Rate of Pension or Gratuity not Invariably Admissible

3. The full rate of pension or gratuity provided for in these Regulations shall not be granted unless the service rendered has been satisfactory. If the service has not been satisfactory, the competent authority may make such reduction in the amount of pension or gratuity as it thinks proper."

The quantum of reduction in pension in each case is based on the gravity of the irregularity/offence.

In 1966-1968, the pensions of the following officers were reduced:

Lt. Cols. G. S. Yadav; A. L. Talwar and Dildar Singh; Majors S. S. Siddhu, Kundan Singh Rawat, S. N. Singh, Tara Singh, K. P. C. Nair and Bhagat Singh.

Acquisition of Land in U. P.

3618. **Shri Meetha Lal Meena:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the land of the Zamindars of village Rangharwala of District Dehradun in Uttar Pradesh was acquired in 1942 by the Governor General in Council on the condition that that land would be returned to the Zamindars after six months of the Second World War;

(b) whether it is a fact that that land is still in the possession of Government but no compensation has been paid to the Zamindars for it so far; and

(c) if so, the reasons therefor?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): (a) No land in the village of Rangharwala was acquired for Defence purposes in 1942.

(b) and (c). In 1942 an area of 169.10 acres in villages Rangharwala, Mithibehari and Arcdiagrant was taken on lease by private negotiations. The land was requisitioned during the currency of the lease through 147.27 acres have since been derequisitioned. For the remaining area of 21.83 acres, including 15.97 acres in village Rangharwala, a recurring compensation of Rs. 638.98 per annum is being paid.

Fast Breeder Atomic Reactor

3619. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the names of the countries with which agreements have been signed for the development of Fast Breeder Atomic reactor and the progress achieved so far in this regard ;

(b) whether the progress made by India so far in this field is satisfactory in comparison with the progress made by other Atomic countries ; and

(c) if not, what other measures are being taken in this regard ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Smt. Indira Gandhi) : (a) No agreement has so far been signed with any country for the development of a fast breeder reactor in India.

(b) and (c). Work in the field of fast reactor technology has only recently been initiated. The programme visualised includes the design and construction of a fast test breeder reactor and the setting up of a Centre complementary to the Bhabha Atomic Research Centre with facilities for research and development effort in this technology.

ट्रैवल एजेंसियों द्वारा पारपत्र प्राप्त करना

3620. **श्री गार्डिलिंगन गौड़ :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में कुछ ट्रैवल एजेन्सियां विदेशों में जाने वाले भारतीयों के लिये पासपोर्ट की व्यवस्था करती हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इन एजेन्सियों को अनुमति दे रखी है कि विदेशों में जाने के इच्छुक व्यक्तियों को पासपोर्ट दिलायें ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि ट्रैवल एजेन्सियां ऐसे व्यक्तियों के लिये भी पासपोर्ट की व्यवस्था करती हैं जो विदेश जाकर ऐसे दीवानी/फौजदारी मुकदमों के लिये न्यायालय में जाने से बचना चाहते हैं जो उनके विरुद्ध चल रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कदाचारों को रोकने के लिये पासपोर्ट जारी किये जाने के बारे में प्रक्रिया में परिवर्तन करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). जो व्यक्ति विदेश जाना चाहते हैं, उन्हीं को पासपोर्ट लेने के लिये आवेदन पत्र भरने, और उन पर हस्ताक्षर करने होते हैं। मान्यताप्राप्त 'ट्रैवल एजेन्सियां', अपने आसामियों के बदले, इस प्रकार के आवेदन पत्र प्रस्तुत कर

सकती हैं लेकिन क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, उन्हें ऐसा करने पर, कोई विशेष सुविधा नहीं देते हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सैनिक स्कूल

3621. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में स्थापित सैनिक स्कूलों में राज्य-वार कितने विद्यार्थी दाखिल हो सकते हैं ; और

(ख) प्रत्येक राज्य में इन स्कूलों पर कितना वार्षिक खर्च किया जाता है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) तथा (ख). जब सभी आवश्यक भवन प्राप्य कर दिये गये प्रति सैनिक स्कूल 525 छात्रों के लिये चलाया जा सकता है। तदपि, वर्तमान क्षमता प्रति सैनिक स्कूल के भवनों की सम्पूर्ति की प्रगति की प्रावस्था पर निर्भर है।

प्रत्येक सैनिक स्कूल की 1968 वर्ष के लिये शक्ति और बजट दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 406/69]**

किसी प्रदेश को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने के मानदण्ड

3622. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** 11 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4153 के उत्तर के सन्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने के लिये निर्धारित कुल जनसंख्या कितनी है तथा जनसंख्या का घनत्व क्या है ; और

(ख) इस आधार पर किन-किन क्षेत्रों को पिछड़ा घोषित किया गया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख). दिनांक 11 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4153 के उत्तर, जिसमें विकास के सूचक दिये गये हैं, की ओर ध्यान दिलाया जाता है। चौथी योजना में राज्यों को योजना आयोग के सामान्य मार्ग दर्शन के अनुसार स्वयमेव अपने क्षेत्र के अन्तर्गत पिछड़े क्षेत्रों का निर्धारण करना है और उनके विकास के लिये उचित स्कीमों पर काम करना है।

भारत ब्रिटेन सम्बन्ध

3623. **श्री रणजीत सिंह :** **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री बलराज मधोक : **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समाचार-पत्रों में यह विचार व्यक्त किया गया है कि भारत ब्रिटेन सम्बन्ध वास्तविक से नहीं दीखते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). भारत सरकार को इस तथ्य की जानकारी नहीं है कि कुछ अखबारों ने यह विचार व्यक्त किया है कि भारत ओर ब्रिटेन के सम्बन्धों में सत्य की भावना नहीं है। लेकिन, सरकार के देखने में अब तक केवल एक लेख अवश्य आया है जो कि 20 दिसम्बर, 1968 के 'स्टेट्समैन' के दिल्ली संस्करण में 'इण्डो-ब्रिटिश टाइज हैव नो सेन्स आफ रियलिटी' शीर्षक से छपा था। इस अखबार में अब तक प्रकाशित सिर्फ एक लेख को भारत के अधिकांश अखबारों के विचार के रूप में नहीं लिया जा सकता।

पूर्वी पाकिस्तान में कांग्रेस भवनों को शत्रु की सम्पत्ति घोषित करना

3624. **श्री रणजीत सिंह :** **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री बलराज मधोक : **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व पाकिस्तान में जैसोर और मानिकगंज के कांग्रेस भवनों को शत्रु सम्पत्ति घोषित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग). इस विषय पर, भारत सरकार सूचना इकट्ठी कर रही है और सूचना मिलने पर, सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

प्रधान मंत्री के साथ बातचीत करने के लिये नागालैण्ड के बैपटिस्ट चर्च की समिति

3625. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागालैण्ड के बैपटिस्ट चर्च ने प्रधान मंत्री के साथ बातचीत

करने के लिये सात सदस्यों की एक समिति नियुक्त की थी ;

(ख) राजनीतिक प्रयोजनों के लिये नागालैण्ड में ईसाइयों के विभिन्न गिरजों और मिशनों की संख्या कितनी है, इनके नाम क्या हैं तथा वे किन-किन मतों का प्रतिनिधित्व करते हैं ;

(ग) धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्मनिरपेक्ष मामलों में इनको उन्मुक्त रूप से हस्तक्षेप करने की अनुमति दिये जाने के स्पष्ट कारण क्या हैं ; और

(घ) ईसाइयों के उस चर्च का क्या नाम है तथा वह किस मत का प्रतिनिधित्व करता है जिसके साथ विद्रोही नेता फिजो का सम्बन्ध है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) सरकार को इस समिति के विषय में कोई जानकारी नहीं है जो कि नागालैण्ड के बैपटिस्ट चर्च द्वारा नियुक्त बताई जाती है। माननीय सदस्य सम्भवतः सात सदस्यों की उस विशेष समिति की बात सोच रहे हैं जो कि अगस्त 1968 में नागा जन सम्मेलन द्वारा नियुक्त की गई थी।

(ख) और (ग). नागालैंड के ईसाई ज्यादातर बैपटिस्ट और कैथोलिक हैं। नागालैण्ड के शहरों और गांवों में जहां कहीं ईसाई लोग हैं, वहीं गिरजाघर हैं। इनका इस्तेमाल पूजा के लिये किया जाता है। हमारे संविधान में बोलने और पूजा करने की स्वतन्त्रता की गारंटी दी गई है और किसी भी धर्म के अनुयायियों के राज्य के धर्मनिरपेक्ष कार्यों में हिस्सा लेने पर प्रतिबन्ध नहीं है।

(घ) फिजो जब भारत में था तब वह बैपटिस्ट था और सम्भवतः अब भी बैपटिस्ट ही है।

तीनों पंचवर्षीय योजनाओं में सामाजिक सेवाओं पर किया गया खर्च

3626. **श्री समर गुह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन पंचवर्षीय योजनाओं में कुल खर्च में से कितने प्रतिशत धनराशि (एक) नगरों में रहने वाली जनता तथा (दो) कितनी देहातों में रहने वाली जनता पर खर्च की गयी ; और

(ख) नगरीय जनता तथा देहाती जनता पर प्रति व्यक्ति कितनी धनराशि खर्च की गयी है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). दिनांक 12 मार्च, 1969 के लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2796 के उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है। विगत तीन पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान स्वास्थ्य तथा अन्य सामाजिक सुविधाओं के लिए शहरी तथा ग्रामीण लोगों पर अलग-अलग कुल तथा प्रतिव्यक्ति खर्च में से

कितना प्रतिशत खर्च किया गया इस बारे में ठीक से बताना सम्भव नहीं है। ग्रामीण लोगों के लिये सामाजिक सुविधाओं पर किये जाने वाले परिव्यय में पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में काफी वृद्धि हुई है।

Atomic Power Station in U. P.

3627. **Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Atomic Energy Commission has suggested to Government that an Atomic Power Station be established in U. P.; and

(b) if so, the name of the place where the Atomic Power Station would be set up and its estimated cost ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Border Check Posts

3628. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of India have sent a proposal to the Pakistan Government for restoring border check posts between the two countries; and

(b) if so, when the proposal to this effect was sent to Pakistan and the reaction of the Pakistan Government thereto ?

The Minister of External Affairs (Shri Dinesh Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) The proposal to this effect was sent on the 16th March, 1966. The Government of India have not so far had any favourable response from the Government of Pakistan, despite repeated reminders.

भारत पाक संघर्ष के दौरान पाकिस्तान द्वारा पकड़े गए भारतीय जहाजों का लौटाया जाना

3629. **श्री अदिचन :** **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री हिम्मतसिंहका : **श्री बाल्मीकि चौधरी :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 11 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4141 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने, भारत द्वारा पाकिस्तानी नावों को प्राप्त करने के एवज में पाकिस्तान द्वारा 1965 के संघर्ष के समय कब्जे में किये गये भारतीय जहाजों और माल के लौटाने पर जोर दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्व पाकिस्तान के अल्पसंख्यक

3630. **श्री समर गुह :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल, 1968 में पूर्व पाकिस्तान के राज्यपाल ने ढाका बार के कुछ वकीलों के साथ एक गुप्त भेंट की थी जिसमें उन्होंने उन वकीलों से बड़े पैमाने पर उपद्रवों के अतिरिक्त कोई अन्य ऐसी स्थिति पैदा करने के लिये कहा था जिससे पूर्व पाकिस्तान के अल्प संख्यक वहां पर से निकल जायें ;

(ख) क्या वहां के राज्यपाल के निवास-स्थान पर इस बैठक के बाद हत्या, मारपीट करने और अल्पसंख्यकों के गृहों पर जबरदस्ती कब्जा कर लेने की वहां पर बहुत-सी घटनाएं हुई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो पूर्व पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों पर इस प्रकार की आतंकवादी घटनाओं का ब्योरा क्या है और उनका क्या परिणाम निकला है और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). सरकार को इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कमीशन-प्राप्त अधिकारियों द्वारा निजी व्यापार किया जाना

3631. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पैदल सेना तथा आयुद्ध सेना में मेजर से नीचे के दर्जों के कमीशन प्राप्त अधिकारियों को कोई निजी व्यापार करने की अनुमति नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो क्या गत तीन वर्षों में किसी अधिकारी को निजी व्यापार करने की अनुमति दी गई है ;

(ग) क्या उपरोक्त अवधि में कोई ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें निजी व्यापार कर रहे अधिकारियों का उल्लेख किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इन शिकायतों की संख्या कितनी है और उन पर क्या कार्यवाही की गई हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) किसी भी सेवा सेविवर्ग को व्यवसाय में प्रवृत्त होने की अनुमति नहीं चाहे वह किसी श्रेणी का हो ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्व पाकिस्तान में हिन्दुओं का धर्म परिवर्तन

3632. **श्री समर गुह** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व पाकिस्तान में बारहटर गांव के श्री सुरेन्द्रगण, फूलपुर गांव के श्री सचिन्द्र नियोगी, जमालपुर के श्री रवि सेन, जफराबाद के विनय डे नामक विद्यार्थियों और मैमनसिंह जिले के अन्य विद्यार्थियों को उनका धर्म परिवर्तन करके जबरदस्ती मुसलमान बना दिया गया है ;

(ख) क्या धर्म परिवर्तन षडयन्त्र के अंग के रूप में कुछ स्थायी मुसलमानों द्वारा उपर्युक्त विद्यार्थियों पर मुसलमान लड़कियों का अपमान करने के झूठे आरोप लगाये गये थे और उस फर्जी अपराध के दण्ड के रूप में उन्हें मुसलमान बनने और उन्हीं मुसलमान लड़कियों के साथ विवाह करने के लिए मजबूर किया गया ;

(ग) क्या पूर्व पाकिस्तान के अन्य जिलों में भी ऐसी घटमाएं हो रही हैं ;

(घ) क्या ढाका स्थित उप उच्च आयुक्त के कार्यालय ने इस प्रकार की घटनाओं की जांच की है और सरकार को कोई रिपोर्ट भेजी है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या नेहरू-लियाकत समझौते की शर्तों के अनुसार इस प्रकार की पूछताछ करने का उत्तरदायित्व इस कार्यालय का है और उस रिपोर्ट को सभा-पटल पर रखना अनिवार्य है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ग) और (घ) . सरकार को पूर्व पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के धर्म परिवर्तन की खबरें समय-समय पर मिली हैं ; ढाका स्थित भारतीय उप हाई कमीशन की जानकारी में जब-जब जो-जो मामला आया है, उसे उसने पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया है और पाकिस्तान सरकार ने या तो यही जवाब दिया है कि धर्म परिवर्तन स्वेच्छा से किया गया है या फिर इन्हें निराधार आरोप बताया है ।

(ङ) पूर्व पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को जिन तमाम मजबूरियों का सामना करना पड़ रहा है, उनसे सदन को कई बार अवगत कराया जा चुका है ।

प्रतिरक्षा की तैयारी

3633. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी क्षेत्रों की सुरक्षा करने वाली सेना और अन्य सेना के बीच जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से बांटी गई है ;

(ख) क्या विभिन्न क्षेत्रों में सेना को सौंपे जाने वाले विशेष प्रकार के कार्यों के लिये उन्हें तैयार करने हेतु कोई विशिष्ट प्रकार का प्रशिक्षण निर्धारित किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसमें कितनी सफलता मिली है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख). अपनी उत्तरी सीमा के साथ भूप्रदेश और ऊंचे स्थानों से सम्बन्धित समस्याओं को हल करने के लिए विशेषतौर पर सुसज्जित पर्वतीय डिवीजन नियुक्त किए गए हैं। यह सेनाएं उन्हें सौंपे गए कृत्यों में पर्याप्त प्रशिक्षित होते हैं।

(ग) निष्पन्न किए गए परिणाम सन्तोषप्रद हैं।

Dawn Mills Limited, Bombay

3634. **Shri Sharda Nand:**
Shri Bansh Narain Singh:

Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state:

(a) the date on which the Dawn Mills Limited, Bombay applied for a licence and when it started functioning;

(b) the terms and conditions in regard to its setting up and the nature of articles being produced by it; and

(c) its total production since its inception?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Chowdhary Ram Sewak): (a) M/s Dawn Mills Ltd., Bombay applied for registration certificate on 19th August, 1952. This unit was in existence long before the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 came into force.

(b) The above unit was registered under the Scheduled No. 23 (1) of the above Act for the production of cotton textiles. No special terms and conditions were laid down in the above Registration Certificate and the mills are manufacturing cotton textiles.

(c) Production of cotton yarn as reported by the mills for the past few years is given below:

Year	Yarn (M. KGS.)
1963	2.4
1964	2.9
1965	2.4
1966	2.4
1967	2.0
1968	2.2

Ahmedabad Advance Mills Ltd., Bombay

3635. **Shri Bansh Narain Singh :** Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) the time when the Ahmedabad Advance Mills Ltd., Bombay, had applied for licence and the time when the Mill started functioning ;

(b) the terms and conditions which were laid down for running the company and the articles being produced by this company ; and

(c) the total production of this company since it was started ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Chowdhary Ram Sewak) : (a) Ahmedabad Advance Mills Ltd., Bombay was an existing unit when the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 came into force and it had applied for Registration of the Unit on 16th August, 1952 under the provisions of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951.

(b) The above Unit is registered under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 under Scheduled Industry No. 23 (1) for manufacture of cotton textiles. No special terms and conditions were laid down in the Registration Certificate.

(c) Production figures of cotton yarn and cloth of this company for the last few years are given below :

	Production	
Year	**Yarn (000 Kgs.)**	**Cloth (000 Metres)**
1963	2,570	26,149
1964	2,465	23,930
1965	2,386	23,217
1966	2,374	22,461
1967	2,388	21,549
1968	2,840	23,514

विद्रोही नागाओं के पास चीन में बने हथियार

3636. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :**
श्री पी० विश्वम्भरन :
श्री क० लकप्पा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में कोहिमा के निकट अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर विद्रोही नागाओं से चीन में बनी तोपें पकड़ी गई थीं ;

(ख) यदि हां, तो वे तोपें कितनी हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है कि इन तोपों का इस्तेमाल न हो ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

समुद्र पर क्षेत्राधिकार

3637. **श्री क० लकप्पा :**

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :

श्री पी० विश्वम्भरन :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समुद्र पर क्षेत्राधिकार के बारे में मंत्रालय के अधिकारियों तथा अन्य सरकारी अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से विभिन्न विचार व्यक्त किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या विचार है ; और

(ग) इन विचारों को न्यायोचित सिद्ध करने के लिये क्या कार्यवाही गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) संयुक्त राष्ट्र महासभा के पिछले अधिवेशन में भारत ने एक घोषणा का मसौदा रखा था जिसमें कुछ ऐसे आधारभूत सिद्धांत सन्निहित थे जिनका पालन सभी राज्यों को वर्तमान राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के बाहर समुद्रतल और महासागर तल में खोज करने और उसका इस्तेमाल करने में करना था । ये सिद्धांत हैं—(1) कि इस पर्यावरण का उपयोग मानव जाति के लाभ और हित के लिए किया जाए और इसे समूची मानव जाति की सम्मिलित दाय समझा जाए; (2) कि इस पर किसी राष्ट्र का अधिकार नहीं होना चाहिए और इसका उपयोग सिर्फ शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिये ही किया जाना चाहिए; (3) कि इस पर्यावरण में राज्यों की गतिविधियों, अन्तर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप होनी चाहिए, (4) यह कि इस पर्यावरण में अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियों के लिए संयुक्त राष्ट्र को दिशा और उद्देश्य निर्देश करना चाहिए ।

(ग) महासभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव संख्या 2467-क स्वीकार किया जिसमें 42 राज्यों की एक समिति स्थापित की गई जिनमें भारत भी शामिल था । इस समिति का उद्देश्य इस पर्यावरण का मानव हितों के प्रयोग के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देने के लिए वैधानिक सिद्धांतों और मानदंडों को बढ़ावा देना था । यह समिति अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय घोषणा के मसौदे पर विचार करेगी ।

खाद्य पदार्थों का परिरक्षण

3638. **श्री मंगलाथुमाडोम :**

श्री को० सूर्यनारायण :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाभा अनुसंधान केन्द्र द्वारा खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के बारे में कोई नया

तरीका निकाला गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और नये तरीके का लाभ उठाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी):(क) और (ख). कोबाल्ट-60 स्रोतों की सहायता से खाद्य पदार्थों का परिरक्षण करने के विविध तरीकों का विस्तृत अध्ययन भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, ट्राम्बे द्वारा किया जा रहा है । जिन दिशाओं में उत्साह-वर्धक परिणाम निकले हैं वे हैं :—(1) गोदामों में रखे अनाज के कीड़ों का नाश करना (2) आलू तथा प्याज में अंकुर फूटना (3) आम तथा केले जैसे फलों का देरी से पकना तथा (4) समुद्र से प्राप्त खाद्य पदार्थों, विशेषतः बम्बिल, झींगा तथा पोम्फ्रेट मछलियों को देर तक ताजा बनाये रखना । इन उपयोगों का व्यवसायिक स्तर पर लाभ उठाने की सम्भावनाओं का अध्ययन किया जा रहा है ।

श्रवण सहायक यंत्र

3639. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय देश में श्रवण सहायक यंत्र (हियरिंग एड) का विक्रय मूल्य 400 रुपये है जबकि यदि वह देश में ही बनाये जायें तो उनका मूल्य बहुत ही कम होगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें देश में सरकारी क्षेत्र के किसी परियोजना में अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में उनके बनाने के लिये लाइसेंस देने की वांछनीयता पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग). श्रवण सहायों के निर्माण में प्रवृत्त छोटे पैमाने की 12 यूनिटें हैं । देशीय निर्मित श्रवण सहाय 100 रुपये से 400 रुपये प्रत्येक की विभिन्न कीमतों पर बेचे जा रहे हैं ।

सरकार राजकीय क्षेत्र के किसी उपकरण में इस मद का उत्पादन स्थापित करने की कोई योजना नहीं बना रही है ।

कर्णधार समिति का प्रतिवेदन

3640. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी क्षेत्रों में परमाणु कारखानों की स्थापना पर विचार करने के लिये अणु-शक्ति आयोग द्वारा नियुक्त की गई कर्णधार समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) समिति ने एक नया परमाणु बिजलीघर स्थापित करने के लिये कौन से स्थान की सिफारिश की है ;

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) इन कारखानों की स्थापना पर कुल कितनी लागत आने की संभावना है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) उत्तरी विद्युत क्षेत्र में नये परमाणु बिजलीघर लगाने की आवश्यकता का अध्ययन करने के लिये परमाणु ऊर्जा आयोग ने जो संचालन समिति नियुक्त की थी उसने अपनी रिपोर्ट अभी पेश नहीं की है ।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

रत्नों और आभूषणों का निर्यात

3641. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 और 1667-68 के दौरान भारत द्वारा कुल कितने मूल्य के रत्नों और आभूषणों का निर्यात किया गया था ;

(ख) रत्नों और आभूषणों का निर्यात किन-किन देशों को किया गया है ; और

(ग) इनके निर्यात को बढ़ाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 407/69**]

(ग) रत्न तथा आभूषणों की मदों के निर्यात-संवर्धन के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

1. आयात प्रतिपूर्ति नीति के अन्तर्गत, रत्नों तथा आभूषणों की विभिन्न मदों के निर्यात के जहाज पर मूल्य के 25 से 70 प्र० श० तक की दरों पर, स्वदेश में अप्राप्य कच्चे माल का आयात करने की अनुमति है ।

2. विदेशी पर्यटकों को ऐसी विक्रियों के माध्यम से, जिनका भुगतान यात्री चैकों, विदेशी बैंकों के वैयक्तिम चैकों, रेखांकित विदेशी बैंक ड्राफ्टों आदि में प्राप्त होता है, होने वाले रत्न तथा आभूषणों के निर्यात पर विशिष्ट दर पर आयात प्रतिपूर्ति की जाती है ।

3. इन उत्पादों के निर्यातों के संवर्धन के लिए सरकार ने रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना की है ।

4. निम्नलिखित प्रस्ताव विचाराधीन हैं :—

(1) मूल स्रोतों से बिना तराशे हीरे आदि सीधे प्राप्त करने की व्यवस्था।

(2) रत्न परीक्षण प्रशोगशाला की स्थापना ; और

(3) रत्नों को तराशने तथा पालिश करने और आभूषणों के निर्माण की सुधरी प्रणाली में कारीगरों को प्रशिक्षण देने के लिए देश में तराशने तथा परिष्करण वाले क्षेत्रों में प्रशिक्षण केन्द्र खोलना।

परमाणु छत्री

3642. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री दी० चं० शर्मा : श्री रणजीत सिंह :
श्री वेणी शंकर शर्मा : श्री न० कु० सांघी :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सेनाध्यक्ष जनरल करिअप्पा ने सुझाव दिया कि सरकार परमाणु आक्रमण के अवसर पर परमाणु छत्री की व्यवस्था कराने के लिये किसी मित्र देश से बातचीत करे ;

(ख) यदि हां, तो चीन द्वारा हाल ही में किये गये परमाणु विस्फोटों के संदर्भ में भूतपूर्व सेनाध्यक्ष के सुझाव का महत्व बढ़ गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) सरकार ने इस आशय की खबरें अखबारों में देखी हैं।

(ख) और (ग). भारत को चीन की ओर से जो संभावित आणविक खतरा है उसकी ओर से सरकार सजग है और चीन अपनी आणविक क्षमता को जो निरंतर विकसित करता जा रहा है उस पर भी उसे चिंता है। सरकार आणविक छत्रछाया प्राप्त करना आवश्यक नहीं समझती। सदन इस बात को समझता ही है कि अपनी सुरक्षा के लिए जो कदम आवश्यक हो जाएंगे उन्हें सार्वजनिक रूप से बताने में सरकार मजबूर है। चीन के परमाणु हथियार परीक्षणों से उत्पन्न स्थिति पर सरकार बराबर निगाह रखती है।

एल्यूमिनियम के निर्यात पर प्रतिबन्ध

3643. **श्री बे० कृ० दासचौधरी : श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री ओंकार लाल बेरवा : श्री रणजीत सिंह :
श्री नि० रं० लास्कर : श्री हरदयाल देवगुण :

श्री चेंगलराया नायडू : **श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :**
श्री श्रीनिवास मिश्र : **श्री न० कु० सांघी :**
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : **श्री बलराज मधोक :**

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इण्डियन केबल मेकर्स एसोसिएशन से कोई ज्ञापन मिला है जिसमें तैयार माल के निर्यात में सहायता के लिए, एल्यूमिनियम पिण्डों के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने की मांग की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). जी हां, सरकार को एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है। एल्यूमिनियम के पिंडों का निर्यात करने का विनिश्चय करने से पहले देश की आंतरिक अर्थ-व्यवस्था के लिये, जिसमें निर्यात के लिये माल तैयार करना भी शामिल है, इस धातु की आवश्यकता पर सम्यक विचार कर लिया गया था। पिंडों के निर्यात के फलस्वरूप, निर्यात का माल तैयार करने के लिये इस धातु की कमी पड़ने की संभावना का निवारण करने के लिये हिदायतों में यह कहा गया है कि अल्यूमिनियम की उपलब्धि की समीक्षा प्रति तिमाही में एक समिति द्वारा की जायेगी। पहली समीक्षा शीघ्र ही होने वाली है। यदि परिस्थितियों से अपेक्षित हुआ तो निर्यात की अनुमति न देने का सरकार को अधिकार है।

डिब्बा बन्द खाद्य पदार्थ

3644. **श्री ई० के० नायनार :** **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री विश्वनाथ मेनन : **श्री अ० कु० गोपालन :**

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जहाजों में माल रखने के स्थान की कमी होने के कारण डिब्बा बन्द समुद्री खाद्य पदार्थ बहुत बड़ी मात्रा में कोचीन में रुके पड़े हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने जहाजों में स्थान प्राप्त करने के लिये निर्यातकों की सहायता करने का प्रयत्न किया है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी, हां।

(ख) विदेशी तथा भारतीय जहाजी कम्पनियों को कोचीन जाकर एकत्रित स्टाक की निकासी करने के लिये तैयार कर लिया गया है। इन जहाजी कम्पनियों द्वारा पहले ही काफी मात्रा में माल की निकासी की जा चुकी है।

मिग विमान

3645. **श्री रणजीत सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिग विमान कारखाना समूह की स्थापना का कार्य कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है ; और

(ख) निम्नलिखित कार्यों के बारे में क्या कार्यक्रम हैं :—

(1) विमान के लिये इंजिन और ढांचा निर्माण संयंत्रों के लिये अत्यावश्यक भवनों के पूरे होने की तिथि ; (2) पूरे आयातित पुर्जों आदि को जोड़ना किस तिथि से आरम्भ किया जायेगा ; (3) पूरे आयातित पुर्जों से तैयार पहला विमान किस तिथि को कारखाने से तैयार होकर निकलेगा ; (4) कारखानों से किस तिथि को पूर्ण रूप से भारत में बना विमान निकलेगा ; (5) विमान के इलैक्ट्रानिक पुर्जों का कारखाना सेक्शन के पूरे होने की तिथि क्या है ; (6) विमान के लिये हथियार बनाने वाले सेक्शन के पूरा होने की तिथि ; (7) विमान के लिये प्रक्षेपणास्त्र बनाने वाले सेक्शन के पूरा होने की तिथि ; और (8) उक्त वस्तुओं के वास्तविक रूप से पूरा होने की तिथि, यदि कोई है तो ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां। मिग ग्रंथि की संस्थापना में प्रायः शड्रूल के अनुसार प्रगति हो रही है।

(ख) (1) इंजन फैक्ट्री के लिए आवश्यक भवन सितम्बर 1967 तक सम्पूर्ण होने थे और विमान ढांचों की फैक्टरी के अप्रैल 1966 तक।

(2) पूर्णतः आयात संघटकों से विमानों का संयोजन 1966-67 में आरम्भ होना था, और इंजनों का संयोजन 1968-69 में।

(3) पूर्णतः आयात संघटकों से पहला सम्पूर्ण विमान 1966-67 के दौरान निकलना था।

(4) खान पदार्थों से पहला विमान शड्रूल के अनुसार 1971 में निकलेगा।

(5) इलेक्ट्रानिक फैक्टरी के लिए भवन 1967 के मध्य तक सम्पूर्ण होना था।

(6) तथा (7). विस्तार प्रकट करना लोक हित में नहीं है।]

(8) कोरापुट के आवश्यक भवन 1968 में सम्पूर्ण हो गए थे, सिवाय कुछ छोटे-मोटे कामों के। नासिक के आवश्यक भवन नवम्बर, 1966 में सम्पूर्ण हो गए थे और इलैक्ट्रानिक फैक्टरी 1967 के अन्त तक। विमानों के उत्पादन प्रायः शड्रूल के अनुसार ही शुरू हुआ है।

इंडो-चाइना आयोग की समस्याओं में बारे में पूछताछ करने के लिए उच्च-शक्ति प्राप्त निकाय का सैगोन का दौरा

3646. **श्री रणजीत सिंह** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डो-चाइना आयोग की समस्याओं के बारे में कुछ पूछताछ करने के लिये एक उच्च-शक्ति-प्राप्त निकाय ने 1968 में सैगोन का दौरा किया था ;

(ख) क्या पूछताछ की गई थी ;

(ग) यह निकाय किस निष्कर्ष पर पहुंचा ; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (घ). अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोगों की विभिन्न समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी दल जुलाई 1968 में वियतनाम गया था। आयोग के वित्त और अंतर्राष्ट्रीय आयोग में काम करने वाले कर्मचारियों में कमी करने से संबद्ध इसकी प्रमुख सिफारिशें अमल में लाई जा चुकी हैं।

जाली आयात लाइसेंसों का प्रयोग

3647. **श्री श्रीनिवास मिश्र** : **श्री एस० एम० कृष्ण** :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : **श्री यशपाल सिंह** :
श्री क० लकप्पा :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में 50 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा के जाली आयात लाइसेंस प्रयोग में लाये जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस गिरोह के कुछ सदस्यों को गिरफ्तार किया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इन व्यक्तियों को 20 जनवरी, 1969 को बम्बई में चीफ प्रेजीडेन्सी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जाली आयात लाइसेंसों के आधार पर विदेशों में विदेशी मुद्रा भेजने के कुछ मामलों का, जिनमें लगभग 10 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा अंतर्ग्रस्त है, सरकार को पता लगा है। सम्बद्ध पार्टियों के विरुद्ध मामले केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच के लिए दर्ज किये गये हैं।

(ख) तथा (ग). जी हां। विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन करने के संदेह में कतिपय व्यक्तियों को गिरफ्तार करके मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट, बम्बई के समक्ष पेश किया गया था।

Establishment of Industries in Kandla

3648. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the target regarding the setting up of export oriented industries in Kandla free-trade zone has not been achieved and the Kandla port has not been adequately utilised ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the measures proposed to be adopted to encourage the establishment of industries in Kandla area and to utilise the Kandla port adequately ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Chowdhary Ram Sewak) : (a) to (c). No target for setting up of industries in the Kandla Free Trade Zone has been laid down. The industrial activity in the Zone has been gradually picking up. The facilities like Registered Exporters Policy, advance licensing have been extended to the establishment in the Kandla Free Trade Zone.

The performance of Kandla Port has been very good since its beginning in 1957. With the linking of Port with Ahmedabad by Broad Gauge rail, expected by the end of this year, the Port may be called upon to handle increased traffic. The traffic may also experience diversification.

Import of Industrial raw materials by S.T.C.

3649. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri B. K. Daschowdhury :
Shri D. N. Patodia :
Shri Sitaram Kesri :
Shri Yashwant Singh Kushwah :
Shri N. K. Somani :
Shri Beni Shanker Sharma :
Shri D. C. Sharma :
Shri Ranjit Singh :
Shri Hardayal Devgun :
Shri K. P. Singh Deo :
Shri N. R. Laskar :
Shri Chengalraya Naidu :
Shri R. K. Sinha :
Shri Yajna Datt Sharma :
Shri Jyotirmoy Basu :
Shri Basumtari :
Shri Bal Raj Madhok :

Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to entrust to the State Trading Corporation the work relating to the import of all kinds of industrial raw materials ;

(b) if so, the reaction of various industries thereto ; and

(c) the financial gains likely to accrue therefrom ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Chowdhary Ram Sewak) : (a) to (c). Government are currently engaged in the annual exercise of formulating the import policy for the succeeding year, namely, 1st April 1969 to 31st March, 1970. In this context some suggestions for increasing progressively the share of State agencies in the import trade are being examined. Decisions on these suggestions will be based on our assessment of advantages that would in consequence accrue to the country's economy.

Representations have been received regarding difficulties that may arise if canalisation of all imports is introduced.

परमाणु शक्ति का शान्ति के लिये उपयोग करने के बारे में भारत और फिलीपीन के बीच करार

3650. **श्री ए० श्रीधरन :**
श्री क० लकप्पा :
श्री श्रीनिवास मिश्र :
श्री एस० एम० कृष्ण :
श्री ए० कुण्डू :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत तथा फिलीपीन के बीच एक करार हुआ है जिसके

अनुसार दोनों देश परमाणु शक्ति का शान्ति के लिये उपयोग करने के बारे में पारस्परिक सहयोग करेंगे;

(ख) यदि हां, तो समझौते का विषय क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां।

(ख) करार की मुख्य बातें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

भारत तथा फिलीपीन की सरकारों के बीच परमाणु ऊर्जा के शांतिमय उपयोगों के बारे में हुए करार की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :

(1) रिसर्च रिऐक्टरों, न्यूट्रल क्रिस्टल स्पेक्ट्रोमीटर तथा अन्य सुविधाओं का उपयोग करने के बारे में पारस्परिक सहयोग से चलाया जाने वाला कार्यक्रम तैयार करना तथा उसे कार्यान्वित करना।

(2) रेडियोआइसोटोपों के उपयोग।

(3) नाभिकीय इलेक्ट्रानिकी तथा उपस्करों का विकास।

(4) वैज्ञानिक कर्मचारियों का आदान-प्रदान।

(5) अवर्गीकृत वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य और नाभिकीय इंजीनियरी के काम आने वाले उपकरणों तथा उपस्करों के नमूनों का आदान-प्रदान।

(6) ऐसे लोगों का आदान-प्रदान जिन्हें शिक्षावृत्तियां दी गई हैं।

नौसेना मुख्यालय में हिन्दी अनुवाद कार्य

3651. **श्री सूरज भान** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेना तथा वायुसेना मुख्यालय में बारह हिन्दी अनुवादक हैं जिसमें प्रत्येक मुख्यालय में प्रथम श्रेणी का एक अधिकारी भी शामिल है;

(ख) क्या यह भी सच है कि नौसेना मुख्यालय में ऐसे दो कर्मचारी हैं और इसके अतिरिक्त दो अन्य अस्थायी पदों की केवल छः महीने के लिये स्वीकृति दी गई है और इसमें से कोई स्थान राजपत्रित नहीं है;

(ग) यदि हां, तो तीनों मुख्यालयों में प्रत्येक में किये गये अनुवाद कार्य और किये जाने वाले अनुवाद कार्य का अनुपात क्या है; और

(घ) नौसेना मुख्यालय में हिन्दी अनुवाद का कार्य कब तक अन्य दो मुख्यालयों के समान हो जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सेना मुख्यालयों के लिये प्रथम श्रेणी स्थान समेत 14 नियुक्तियां और वायुसेना के लिये 1 प्रथम श्रेणी नियुक्ति समेत 11 स्थान हिन्दी अनुवाद कार्य के लिए स्वीकृत किए गए हैं।

(ख) हिन्दी अनुवाद कार्य के लिए सैनिक मुख्यालयों द्वारा स्वीकार की गई अराजपत्रित नियुक्तियों में से दो 6 मास की अवधि के लिए स्वीकार की गई थीं। इन नियुक्तियों की अवधि बढ़ाने के लिये विचार किया जा रहा है।

(ग) तथा (घ). मानक फार्मों और मैनुअलों-पम्फलेटों के सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है :

मानक फार्म	सेना (अन्तस्सेवा संगठनों समेत)	नौसेना	वायुसेना
अनुवाद के लिये मानक फर्मों की लगभग संख्या	2670	1255	662
अनुदित फार्मों की लगभग संख्या	733	868	592
अभी अनुदित होने वाले फार्मों की लगभग संख्या	1937	387	70
मैनुअल-पम्फलेट			
अनुवाद के लिये मैनुअलों-पम्फलेटों की लगभग संख्या	441	350	240
अनुदित मैनुअलों-पम्फलेटों की लगभग संख्या	143	—	24
अभी अनुदित होने बाले मैनुअलों-पम्फलेटों की लगभग संख्या	298	350	216

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य प्रकाशनों इत्यादि की भी एक भारी संख्या है और उनकी वास्तविक संख्या निर्धारित की जा रही है।

(घ) इन तीनों सेवाओं के मुख्यालयों में होने वाले अनुवाद कार्य की तुलना, हिन्दी में अब तक अनुदित शब्दों की संख्या निर्धारित होने के पश्चात् ही की जा सकती है। इस विस्तृत सूचना को इकट्ठा करने में भारी समय और श्रम अन्तंग्रस्त होगा, जो शायद प्राप्त हो पाने वाले परिणामों के अनुरूप न हो। तदपि, काम को शीघ्र सम्पन्न करने के लिये नौसैनिक मुख्यालयों में अनुवाद के लिए अतिरिक्त कर्मचारीगण की स्वीकृति का प्रश्न भी विचाराधीन है।

नारियल जटा की चटाइयां बनाने वालों की सहकारी समितियां

3652. **श्री क० अनिरुद्धन : श्री अ० कु० गोपालन :**
श्रीमती सुशीला गोपालन : श्री के० एम० अब्राहम :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नारियल जटा की चटाइयां बनाने वालों की कुछ सहकारी समितियों से 30 दिसम्बर, 1968 को कोई संयुक्त ज्ञापन मिला है;

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन में दर्ज मुख्य मांगें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उनकी मांगों पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो ज्ञापन में उल्लिखित मामलों में कुछ राहत देने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). एक विवरण (अंग्रेजी में) सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 408/69]**

पाकिस्तान द्वारा मिजोओं को शस्त्रों की सहायता

3653. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री नि० रं० लास्कर : श्री ओंकार लाल वेरवा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान में प्रशिक्षित कुछ विद्रोही मिजों ने गत जनवरी मास में त्रिपुरा में केन्द्रीय पुलिस पर हमला किया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि मिजो पाकिस्तान में बने आधुनिकतम हथियारों से लैस थे;

(ग) क्या पाकिस्तान द्वारा विद्रोही मिजो और नागाओं को सहायता देने से भारत और पाकिस्तान के बीच स्वास्थ्यप्रद संबंधों की सम्भावना में कमी हुई है और क्या इस बारे में भारत सरकार ने पाकिस्तान को अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराया है; और

(घ) यदि हां, तो इस विषय में पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). 27 फरवरी, 1969 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1484 के उत्तर में गृह मंत्रालय में मंत्री ने इस घटना का विवरण सदन के समक्ष रखा था।

(ग) जी हां।

(घ) पाकिस्तान सरकार ने इस बात से इन्कार किया है कि वह विद्रोहियों को किसी प्रकार की सहायता दे रही है।

झींगा मछलियों को जहाज द्वारा बाहर भेजने में विलम्ब

3654. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जहाजों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न होने के कारण निर्यात के लिये लगभग 5 करोड़ रुपये के मूल्य की झींगा मछली के 50,000 बक्से जनवरी, 1969 के अन्त तक केरल के कोचीन पत्तन में पड़े रहे; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यबाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). जनवरी 1969 के माह में कोचीन पत्तन पर कुछ रीफर कार्गो जमा हो गया था। फरवरी, 1969 के माह में जहाजों की उपयुक्त संख्या की व्यवस्था की गई और जमा माल को हटा दिया गया।

अन्य देशों के साथ औद्योगिक सहयोग

3655. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उद्योगपतियों ने किन-किन देशों में वहां के उद्यमियों के सहयोग से उद्योग स्थापित किये हैं;

(ख) अब तक इन देशों में प्रत्येक परियोजना पर प्रत्येक भारतीय उद्योगपति द्वारा कितनी-कितनी पूंजी लगायी गयी है; और

(ग) भारतीय उद्योगपतियों द्वारा विदेशों में विनियोजन से 1968-69 तक वर्षवार भारत में कुल कितना धन आया ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) भारतीय सहयोग से विदेशों में स्थापना के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित 75 प्रायोजनाओं में से 12 में, जो 8 देशों अर्थात्, इथोपिया, कीनिया, लीबिया, नाइजीरिया, श्रीलंका, ईरान, मलयेशिया तथा कनाडा में हैं, उत्पादन आरंभ हो गया है ।

(ख) सम्बद्ध भारतीय पार्टी द्वारा प्रत्येक देश में प्रायोजनावार निवेश सरकार द्वारा

अनुमोदित रूप में निम्नलिखित हैं :

क्रमांक	देश	सहयोग का क्षेत्र	भारतीय सहयोगी	भारतीय निवेश का परिमाण (लाख रु० में)
1.	इथोपिया	वस्त्र	मैसर्स बिड़ला ब्रदर्स (प्रा०) लि०, कलकत्ता ।	5.7
2.	,,	ऊनी वस्त्र मिल	मैसर्स डुनकन ब्रदर्स एण्ड कं०, कलकत्ता ।	8.5
3.	कीनिया	वस्त्र	श्री आर० एम० गोकुल-दास, बम्बई ।	16.6
4.	,,	ग्राइप वाटर संयंत्र	मैसर्स के० टी० डोंगरे एण्ड कं०, बम्बई ।	1.0
5.	,,	हल्के इंजीनियरी कारखाने	मैसर्स एच० एल० मल्होत्रा एण्ड सन्स (प्रा०) लि०, कलकत्ता ।	21.0
6.	लीबिया	पाइपें	मैसर्स इण्डियन हिय्म पाइप को० लि०, बम्बई ।	8.0
7.	नाइजीरिया	इंजीनियरी सामान	मैसर्स बिड़ला ब्रदर्स (प्रा०) लि०, कलकत्ता ।	16.0
8.	,,	विलायक निस्सारण संयंत्र	,,	2.6
9.	श्रीलंका	सिलाई मशीन निर्माण	मैसर्स जय इंजीनियरिंग बर्क्स, कलकत्ता ।	5.1
10.	ईरान	अलौह सेमिस निर्माण	मैसर्स कमानी मैटल्स एण्ड एलायस लि०, बम्बई ।	2.5
11.	मलयेशिया	इस्पात फर्नीचर निर्माण	मैसर्स गाडरेज एण्ड बायस मैन्यु० कं० (प्रा०) लि०, बम्बई ।	16.7
12.	कनाडा	हार्डबोर्ड फैक्टरी	मैसर्स अनिल हार्डबोर्ड, लि०, बम्बई ।	37.5

(ग) चूंकि ऊपर (ख) में उल्लिखित अधिकांश प्रायोजनाओं में हाल ही में उत्पादन आरम्भ हुआ है अतः निवेश के देश में उनके कार्यकलापों के फलस्वरूप विदेशी मुद्रा के उपार्जन का अनुमान लगाना संभव नहीं है ।

भारतीय वायुसेना की शक्ति

3656. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायुसेना की लड़ाकू तथा गैर-लड़ाकू शक्ति अभी तक निर्धारित लक्ष्य से कम है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). इशारा शायद विमानों की ओर है । 45 स्क्वाड्रनों की आधुनिक और सन्तुलित वायुसेना तैयार करने की ओर कार्य किया जाना जारी है ।

उत्तर कोरिया के साथ राजनयिक संबंध

3657. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर कोरिया लोकतंत्रात्मक गणराज्य को राजनीतिक मान्यता देने के बारे में विचार कर रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार कोई ऐसा कदम उठाना नहीं चाहती जो उस देश के वर्तमान कृत्रिम विभाजन को स्थायित्व प्रदान करे । इसलिए, हमने न तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य कोरिया (उत्तर कोरिया) और न गणराज्य कोरिया (दक्षिण कोरिया) को राजनयिक मान्यता दी है लेकिन इन दोनों के साथ हमारे कौंसली और व्यापारिक संबंध हैं ।

ब्रिगेड पैरेड ग्राउण्ड, कलकत्ता में सार्वजनिक सभा करना

3658. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने दिसम्बर, 1968 में अपने कलकत्ते के दौरे के समय ब्रिग्रेड पैरेड ग्राउण्ड में एक सार्वजनिक सभा की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उस सार्वजनिक सभा का आयोजन कांग्रेस दल ने किया था; और

(ग) यदि हां, तो एक गैर-सरकारी संस्था को ब्रिग्रेड पैरेड ग्राउण्ड में सार्वजनिक सभा करने की अनुमति कैसे प्रदान की गई जबकि इससे पहले पश्चिम बंगाल युनाइटिड फ्रन्ट को इसी प्रकार की अनुमति देने से इन्कार कर दिया गया था ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). विषयग्रस्त क्षेत्र का प्रशासनिक नियंत्रण भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को दे दिया गया है । उसमें किसी जनसभा के लिए रक्षा अधिकरणों द्वारा अनुमति नहीं दी जाती ।

आए लोगों की भीड़ के आकार और फलस्वरूप भीड़ नियंत्रण, सभा में भाग लेने वालों की सुविधा और रक्षा, यातायात के नियंत्रण, सुरक्षा और संगत तथ्यों सम्बन्धी समस्यायों को भी सामने रखते हुए प्रधान मंत्री द्वारा सम्बोधित उस जन सभा के आयोजन की शायद राज्य सरकार ने अनुमति दी थी ।

भाग (ग) उल्लिखित संयुक्त मोर्चे द्वारा संगठित सभाओं के सम्बन्ध में तथ्यों या परिस्थितियों की भारत सरकार को जानकारी नहीं है ।

भारत-बलगारिया संयुक्त व्यवस्था

3659. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के अपने हाल के राजकीय दौरे में बलगारिया के प्रधान मंत्री आर्थिक तथा अन्य क्षेत्रों में सहकारिता के पहलुओं पर विस्तारपूर्वक विचार करने हेतु संयुक्त व्यवस्था स्थापित करने के लिये सहमत हो गये थे;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है;

(ग) क्या संयुक्त व्यवस्था स्थापित कर दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके कब स्थापित किये जाने की संभावना है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

मोटर-गाड़ियों के निर्माण के लिये सहयोग

3660. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका सरकार मोटर गाड़ियों के निर्माण के लिए भारत और ब्रिटेन के साथ मिल कर एक संयुक्त कारखाना लगाने पर सहमत है ;

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने में भारत का कितना हिस्सा होगा ; और

(ग) यह कारखाना कहां पर स्थापित किए जाने की सम्भावना है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री(चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) प्रायोजना की अंशपूंजी में भारत का हिस्सा 300,000 पौंड तक सीमित होगा ।

(ग) इस कारखाने को श्रीलंका के कोलम्बो जिले में स्थापित किए जाने की सम्भावना है ।

आई० एन० एस० विक्रांत

3661. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई० एन० एस० विक्रान्त किस कीमत पर खरीदा गया था और इस पर कितने तथा किस प्रकार के विभाग होते हैं ;

(ख) आई० एन० एस० विक्रान्त के कितने विभाग नष्ट हो चुके हैं और कितने विभाग पुराने हो चुके हैं ;

(ग) आई० एन० एस० विक्रान्त की मरम्मत पर प्रतिवर्ष कुल कितनी राशि खर्च की जाती है और जब से विमान वाहक खरीदा गया है उसके बाद आई० एन० एस० विक्रान्त ने कितने विमान ढोये हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार भारतीय नौसेना के लिये निकट भविष्य में और विमान-वाहक जहाज खरीदने का है ?

प्रतिरक्ष मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ). आई० एन० एस० विक्रान्त की मूल लागत 21.8 करोड़ रुपये थी । यह लड़ाका, पनडुब्बी विध्वंसक बमवर्षकों, हैलीकोपटरों को वहन करता है । जबकि अन्य मांगे गये विस्तारों को देने की मुझसे प्रत्याशा नहीं की जा सकती, यह बताया जा सकता है कि सरकार के पास इस समय अन्य विमान वाहकों को अर्जित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

विद्युतचालित करघों की योजना

3662. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** :
श्री रा० कृ० सिंह :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विद्युतचालित करघों की योजना को केन्द्रीय क्षेत्र को पुनःहस्तान्तरित करने सम्बन्धी मांग को स्वीकार कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) विद्युतचालित करघों की योजना में राज्यों का कितना अंशदान है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां ;

(ख) विद्युतचालित करघा जांच समिति की सिफारिश के अनुसार, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है, विद्युतचालित करघा उद्योग, हथकरघा उद्योग की भांति, एक राज्य आयोजना योजना है ।

(ग) विद्युतचालित करघों की राज्यों द्वारा व्यक्तियों तथा सहकारी समितियों को वितरित करना होता है । व्यक्तियों को आवंटन करने के सम्बन्ध में, यदि सहायता की अपेक्षा हो तो वह उद्योगों को राज्य सहायता अधिनियम अथवा बैंकों के सामान्य माध्यमों से देनी पड़ती है । सहकारी क्षेत्र के सम्बन्ध में केन्द्रीय सहायता 70 प्र० श० तक सीमित है और 25 प्र० श० राज्यों द्वारा अपने स्रोतों से प्रदान की जाती है ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा पटसन खरीदना

3663. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री रा० कृ० सिंह :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम ने गत सीजन में 40 रुपये प्रति मन की दर पर पटसन खरीदा और 75 रुपये की दर पर बेचा ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार खरीदी गई और बेची गई पटसन की मात्रा क्या थी और इससे कितना लाभ हुआ ; और

(ग) क्या कच्चे पटसन के वास्तविक उत्पादकों को राजसहायता देने का कोई प्रस्ताव है ताकि उन्हें उचित लाभ हो सके ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). 1967-68 के मौसम में पटसन के मूल्य समर्थन की कार्यवाही के अन्तर्गत, राज्य व्यापार निगम ने, कलकत्ता में सुपुर्दगी पर आसाम बाटम्स किस्म के लिए 107.17 प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थक मूल्य के आधार पर 12789 क्विंटल पटसन की खरीद की । चालू मौसम में पूरी मात्रा बेच दी गई तथा निगम को विद्यमान बाजार परिस्थितियों के आधार पर ऊंचा मूल्य मिला । निगम को लगभग 49 लाख रु० का शुद्ध लाभ हुआ ।

(ग) जी, नहीं । राज्य व्यापार निगम द्वारा अर्जित लाभ को सामान्यत: टाट का निर्यात बढ़ाने के लिये इस्तेमाल किया जाता है जिसके लिये विदेशी सरकारों द्वारा जारी किये टेंडरों पर प्रतिस्पर्धात्मक दरें दे कर क्रयादेश प्राप्त किये जाते हैं ।

इंजीनियरी माल का निर्यात

3664. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात के लिये इंजीनियरी माल का निर्माण बढ़ाने की कोई

योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे माल के नाम क्या हैं और उनके निर्माण में कितनी वृद्धि करने का विचार है ; और

(ग) यह माल किन-किन विदेशों को निर्यात किया जायेगा ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग) निर्यात हेतु उत्पादन बढ़ाने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(1) गुणावगुण के आधार पर चुने हुए निर्माता-सह-निर्यातकों को, निर्यात बढ़ाने वाले उत्पादों के विस्तार, आधुनिकीकरण तथा विविधीकरण के प्रयोजनार्थ पूंजीगत उपकरणों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा के विशेष आवंटन की सुविधा दी जाती है ;

(2) अपने उत्पादन के 10 प्र० श० से अधिक का निर्यात करने वाले एकक यथासंभव अपनी पसन्द के स्रोतों से कच्चे माल के आयात करने के पात्र है ;

(3) सारवान निर्यात निष्पादन वाले निर्माता एककों के मामले में, प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर, निर्यात प्रयत्नों में प्रयुक्त क्षमता को मंजूर की गयी क्षमता की गणना से अपवर्जित करने का विचार किया जायेगा ; और

(4) निर्यात उत्पादन के लिये अनुज्ञप्त अतिरिक्त क्षमता के लिए पूंजीगत माल, फालतू पुर्जों तथा कच्चे माल के लिए उपयुक्त आयात लाइसेंस देने, वित्तीय तथा तकनीकी और प्रबन्धकीय सहायता की व्यवस्था की जाएगी ।

उपरोक्त उपायों के फलस्वरूप उत्पादन में होने वाली वृद्धि का अनुमान लगाना संभव नहीं है । हमारा लक्ष्य अन्तर्राष्ट्रीय विपणन नीति अपनाना है ।

व्यापार प्रतिनिधिमंडल का न्यूजीलैण्ड का दौरा

3665. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :**
श्री रा० कृ० सिंह :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक व्यापार प्रतिनिधि मण्डल के शीघ्र ही न्यूजीलैण्ड जाने की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिनिधिमंडल अन्य देशों का दौरा भी करेगा ;

(ग) न्यूजीलैण्ड से भारत में आयात तथा उस देश को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का ब्योरा क्या है ; और

(घ) उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने की संभावना है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (घ) कुछ समय पूर्व राज्य व्यापार निगम के अध्यक्ष राज्य व्यपार निगम के एक निदेशक के साथ न्यूजीलैण्ड गये थे। उन्होंने आस्ट्रेलिया का भी दौरा किया। दो विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न हैं जिनमें गत तीन वर्षों में न्यूजीलैण्ड को हमारे निर्यातों तथा न्यूजीलैण्ड से किए गये हमारे आयातों के मूल्य दिये गये हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-409/69**]

नेफा में रडार केन्द्र

3666. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी सेना से वित्तपोषित एक रडार केन्द्र नेफा में स्थापित करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रयोजन हेतु ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कृत्रिम रेशम उद्योग

3667. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सिल्क तथा आर्ट सिल्क मिल्स एसोसिएशन के इस विज्ञापन की ओर दिलाया गया है कि मंत्रालय 1.85 करोड़ रुपये प्रति वर्ष के मामूली निर्यात के स्थान पर 20 करोड़ रुपये तक निर्यात बढ़ा सकता है ;

(ख) क्या यह भी कहा गया है कि उद्योग द्वारा उक्त उद्देश्य की प्राप्ति में निम्नलिखित रुकावटें हैं :— (1) राज्य व्यापार निगम द्वारा उद्योग को बहुत अधिक लाभ पर सूत बेचना और (2) नेपाल से सूत चोरी-छिपे लाया जाना ;

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस विषय में क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) उद्देश्य की प्राप्ति के लिये सरकार का उद्योग को किस प्रकार सहायता करने का प्रस्ताव है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख): जी हां।

(ग) और (घ). सरकार यह नहीं समझती कि राज्य व्यापार निगम धागे को भारी लाभ पर बेच रहा है। यदि निर्यातों में वृद्धि नहीं हुई तो वह अन्य कारणों की वजह से है। निर्यात संवर्धन उपायों की, जो पहले ही चालू हैं, निरंतर समीक्षा की जाती है और निर्यातों को बढ़ाने के लिए सरकार उद्योगपतियों तथा व्यापारियों, जिनमें सिल्क एंड आर्ट सिल्क मिल्स एसोसिएशन, बम्बई भी शामिल है, से प्राप्त सुझावों पर विचार करेगी।

1969-70 में दिल्ली के लिए योजना राशि का निर्धारित किया जाना

3668. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1969-70 में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के लिये योजना राशि अंतिम रूप से निर्धारित कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी धन राशि निर्धारित की गई है ; और

(ग) किन मुख्य सेवाओं के लिए धनराशि निर्धारित की गई है ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) उन्हें अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। जैसा कि सभा पटल पर प्रस्तुत विवरण में दिखाया गया है विभिन्न क्षेत्रों के लिए अस्थायी प्रावधान किया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 410/69**]

मैंगनीज अयस्क के निर्यात पर खनिज तथा धातु व्यापार निगम के अध्यक्ष के प्रतिवेदन

3669. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम के चेयरमैन ने 4 मास के विदेशों के दौरे के बाद मैंगनीज अयस्क के निर्यात के बारे में चिन्ता व्यक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो खनिज तथा धातु व्यापार निगम के चेयरमैन ने मैंगनीज अयस्क के निर्यात में कटौती के क्या कारण बताये हैं ; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं।

(ख) वर्ष 1968 में 11.77 लाख टन मैंगनीज अयस्क का निर्यात हुआ जो वर्ष 1967 के नियातों से 94,000 मे० टन अधिक है। वर्ष 1969 में निर्यात के लिए 13 लाख मे० टन का और भी ऊंचा लक्ष्य रखा गया है और इस लक्ष्य में से 10 लाख मे० टन से अधिक के क्रयादेश अब तक प्राप्त किये जा चुके हैं।

(ग) भारतीय मैंगनीज अयस्क के प्रमुख्य बाजारों में अपना कब्जा बनाये रखने के लिये खनिज तथा धातु व्यापार निगम कतिपय विदेशी विभागों में अपने विक्रय-अधिकर्ता नियुक्त करने तथा उन देशों में स्थिति हमारे मिशनों की सहायता लेने के अतिरिक्त उपभोक्ताओं तथा क्रेता संगठनों से संपर्क स्थापित करने के लिये प्रतिनिधि मंडल भेजता रहा है। स्वदेश में अंतःराजीय परिवहन तथा पत्तन सुविधाओं के विकास के लिये समेकित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है जिनके पूरा हो जाने पर समुद्री भाड़े में कमी हो जाएगी और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय अयस्क अधिक प्रतिस्पर्धा कर सकेगी।

Indo-Nepal Trade

3670. **Shri Yashwant Singh Kushwah:** Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) the details and the quantity of goods exported to and imported from Nepal during the last three years ; and

(b) the steps taken by Governments of the two countries with a view to check illegal trade between India and Nepal ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Chowdhary Ram Sewak): (a) India's exports to and imports from different countries including Nepal are published monthly by the Director General of Commercial Intelligence and Statistics, Calcutta. However, a statement showing details regarding commodities quantity and value of Indo-Nepal trade over the past three years, is attached. [**Placed in Library. See No. LT-411/69.**]

(b) The Customs posts on the Indo-Nepal border are functioning also as preventive check-posts. At present there are 18 checkposts in all, 9 in Bihar, 8 in U. P. and 1 in West Bengal. In order to prevent smuggling across Indo-Nepal border, we have strengthened the preventive measures along the border. We have also created additional mobile parties, 13 in Allahabad Collectorate and 14 in the Patna Collectorate. In the West Bengal Collectorate, 3 preventive posts have been set up and necessary staff has also been given to man them. It has also been agreed that the two Governments will continue to take preventive measures against smuggling and deflection of trade.

Export of Manganese Ore

3671. **Shri Yashwant Singh Kushwah :**
Shri Meetha Lal Meena :
Shri P. K. Deo :
Shri D. N. Deb :
Shri R. K. Amin :

Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) the figures regarding the export of manganese ore during the last two years ;

(b) the amount of foreign exchange earned therefrom ; and

(c) the target of its export for the next year ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Chowdhary Ram Sewak) : (a) and (b). Export of manganese ore from India during the last two years and foreign exchange earned therefrom are indicated below :—

		Quantity	Value
		Million Tonnes	Rs. lakhs
1967	..	1.083	1241.20
1968	..	1.177	1165.24

(c) An export target of 1.3 million tonnes of manganese ore has been set for 1969.

रूस के साथ व्यापार करार

3672. **श्री यशपाल सिंह :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1968 में इस सरकार के साथ कोई व्यापार करार किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उस करार के अंतर्गत रूस को किन-किन वस्तुओं का वहां से आयात किया जायेगा और उससे क्या वित्तीय लाभ प्राप्त होंगे ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख) सन् 1969 के लिये भारत तथा सोवियत संघ के बीच वस्तुओं के अदान-प्रदान के बारे में समीक्षा दिसम्बर, 1968 में पूरी की गई । इस समीक्षा के अनुसार, 1969 में जिन मुख्य मदों का सोवियत संघ को संभवतः निर्यात किया जाना है वे ये हैं; अभ्रक, कच्ची ऊन, कच्चा पटसन, बकरी की खालें, तम्बाकू, काफी, चाय, मसाले, काजू गिरी, हाथ से चुनी हुई मूंगफली, तेल रहित खली, कच्ची अफीम, चमड़े के जूते, पटसन का बना हुआ सामान, सूती कपड़ा, सिले-सिलाये परिधान, ऊनी कपड़ा, खेलकूद का सामान, नारियल जटा का सामान, रसायन तथा कीट नाशक, हस्तशिल्प, ओषधियां तथा भेषजें, वेल्लित इस्पात उत्पाद, रेल माल-डिब्बे, इंजीनियरी सामान, मोटर गाड़ियों के टायर तथा ट्यूबें आदि । 1969 में जिन मदों का सोवियत संघ से आयात किया जायेगा उनमें मुख्य ये हैं :— सोवियत सहायता से लगी प्रयोजनाओं के लिये मसीनी उपकरण और फालतू पुर्जे, बिजली के तथा विद्युत-तकनीकी उपकरण, खनन, भूवैज्ञानिक खोज, लदान तथा परिवहन संबंधी उपकरण, ट्रैक्टर, मुद्रण मशीनें, प्रयोगशाला के तथा वैज्ञानिक उपकरण निर्माण के तथा मिट्टी हटाने के उपकरण, तेल उत्पाद, कच्चा एस्बस्टोस, अखबारी कागज, लकड़ी की लुग्दी, जस्ता, प्लेटिनम, वेल्लिज इस्पात उत्पाद, टिन प्लेटें, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, म्यूरियेट आफ पोटाश, गंधक, रसायन आदि ।

सोवियत संघ के साथ हमारे व्यापार से आर्थिक लाभ यह है कि यह व्यापार भारतीय रूपये में होता है तथा संतुलित होता है जिसमें हमारे आयातों का मूल्य माल का निर्यात करके चुकाया जाता है ।

रूस को निर्यात

3673. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1969 में रूस को माल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि में रूस को कितनी कीमत का माल निर्यात किया जायेगा; और

(ग) किन वस्तुओं का निर्यात किया जायगा ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग) 1969 में सोवियत रूस को भारत से वस्तुओं का निर्यात दोनों देशों के बीच व्यापार तथा भुगतान करार के अंतर्गत दिसम्बर, 1968 में हुई व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा । भारत से निर्यात की जाने वाली प्रमुख मदें ये हैं : अभ्रक, कच्ची ऊन, कच्चा पटसन, कमाया तथा अंशतः कमाया हुआ बकरी का चर्म, तम्बाकू, चमड़ा, अरंडी का तेल, काफी, चाय, मसाले, काजू-गिरी, हाथ से चुनी हुई मूंगफली, तेल रहित खली, अशोधित अफीम, चमड़े के जूते, पटसन का माल, सूती कपड़े के थान, सिले-सिलाये वस्त्र, ऊनी वस्त्र, खेलकूद का समान, नारियल जटा का माल, रसायन तथा कीटनाशक दवाएं, हस्तशिल्प की वस्तुएं, भेषज तथा औषधियां, वेल्लित इस्पात के उत्पाद, रेल के डिब्बे, इंजीनियरी समान तथा मोटर गाड़ो के टायर तथा ट्यूब । 1969 में सोवियत रूस को लगभग 145 करोड़ रुपये मूल्य का माल निर्यात होने की आशा है ।

रुपया भुगतान वाले देशों के व्यापार संतुलन में परिवर्तन

3674. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी यूरोप के कुछ देशों ने जिनमें यूगोस्लाविया भी शामिल है, तथा जिसने रुपयों का भुगतान रोक रखा है, यह प्रयास किया है कि रुपयों को निर्वाध विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करने के लिये भारत से कहा जाये और यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ;

(ख) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या सरकार इनमें से किसी प्रस्ताव को उचित समझ रही है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने उक्त अभियान का विरोध किया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) सरकार का इन भुगतानों का किस प्रकार निबटारा करने का विचार है ; और

(ङ) क्या इन घटनाओं के कारण रुपया भुगतान व्यापार के प्रति सरकार का रुख बदल गया है।

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं। भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार तथा भुगतान व्यवस्थाओं वाले किसी भी पूर्व यूरोपीय देश ने अपनी रुपयों में विद्यमान बकाया राशियों को मुक्त विदेशी मुद्रा में बदलवाने के लिये भारत सरकार से अनुरोध नहीं किया है। चालू व्यवस्थाओं के अन्तर्गत इन देशों द्वारा ऐसी बकाया राशियों का उपयोग भारतीय सामान खरीदने के लिये किया जाना है।

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

नमक का निर्यात बढ़ाने के लिये वित्तीय सहायता

3675. **श्री हरदयाल देवगुण** :　　**श्री बेणी शंकर शर्मा** :
श्री दी० चं० शर्मा :　　**श्री रणजीत सिंह** :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने नमक का निर्यात बढ़ाने में सहायता करने के लिये अनुरोध किया है ;

(ख) क्या सरकार ने आवेदन पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक): (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग). नमक का निर्यात केवल राज्य व्यापार निगम के माध्यम से ही किया जाता है। निगम, नमक की लदानगति बढ़ाने के लिये स्वचालित इस्पात नौकाओं के एक अतिरिक्त बेड़े की खरीद के लिये गुजरात सरकार को ऋण के रूप में 35 लाख रुपये की अग्रिम राशि देने के लिये सहमत हो गया है। इस संबंध में एक करार पर 5 फरवरी, 1969 को गुजरात सरकार तथा राज्य व्यापार निगम के बीच हस्ताक्षर हुए थे।

पारादीप पत्तन

3676. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पारादीप पत्तन में शीघ्र ही काम बंद होने की संभावना है क्योंकि खनिज धातु व्यापार निगम वर्ष, 1969-70 में लौह अयस्क के निर्यात के लिये जापान के साथ कोई सौदा करने में असफल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो खनिज तथा धातु व्यापार निगम किन विशिष्ट परिस्थितियों के कारण जापान के साथ अपेक्षित सौदा करने में असफल रहा है ;

(ग) क्या यह सच है कि पारादीप पत्तन का विकास मुख्य रूप से लौह अयस्क के निर्यात करने के लिये किया गया था ;

(घ) पत्तन की क्षमता का अधिकतम प्रयोग सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ङ) वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए 1969-70 में इसकी कितनी क्षमता बेकार रहने की संभावना है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ). उड़ीसा खान निगम की दैतरी की खानें चालू न होने तक बराजवादा क्षेत्र से लौह अयस्क को पूर्वी तट लाइन पर भुवनेश्वर जैसे माल उतारने वाले केन्द्रों पर रेल द्वारा लाया जा रहा है, जहां से इसे सड़क द्वारा पारादीप पहुंचाया जाता है। कटक-पारादीप रेल लिंक पर निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया है। इसी बीच पारादीप से लौह अयस्क के जहाज लदान को, जो 1967 में 6 लाख मे० टन था, बढ़ाकर 1968 में लगभग 11 लाख मे० टन कर दिया गया है। 1969-70 में पारादीप के माध्यम से उसी स्तर पर निर्यात को बनाये रखने की संभावना है। इस पत्तन में 25 लाख मे० टन लौह अयस्क के निर्यात को संभालने की क्षमता है।

चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाना

3677. **श्री रा० कृ० सिंह :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाने के लिए जापान ने अपने प्रयत्नों में भारत का सहयोग मांगा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत-श्रीलंका व्यापार

3678. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीलंका को किन-किन वस्तुओं का निर्यात करने का विचार है और क्या श्रीलंका को अन्य देशों द्वारा भेजे जाने वाले माल की तुलना में इनके दाम प्रतियोगी हैं ;

(ख) गत वर्ष के अन्त में श्रीलंका के साथ भारत का व्यापार अन्तर क्या था और हमारी ओर से किये जाने वाले अधिक निर्यात के बदले में श्रीलंका ने हमें किन-किन वस्तुओं का निर्यात करना स्वीकार किया है, ताकि हमें अपना माल उधार न बेचना पड़े, जो हमारे लिये लाभदायक नहीं है ; और

(ग) क्या खराब प्रतियोगिता को रोकने के लिये विदेशी बाजारों को किये जाने वाले माल के कोटे और दामों के बारे में कोई करार किया गया है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). संभवतः माननीय सदस्य का निर्देश आर्थिक सहयोग पर भारत-श्रीलंका समिति की प्रथम बैठक के अवसर पर जनवरी, 1969 में कोलम्बो में हुई बातचीत की ओर है। समिति ने अनेक ऐसी मदों का पता लगाया जिनमें पारस्परिक व्यापार के विस्तार की संभाव्यता है। ये मदें वार्ता के अन्त में जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति में उल्लिखित हैं जिसकी एक प्रति पहले ही 12 मार्च, 1969 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 450 के उत्तर में सभा-पटल पर रख दी गई है। वर्ष 1967-68 में श्रीलंका को हमारे निर्यात और वहां से आयात क्रमशः 1493 लाख रुपये तथा 333 लाख रुपये के हुए। अतः 1,160 लाख रुपये का अन्तर भारत के अनुकूल था।

(ग) जी नहीं।

हथकरघा विकास के लिये उपकर-निधि

3679. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र द्वारा हथकरघा विकास निधि बनाने के लिये जिसे उपकर-निधि कहा जाता है, देश में निर्मित मिलों के कपड़ों के प्रति वर्ग गज पर एक चौथाई आना के हिसाब से उपकर लगाया जा रहा था ;

(ख) क्या तीसरी योजना में इसे राज्यों की योजनाओं में मिला दिया गया था ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या हथकरघा विकास के लिये राज्य शेयर निधि नियत कर रहे हैं ;

(ङ) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य द्वारा कितना नियतन किया गया है ;

(च) यदि राज्य समुचित नियतन नहीं कर रहे हैं तो क्या सरकार शुल्क वापिस लेगी और स्वयं नियतन करेगी ; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) उपकर-निधि 1960 में समाप्त कर दी गई थी तथा मिल कपड़े पर एकत्रित अतिरिक्त उत्पादन शुल्क सामान्य राजस्व में जमा करा दिया गया।

(ग) उपकर निधि को समाप्त करने के निम्नलिखित कारण थे :—

(1) उपकर निधि में जमा राशि हथकरघा उद्योग के लिये अपर्याप्त थी तथा सामान्य राजस्व से अतिरिक्त राशियां उपलब्ध कराई जाती थीं।

(2) हिसाब में क्रियाविधि संबंधी कठिनाइयां थीं।

(घ) तथा (ङ). हथकरघा विकास के लिये राज्य निधियों का नियतन करते हैं। तीसरी योजना अवधि में, विभिन्न राज्यों द्वारा किया गया व्यय संलग्न विवरण (अंग्रेजी) में दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 412/69]

(च) तथा (छ). प्रश्न नहीं उठते।

संकटग्रस्त कपड़ा उद्योग को 'प्राथमिकता वाले उद्योग' बनाना

3680. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संकटग्रस्त कपड़ा उद्योग को 'प्राथमिकता वाले उद्योगों' की सूची में सम्मिलित करने के लिये सरकार को कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). गत कुछ समय से सूती वस्तु उद्योग यह आग्रह कर रहा है कि उसे 'प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों' की सूची में सम्मिलित किया जाये। यद्यपि निगम-कर की रियायती दर के संबंध में इस अनुरोध को स्वीकार करना सरकार के लिये संभव नहीं हो सका है, तथापि अधिक विकास छूट देने के प्रयोजनार्थ इस उद्योग को प्राथमिकता का दर्जा देने का विनिश्चय किया गया है। तद्नुसार वित्त विधेयक, 1969 में आवश्यक उपबंध रखा गया है।

प्रधान मंत्री की विदेश यात्राओं में साथी दल का आकार

3681. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री बलराज मधोक :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों में सरकारी प्रयोजनार्थ विदेश यात्राओं पर गई प्रधान मंत्री के साथ कितने-कितने अधिकारी गये थे ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : प्रधान मंत्री ने, पिछले दो वर्षों में जिन देशों की यात्रा की और उनके दल में जाने वालों की संख्या, जिसमें उनके निजी कर्मचारी भी शामिल

थे, इस प्रकार थी :—

1. श्री लंका	सितम्बर 1967	—	16
2. सोवियत रूस, पोलैंड, यूगोस्लाविया, बल्गारिया, रूमानिया और संयुक्त अरब गणराज्य	अक्तूबर 1967	—	16
3. सोवियत रूस	नवम्बर 1967	—	12
4. ब्राजील, उरुग्वे, अर्जनतीना, चिली, कोलम्बिया, वेनेजुला, ट्रिनीडाड, टोबागो और गुयाना	सितम्बर 1968	—	17
5. सिंगापुर, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और मलयेशिया	अक्तूबर 1968	—	14
6. यूनाइटेड किंगडम	जनवरी 1969	—	10

प्रधान मंत्री ने, मई 1968 में, सिक्किम और भूटान की भी यात्रा की, जो भारत के साथ, विशेष संधि सम्बन्ध के अन्तर्गत आते हैं। उस दल में सरकार की ओर से दौरे पर जाने वालों की संख्या 15 थी।

Pak. Activities on Rajasthan Borders

3682. **Shri Bhola Nath Master :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the recent reports that Pakistanis are indulging in provocative activities and are conducting war-exercises on Rajasthan borders and

(b) if so, the steps taken to safeguard the borders ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) and (b). There is no significant intensification of Pakistani military activities across the Rajasthan border. The Border Security Force is patrolling the Rajasthan border and constant vigilance is being maintained.

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

3683. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'इंडियन अमरीकन ट्रेड जनरल' में उनके लेख के संदर्भ में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कौन-कौन सी ऐसी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जिनकी उत्पादन लागत विश्व बाजार दर से कम बैठती है, और जिनके निर्यात के लिये राज सहायता की आवश्यकता नहीं होती ;

(ख) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के सभी विशिष्ट निर्यातों पर राज सहायता देने की बजाय कर से छूट का प्रमाणपत्र न देने के क्या कारण हैं ; और

(ग) देश के बाजारों को वस्तुओं की सप्लाई से वंचित न करने के लिये बेकार पड़ी केवल वर्तमान क्षमता को ही ऐसे प्रमाणपत्र न देने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम इंजीनियरी, औषधि, पैट्रोलियम, रसायन तथा अन्य क्षेत्रों में अनेक प्रकार के उत्पादों का निर्माण करते हैं। मदों का निर्यात सामान्यतः उन मूल्यों पर किया जाता है जो अन्तर्राष्ट्रीय विपणन तथा प्रतिस्पर्धा जैसे कारणों पर निर्भर होते हैं। घरेलू तथा विदेशी मूल्य भिन्न-भिन्न बाजारों में भिन्न-भिन्न हैं तथा अन्य कारणों की वजह से भी भिन्न-भिन्न हैं। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के उत्पाद अपरम्परागत हैं अतः उनके निर्यात हेतु इस समय विपणन सहायता अपेक्षित है, किन्तु इनमें से अधिकांश उत्पादों का उस सहायता के आधार पर निर्यात किया जा सकता है जो इस समय अपरम्परागत उत्पादों के निर्यातों पर दी जा रही है।

(ख) निर्यातों के लिये नकद सहायता के रूप में सहायता, कर विमुक्ति की अपेक्षा, अधिक प्रत्यक्ष तथा सुलभ है।

(ग) चूंकि इस समय किसी प्रकार के उत्पादों के निर्यात पर कर विमुक्ति के प्रमाणपत्र नहीं दिये जाते, अतः प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय व्यापारियों की सिंगापुर यात्रा

3684. **श्री अदिचन** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय व्यापारियों का एक पांच सदस्यीय दल भारत में बने रासायनिक तथा भेषजीय पदार्थों की सिंगापुर में बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में वहां भेजा गया था ;

(ख) यदि हां, तो इन पदार्थों के सिंगापुर को निर्यात किये जाने की संभावनाओं के संबंध में उक्त दल की निश्चित रिपोर्ट क्या है ; और

(ग) इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग). दल के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

ब्रिटेन के साथ व्यापार संतुलन

3685. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1968 में ब्रिटेन के साथ हुए 335 करोड़ रुपये के कुल

व्यापार में भारत के पक्ष में 115 करोड़ रुपये का आधिक्य रहा ; और

(ख) यदि हां, तो व्यापार को इस प्रकार से संतुलित करने के लिये और क्या कार्यवाही की गई है जिससे वह भारत के लिये लाभकारी हो ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जनवरी—नवम्बर, 1968 के ग्यारह महीनों की अवधि में, जिसके आंकड़े उपलब्ध हैं, ब्रिटेन के साथ भारत का कुल व्यापार (अर्थात निर्यात, पुनर्निर्यात तथा आयात) 323 करोड़ रुपये का हुआ और इस अवधि में ब्रिटेन के साथ भारत के व्यापार संतुलन में 69 करोड़ रुपये का लाभ रहा ।

(ख) विभिन्न निर्यात संवर्धन उपायों को जारी रखने के अतिरिक्त, स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर यथोचित उपाय किये जायेंगे ।

मनीपुर में भूतपूर्व सैनिक

3685. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर संघराज्य क्षेत्र में भूतपूर्व कमीशन-प्राप्त अधिकारियों समेत कितने भूतपूर्व सैनिक हैं ;

(ख) रोजगार के अवसर तथा उनके हितों की सुरक्षा समेत क्या सुविधायें दी गई हैं ;

(ग) उनमें से कितने व्यक्तियों को पुनर्नियुक्त कर लिया गया है ;

(घ) क्या रोजगार देने के मामले में उनके लिये कोई आरक्षण किया जाता है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या उन्हें आरक्षण सम्बन्धी उक्त उपबन्धों के अन्तर्गत अवसर दिया जाता है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) मणिपुर प्रशासन द्वारा सितम्बर, 1967 में दी गई सूचना के अनुसार, मणिपुर के संघीय क्षेत्र में 5,333 भूतपूर्व सैनिक थे, अभी तक मणिपुर के 7 आपाती कमीशन प्राप्त अफसर विमुक्त किए गए हैं ।

(ख) तथा (घ). सदस्य महोदय का ध्यान लोक सभा में उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्नों संख्या 2939 दिनांक 19-6-1967 के भाग (ख) के उत्तर और 2281 दिनांक 27-11-1968 के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है ।

(ग) 1967 के दौरान इम्फाल (मणिपुर) के रोजगार दिलाऊ कार्यालय में रजिस्टर किए गए 155 भूतपूर्व सैनिकों में से 6 को रोजगार दिलाया गया था और 1968 के दौरान रजिस्टर किए गए 87 भूतपूर्व सैनिकों में से 4 को, मणिपुर के अब तक विमुक्त

किए गए 7 आपाती कमीशन प्राप्त अफसरों में 4 को उपयुक्त असैनिक नियुक्तियों में खपाया गया है ।

(ङ) सुरक्षण आदेशों के फलस्वरूप 17 सुरक्षित रिक्त स्थान 1967 और 1968 के दौरान रोजगार दिलाऊ कार्यालय को घोषित किए गए थे, जिनमें से 6 भूतपूर्व सैनिकों द्वारा पूरी की गई थीं । इसी प्रकार एक विमुक्त ई० सी० ओ० को विमुक्त ई० सी० ओज० के लिए 1966 में आयोजित आई० ए० एस० इत्यादि परीक्षा के आधार पर केन्द्रीय सरकार की प्रथम श्रेणी के लिए सुरक्षित रिक्त स्थान के लिए चुन लिया गया है ।

मनीपुर में ईंटों के दाम

3687. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मनीपुर संघ राज्यक्षेत्र में ईंटे बहुत ऊंचे दामों पर बिक रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) मनीपुर से बाहर ईंटों के दाम काफी कम होने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए क्या मनीपुर सरकार का विचार ईंटों के उपयुक्त मूल्य निर्धारित करने हेतु कोई कार्यवाही करने का है ;

(घ) क्या सरकार ने मनीपुर में ईंट बनाने के उद्योग को वित्तीय सहायता दी है ; और

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में किन-किन सार्थों तथा व्यक्तियों को सहायता दी गई है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ङ). अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Prices of Cotton

3688. **Shri Deorao Patil :** Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the prices of raw cotton fluctuate every year due to lack of a policy to stabilise them ; and

(b) if so, the action taken by Government to improve this situation and to check such fluctuations ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Chowdhary Ram Sewak) : (a) and (b). It is a fact that the prices of raw cotton fluctuate from time to time, but this is not due to the lack of a policy to stabilise them. Government have taken

several measures including fixation of maximum stock levels of cotton for mills, credit restrictions, restrications on forward trading in cotton and fixation of support prices in order to stabilise the prices of cotton.

उर्वरकों की खरीद

3689. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी निर्माताओं द्वारा अपने देश में उर्वरकों के लिये जाने वाले मूल्यों में तथा भारत में लिये जाने वाले मूल्यों में भारी अन्तर है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उर्वरकों के विश्व मण्डियों में प्रतियोगिता मूल्य भारत में आयातित उर्वरकों के विद्यमान मूल्यों से बहुत कम है ;

(ग) क्या 1966 तथा 1967 में उन देशों के साथ, जहां से आयात किया जाता था, उन्हीं देशों में उर्वरक की खरीद के लिये बातचीत द्वारा 3.86 करोड़ रुपये की बचत हुई थी जबकि 1968 में खरीद की प्रक्रिया में परिवर्तन के कारण भारत को 1966 तथा 1967 से अधिक दरों पर भुगतान करना पड़ा था ; और

(घ) यदि हां, तो यह परिवर्तन क्या था, उसके कारण क्या थे तथा उससे कितनी हानि होने का अनुमान है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी, हां। उर्वरकों के निर्माता उर्वरकों को प्रायः अपने बाजारों में विदेशी बाजारों की तुलना में अधिक मूल्यों पर बेचते हैं।

(ख) उर्वरकों के लिये कोई सर्वमान्य विश्व मूल्य नहीं हैं, परन्तु यह कहना ठीक होगा कि यदि भारत प्रतियोगी निर्बाध-विदेशी-मुद्रा पर विश्व टेंडर मांगने की स्थिति में होता, तो उस स्थिति में बेहतर मूल्य मिल सकते।

(ग) और (घ). जी, हां। बातचीत के द्वारा 1966 और 1967 में की गई खरीदों में लगभग 3.86 करोड़ रुपये की राशि की बचत हुई थी। नवम्बर, 1968 तथा जनवरी, 1969 में यू० के० तथा पश्चिमी यूरोप के पूर्तिकर्ताओं से हुई बातचीत के परिणामस्वरूप उर्वरकों के लिये जो मूल्य अदा किये जाएंगे, वे 1966 तथा 1967 में अदा किये गये मूल्यों की तुलना में कम होंगे।

भारत से फलों तथा सब्जियों का निर्यात

3690. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है जैसा कि विदेश व्यापार सम्बन्धी भारतीय संस्था ने बताया है कि भारत में निर्यात के प्रयोजन के लिये फल तथा सब्जियों की बहुतायत है ;

(ख) क्या भारतीय फलों तथा सब्जियों के निर्यात की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये कोई विस्तृत सर्वेक्षण किया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि फलों तथा सब्जियों के 2 करोड़ टन के कुल उत्पादन में से हमारा देश केवल 1 लाख टन निर्यात करता है ; और

(घ) फलों और सब्जियों आदि की डिब्बा बन्द किस्मों की कुल कितनी मात्रा का निर्यात किया जाता है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). जी, हां।

(घ) 1967-68 में निर्यातित फलों और सब्जियों आदि की डिब्बा बन्द किस्मों की कुल मात्रा 6156 मे० टन थी।

राज्य व्यापार निगम के पास पटसन भारी मात्रा में जमा होना

3691. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक करोड़ रुपये के मूल्य का पटसन राज्य व्यापार निगम के पास जमा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में पटसन इस प्रकार से जमा हो गया है ;

(ग) इस राशि पर ब्याज के रूप में और राज्य व्यापार निगम द्वारा पटसन के बढ़ाये गये भण्डार पर हुए मूल्यह्रास के रूप में कुल कितनी हानि हुई है ; और

(घ) क्या राज्य व्यापार निगम का यह विचार है कि इस पटसन से विभिन्न वस्तुएं तैयार की जायें और उस माल का विदेशों को निर्यात किया जायेगा, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी योजना का ब्योरा क्या है ; और उससे निगम को कुल कितनी हानि या लाभ होगा ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (घ). वर्ष 1967-68 के मौसम में राज्य व्यापार निगम ने मूल्य समर्थन के क्रियान्वयन के अन्तर्गत 1.39 करोड़ रु० की लागत से 127869 क्विंटल पटसन खरीदी। सम्पूर्ण भण्डार बिक चुका है और निगम ने अनुमानतः 49 लाख रु० का निबल लाभ कमाया है।

केन्द्रीय कुटीर उद्योग एसोसिएशन

3692. **श्री स० कुण्डू** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय कुटीर उद्योग एसोसिएशन और इसके कर्मचारियों का विवाद दिल्ली प्रशासन को न्याय-निर्णय के लिये सौंप दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो किस तिथि को ;

(ग) क्या सरकार ने न्याय-निर्णय के लिये यह विवाद सौंप दिये जाने के बाद एक मध्यस्थ नियुक्त किया है ;

(घ) यदि हां, तो क्या मध्यस्थ की नियुक्ति औद्योगिक विवाद अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत जारी नियमों के अन्तर्गत की गई थी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण थे ; और

(ङ) क्या सरकार ने केन्द्रीय कुटीर उद्योग एसोसिएशन के प्रबन्धकों को कहा है कि वे कार्मिक संघ के नेताओं के विरुद्ध कोई अनुशासनिक या दमनात्मक कार्यवाही न करें ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी, हां ।

(ख) यह विवाद 6 दिसम्बर, 1968 को दिल्ली औद्योगिक अधिकरण को सौंपा गया था ।

(ग) तथा (घ). औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत किसी को मध्यस्थ नियुक्त नहीं किया गया है । परन्तु श्री उमा शंकर दीक्षित, संसद सदस्य, से सरकार ने अनुरोध किया है कि वे उन समस्याओं का अध्ययन करने में जो उत्पन्न हो गई हैं, प्रशासक परिषद और कर्मचारियों की सहायता करें और उनको तय करने के उपायों के विषय में सभी सम्बद्धों को राय दें ।

(ङ) जी, नहीं ।

मेहसी (बिहार) में सीप के बटन बनाने का उद्योग

3693. **श्री क० मि० मधुकर** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में चम्पारन जिले में मेहसी कस्बे के सीप के बटन बनाने के उद्योग की निर्यात सम्बन्धी समस्यायों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सीप के बटन बनाने के उद्योग का विकास करने हेतु कोई कार्यवाही करने और इस उद्योग की निर्यात सम्बन्धी समस्याओं की ओर ध्यान देने का सरकार का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड तथा बिहार सरकार के परामर्श से मामले पर विचार किया जा रहा है ।

छावनियों में काम कर रहे प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये आमोद-प्रमोद की व्यवस्था

3694. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छावनियों में काम कर रहे प्रतिरक्षा कर्मचारियों के आमोद-प्रमोद के लिये उनका मंत्रालय कोई व्यवस्था करता है ;

(ख) यदि हां, तो पंचमढ़ी छावनी में किस प्रकार के मनोरंजन की व्यवस्था की जा रही है ;

(ग) क्या वहां पर नियमित रूप से सिनेमा घर बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख). अग्रिम क्षेत्रों में स्थित सैनिकों को रक्षा मंत्रालय द्वारा मनोरंजन प्राप्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कैन्टीन स्टोर्ज विभाग (भारत) विभिन्न स्थानों में स्थित कई सिनेमा भी चलाता है। इन सिनेमाओं में प्रवेश सशुल्क होता है। पंचमढ़ी कैन्टीन स्टोर्ज विभाग (भारत) द्वारा कोई सिनेमा नहीं चलाया जाता।

(ग) तथा (घ). सिनेमा चलाने के लिये पट्टे पर भूमि प्रदान किये जाने के लिये एक निजी पक्ष की प्रार्थना सरकार के विचाराधीन है।

चौथी पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी दृष्टिकोण में आधारभूत परिवर्तन

3695. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं की तुलना में चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रति सरकार के दृष्टिकोण में आधारभूत परिवर्तन होने वाला है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं की तुलना में चौथी पंचवर्षीय योजना में भारतीय अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भरता की स्थिति कब तक आने की आशा है ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण, भारतीय आयोजन के स्वीकृत लक्ष्यों तथा उद्देश्यों जिन्हें क्रमिक योजनाओं में विस्तार से बताया गया है पर आधारित है। फिर भी, प्रत्येक पंचवर्षीय योजना को खास तौर पर अपनी आर्थिक और सामाजिक दशाओं और जो नई समस्यायें उत्पन्न हुई हों उन्हें ध्यान में रखना होता है और यदि आवश्यक हो तो तदनुसार समायोजना करना पड़ता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तीसरी योजना "दशक या इससे अधिक अवधि में सघन विकास द्वारा आत्मनिर्भर और स्वचालित अर्थव्यवस्था के प्रथम चरण" के रूप में तैयार की गई थी। सम्भावना यह थी कि "कुल पूंजी विनियोजन के अनुपात में उत्तरोत्तर बाहरी सहायता की राशि घटती जायेगी और पाचवीं योजना के अन्त तक अर्थ-व्यवस्था इतनी सशक्त हो जायेगी कि विदेशी पूंजी के सामान्य अन्तःप्रवाह के अलावा उसे किसी प्रकार की विदेशी सहायता पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।" 27 नवम्बर, 1968 को सभा-पटल पर प्रस्तुत 'चौथी पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण' नामक दस्तावेज में बताया गया है कि मुख्य उद्देश्य स्वावलम्बी तथा स्वचालित विकास की ओर प्रगति है। खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने तथा 1970-71 तक रियायती शर्तों पर खाद्यान्नों के आयात को बन्द करने की दिशा में प्रयत्न किया जायेगा। शुद्ध ब्याज और ऋण के भुगतान की विदेशी सहायता की आवश्यकताओं को चौथी योजना के अन्त तक घटाकर व्यापक रूप से वर्तमान स्तर से आधा करने की परिकल्पना की गई है।

"अणुशक्ति का शान्तिपूर्ण उपयोग" योजना

3696. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की 'अणुशक्ति का शान्तिपूर्ण उपयोग' योजना को अब तक कोई सफलता मिली है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). तारापुर (महाराष्ट्र), राणाप्रताप सागर (राजस्थान) तथा कलपक्कम (मद्रास) में परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा तीन परमाणु बिजलीघर लगाये जा रहे हैं। तारापुर बिजलीघर बनकर तैयार हो गया है। इसे जांच-पड़ताल के लिये चलाकर देखा जा रहा है तथा यह बिजलीघर जौलाई, 1969 में व्यावसायिक स्तर पर बिजली पैदा करने लगेगा।

2. कृषि, उद्योग-धन्धों तथा औषध विज्ञान में परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नलिखित हैं :

(क) भारत तथा विदेशों के औद्योगिक संगठनों तथा अनुसन्धान तथा चिकित्सा के कार्य में लगी संस्थाओं को रेडियोऐक्टिव आइसोटोप सप्लाई किये गये।

(ख) औषध विज्ञान में रेडियोआइसोटोपों के विविध उपयोगों का अध्ययन बम्बई स्थित विकिरण औषध केन्द्र द्वारा किया जा रहा है।

(ग) ट्राम्बे में विकसित देशी जानकारी की सहायता से हैदराबाद में एक इलैक्ट्रानिक्स फैक्ट्री लगाई गई है।

(घ) इण्डियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड नामक एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम केरल में समुद्र तट की रेत से परमाणु खनिज निकालने का काम कर रहा है।

3. खाद्य पदार्थों के परीक्षण, जैविक अनुसन्धानों, औषध-अनुसंधानों तथा चिकित्सा, तथा उद्योग-धन्धों में विकिरण उपयोगों के बारे में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान और कार्य किया जायेगा।

4. चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान एक वेरियेबल एनर्जी साइक्लोट्रान स्थापित किये जाने से विभिन्न किस्मों के आइसोटोप उत्पादित करने की भारत की क्षमता में वृद्धि होगी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा अलौह धातुओं का दिया जाना

3697. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खनिज तथा धातु व्यापार निगम वास्तविक उपभोक्ताओं को अलौह धातुएं देने के लिये क्या प्रक्रिया अपनाता है ;

(ख) क्या इस प्रक्रिया के फलस्वरूप अविकसित क्षेत्रों में लघु उद्योगों में वास्तविक उपभोक्ताओं को अलौह धातुएं देर से प्राप्त होती हैं ;

(ग) क्या सरकार संयुक्त मुख्य आयात नियंत्रक द्वारा माल देने का आदेश देने के पश्चात् लघु उद्योग मण्डल संघ को विक्रय पर्चियां जारी करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया निम्नलिखित है :

(1) ऐसे वास्तविक उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में, जो तकनीकी विकास महानिदेशालय में पंजीकृत हैं, ये आवंटन थोक मूल्य के रूप में तकनीकी विकास महानिदेशालय द्वारा किये जाते हैं। थोक आवंटन की सीमा में, प्रत्येक धातु के लिये एककों की आवश्यकता खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा एकक से मालूम की जाती है और नोट कर ली जाती है।

(2) लघु क्षेत्र के वास्तविक उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में, लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा उनके नाम में जारी किये गये माल निकासी आदेशों में वह मूल्य उल्लिखित किया जाता है जिसके लिये प्रत्येक धातु की निकासी की जानी है।

(3) तत्पश्चात् निगम द्वारा आयातित धातु का स्टाक जैसे ही पहुंचता है, उसकी निकासियां तकनीकी विकास महानिदेशालय में पंजीकृत वास्तविक उपभोक्ताओं तथा लघु क्षेत्र, दोनों ही को, की जाती हैं।

(ख) यद्यपि कतिपय मामलों में विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों तथा प्रतिकूल विपणन स्थितियों के कारण निगम को आयात आस्थगित करने पड़े जिससे कुछ विलम्ब हुआ था, तथापि स्वयं इस प्रक्रिया के फलस्वरूप सप्लाई में कोई विलम्ब नहीं होता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) विद्यमान प्रक्रिया सन्तोषजनक ढंग से चल रही है । इसके अतिरिक्त लघु उद्योग मण्डल संघ को विक्रय पर्चियां अग्रेतर जारी करने से विलम्ब अथवा आयात लागत में कमी होने की सम्भावना नहीं है ।

Centrally-Sponsored Schemes in Madhya Pradesh

3698. **Shri G. C. Dixit:** Will the **Prime Minister** be pleased to state the schemes in Madhya Pradesh affected as a result of recommendations made at the Conference of Planning Ministers held in New Delhi in September, 1968 to drastically slash the present list of Centrally-sponsored schmes ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi): There should be no question of schemes in any State being adversely affected due to reduction in the number of Centrally Sponsored Schemes as the reduction was made at the suggestion of Chief Ministers and on the understanding that programmes envisaged in those schemes would be accommodated in their respective State Plans with such modifications as the State considers necessary.

कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण

3700. **श्री सामीनाथन** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि वित्तीय सहायता के अभाव में कपड़ा उद्योग को क्षति पहुंच रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण के लिये सहायता के रूप में कुछ राशि देने का सरकार का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक): (क) तथा (ख) सूती कपड़ा उद्योग की कठिनाइयां विभिन्न कारणों से उत्पन्न हुई हैं जैसे कि मशीनें पुराने ढंग की होने के कारण उत्पादन कुशलता समाप्त हो जाना, ऋण-पूंजी अनुपात में पर्याप्त वृद्धि, उत्पादन लागत में वृद्धि और मांग में मंदी आदि, जिनके फलस्वरूप आधुनिकीकरण के लिये कार्यकारी पूंजी तथा धनराशि की कमी हो गई है । उद्योग को सहायता देने तथा आधुनिकीकरण को सुकर बनाने के लिये अनेक उपाय किए गए हैं । कुछ अन्य उपायों पर विचार किया जा रहा है ।

तमिलनाडु में कपड़ा मिलें

3701. **श्री सामीनाथन** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि तमिलनाडु में कुछ कपड़ा मिलें बन्द हो गई थीं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्रभावित कपड़ा मिलों को सहायता देने के उद्देश्य से उत्पन्न शुल्क घटाने का है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी, हां।

(ख) सूती वस्त्र तथा सूत की कतिपय श्रेणियों पर बजट में घोषित की गई उत्पादन शुल्क-राहतों से कमजोर सूती कपड़ा मिलों को लाभ होगा।

सैनिक कार्यों के लिए भूमि का अर्जन

3702. **श्री राम सिंह अयरवाल** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सागर छावनी में तथा इसके निकट राज्य सरकार की सैकड़ों एकड़ बंजर भूमि सैनिक कार्यों के लिये उपलब्ध है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये उर्वरक कृषि भूमि की बजाय, जिसे किसानों ने "अधिक अन्न उपजाओ" अभियान में योग देने के लिये घनी खेती करने हेतु बड़े श्रम से और काफी धन खर्च करने के पश्चात् सुधारा है इस भूमि का अर्जन क्यों नहीं किया जाता ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख). इस समय सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं, कि सागर छावनी में निजी कृषि भूमि अर्जित की जाये।

कृषि भूमि का अर्जन

3703. **श्री राम सिंह अयरवाल** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनका मंत्रालय सागर छावनी में कृषि भूमि का अर्जन करने जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत 150 वर्षों से अपनी जीविका के लिये इस भूमि पर पूर्णतया लगभग 500 परिवारों का जिनमें 3,000 से भी अधिक व्यक्ति हैं, पुनर्वास करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं; और

(ग) क्या यह भी सच है कि वर्ष 1962 में 1,000 से भी अधिक एकड़ भूमि का अर्जन किया गया था परन्तु उसका आधार क्षेत्र बेरोजगार हो गये पुराने पट्टाधारियों की हालत का कोई ध्यान न रखते हुए अप्रयुक्त पड़ा हुआ है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है, और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

ब्रिटेन द्वारा हिन्द महासागर से नौसेना हटाना

3704. **श्री बलराज मधोक** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्द महासागर से ब्रिटिश नौसेना के हट जाने के फलस्वरूप उत्पन्न हुई शक्ति-शून्यता को भरने के लिए किसी अमित्र शक्ति द्वारा किये जा रहे प्रयत्नों की जानकारी सरकार को है; और

(ख) यदि ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उसका मुकाबला करने के लिए कोई उपयुक्त कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) भारत सरकार ऐसी कार्रवाई से अवगत नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। परन्तु भारत सरकार अपनी तट रेखा की रक्षा करने के लिए, यथोचित उपाय कर रही है।

अप्रैल, 1967 से विदेशों के राज्याध्यक्षों की भारत यात्रा

3705. **श्री बलराज मधोक** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 अप्रैल, 1967 से किन-किन देशों के राज्याध्यक्षों ने भारत की यात्रा की तथा उनके नाम क्या हैं और उनकी यात्राओं पर कुल कितना धन खर्च हुआ ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : दूसरे देशों के निम्नलिखित ग्यारह राज्याध्यक्षों ने, 1 अप्रैल, 1967 से 31 जनवरी, 1969 की अवधि में, भारत की यात्रा की :—

1. आस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल, महामान्य लार्ड रीचर्ड केसे।
2. सूडान गणतंत्र की सर्वोच्च राज्य परिषद् के महामान्य राष्ट्रपति सैयद इस्माइल अल अजहरी।
3. जाम्बिया के महामान्य राष्ट्रपति डा० के० डी० कौंडा।
4. श्रीलंका के गर्वनर जनरल, महामान्य सर विलियम गोपल्लव।
5. लाओस के महामान्य नरेश।
6. यूगोस्लाविया समाजवादी संघीय गणराज्य के महामान्य राष्ट्रपति श्री जोसिप ब्रोज टीटो।
7. भूटान के महामान्य द्रुक ग्यालपो।

8. बर्मा संघ की क्रान्तिकारी परिषद् के अध्यक्ष महामान्य जनरल ने विन ।

9. इथोपिया के महामहिम सम्राट हाइले सेलासी प्रथम ।

10. सोमालिया के महामान्य राष्ट्रपति श्री अब्दीरशीद अली शेरमाक ।

11. ईरान के महामहिम सम्राट शहंशाह-आर्यमेहर ।

जहां तक, इन यात्राओं पर हुए कुल व्यय का सम्बन्ध है, सूचना इकट्ठी की जा रही है ।

भारत-पाकिस्तान विवादों के बारे में ब्रिटेन की नीति

3706. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन के वैदेशिक-कार्य तथा राष्ट्रमण्डलीय मंत्री ने जम्मू तथा काश्मीर समेत भारत-पाकिस्तान के विवादों में हस्तक्षेप न करने तथा गुट निरपेक्षता की अपने देश की नई नीति के बारे में हाल ही में घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार, भारत-पाकिस्तान के मामले में ब्रिटेन की अहस्तक्षेप नीति का स्वागत करती है ।

Export of Monkeys

3707. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state:

(a) the number of monkeys exported to different countries during the years 1966-67 and 1967-68 with the names of the countries; and

(b) the amount of foreign exchange earned thereby?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Chowdhary Ram Sewak) : (a) and (b). A statement showing number and value of monkeys exported country-wise during 1966-67 and 1967-68 is attached. [**Placed in Library. See No. LT 413/69.**]

Manufacture of Radios

3709. **Shri Nitiraj Singh Chaudhary:**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) the number of small-scale and large-scale industries engaged in manufacturing radios in the country and the number of workers engaged in each category of such industries;

(b) whether any retrenchment of employees is under consideration; and

(c) if so, the reasons therefor and the steps being taken to check it?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) The number of units in the organised sector engaged in manufacturing radios is 16 with about 9100 employees. There are about 1900 units in the small scale sector manufacturing radios. The number of employees in the units is not available.

(b) Government is not aware if any manufacturer of radios is contemplating retrenchment. The total production of radio receivers in the country is steadily increasing.

(c) Does not arise.

आयात लाइसेंस की चोरी

3710 **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयात-निर्यात विभाग के संयुक्त नियंत्रक के बम्बई स्थित कार्यालय से 34 लाख रुपये से अधिक मूल्य के 14 कोरे आयात लाइसेंस जनवरी, 1969 में चोरी हो गये थे;

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्योरा क्या है;

(ग) गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं; और

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) मुख्य आयात-निर्यात नियंत्रक के कार्यालय, बम्बई से जनवरी, 1969 में किन्हीं आयात लाइसेंसों/कोरे प्रपत्रों की चोरी नहीं हुई ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड और उसके कर्मचारियों का विवाद

3711. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड और इसके कर्मचारियों का विवाद अन्तिम रूप से निपटाया जा चुका है;

(ख) यदि नहीं, तो विवाद को हल करने के लिए किस प्रक्रम पर बातचीत चल रही है; और

(ग) इस विवाद के कब तक हल हो जाने की सम्भावना है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग). शायद इशारा (1) केन्द्रीय सरकार के दरों पर महंगाई भत्ते की अदायगी (2) उजरत ढांचे में संशोधन सम्बन्धी झगड़ों से है । महंगाई भत्ते के झगड़े का फरवरी, 1969 में निर्णय हो गया था, जब हिन्दुस्तान

एयरोनाटिक्स लि० के प्रबन्ध ने अपने सभी कर्मचारियों के लिए 1 फरवरी, 1969 से केन्द्रीय सरकार के दरों पर महंगाई भत्ता स्वीकार कर लिया था। उजरत ढांचे में संशोधन के प्रश्न सम्बन्धी झगड़ा इंजीनियरी उद्योग के लिए केन्द्रीय उजरत बोर्ड की रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों पर फैसले को सामने रखते हल किया जाएगा।

भारतीय सांख्यिकी संस्था की गिरडीह शाखा

3712. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सांख्यिकी संस्था की गिरडीह शाखा को बन्द करने अथवा उसके कार्यों को सीमित करने और उसके कार्य को दिल्ली में स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि उसके काम को दिल्ली में स्थानान्तरित किया जाता है, तो गिरडीह में नियुक्त योग्य तथा अनुभवी कर्मचारियों के लिए, जिनकी संख्या सैकड़ों में है, क्या व्यवस्था की जाएगी ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग). भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के अतिरिक्त राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का कार्य भी गिरिडीह में होता है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के पुनर्गठन के सम्बन्ध में समीक्षा समिति की सिफारिश विचाराधीन है।

Indo-Kuwait Youth Association

3714. **Shri A. Dipa** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there exists a registered association named Indo-Kuwait Youth Association, New Delhi ;

(b) if so, the functions of the said Association ; and

(c) the main source of their income ?

The Minister of External Affairs (Shri Dinesh Singh) : (a) An Indo-Kuwait Youth Friendship Association exists in New Delhi ;

(b) The declared aims and objects of this Association are as follows :

(i) To create and further amongst the youth Kuwait and India the feeling of mutual fellowship ;

(ii) To publish necessary periodicals, magazines, literature etc. on the culture of Kuwait and India ;

(iii) To organise state tours, exchange cultural delegations and sport teams between India and Kuwait ;

(iv) To organise seminars, group discussions and meetings in India to popularise the culture and other aspects of life of the people of Kuwait among Indian youth ;

(v) To establish contacts with identical associations in Kuwait for mutual benefit.

(vi) To foster pen-friendship ; and

(vii) To raise and administer funds for promoting the above activities and create special trust and funds etc. for the welfare of the Association.

(c) The information is being collected.

वी० टविल के मूल्यों पर से नियंत्रण का हटाया जाना

3715. **श्री मधु लिमये** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वी० टविल (एक प्रकार के अनाज के थैले) के मूल्यों से निकट भविष्य में नियंत्रण हटाने का सरकार का इरादा है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि बिड़ला, के० पी० गोयंका तथा अन्य ग्रुपों के विनियंत्रण के पूर्व व्यवस्थित निर्णय तथा इसके फलस्वरूप अनाज के एक सौ बोरों के 200 रुपये के वर्तमान मूल्य में 30 से 40 रुपये की वृद्धि होने की प्रत्याशा में अनाज के इन बोरों के व्यापक भंडार जमा कर लिये हैं;

(ग) क्या अनाज के इन बोरों के मूल्यों के विनियंत्रण के अपने (अस्थायी) निर्णय को स्थगित करने और सरकारी तथा अर्द्ध-सरकारी प्रयोग हेतु अनाज के इन बोरों को लेने का सरकार का विचार है;

(घ) क्या गुप्त आय का उचित अनुमान लगाने तथा इस पर प्रभावशाली ढंग से कर लगाने की दृष्टि से पिछले 4-5 महीनों में वी० टविल के सौदों के वास्तविक मूल्यों की जांच कराने का सरकार का विचार है ; और

(ङ) यदि भाग (ग) और (घ) का उत्तर नकारात्मक है तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) वी० ट्विल के मूल्यों से नियंत्रण हटाने का इस समय सरकार का कोई विचार नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न के भाग (क) को देखते हुए प्रश्न के पूर्वार्द्ध का प्रश्न नहीं उठता। वी० ट्विल के बोरों के भंडार लेने का कोई विचार नहीं है।

(घ) नियंत्रित मूल्यों से अधिक पर वी० ट्विल बोरों का लेन-देन अवैध है। सरकार को किसी अवैध लेन-देन की जानकारी नहीं है। अतः कोई जांच करने का विचार नहीं है।

(ङ) इस प्रश्न का उत्तर भाग (ग) तथा (घ) के उत्तर में सन्निहित है।

प्राग टूल्स लिमिटेड

3716. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राग टूल्स लिमिटेड के मूल प्राक्कलनों के पूर्ण हो जाने की सम्भावना है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसकी लागत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) तथा (ख). प्रागा टूल्ज लिमिटेड एक जायंट स्टाक कम्पनी के रूप में निजी क्षेत्र में 1943 में समाविष्ट की गई थी और एक चालू संस्था के रूप में 1958-59 में केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में आई। सरकार द्वारा हस्तगत किये जाने के पश्चात् कम्पनी के लिए कई प्रायोजनाएं सरकार द्वारा स्वीकृत की गई थीं। राजकीय उपकरणों के सम्बन्ध में (चौथी लोक सभा की) कमेटी द्वारा प्रायोजना अनुमानों तथा लक्ष्यों और निष्पत्तियों का उसकी पच्चीसवीं रिपोर्ट (1968-69) में निरीक्षण किया गया था जो संसद् को 21 फरवरी, 1969 को पेश की गई थी।

उत्तर कोरिया से व्यापार प्रतिनिधिमंडल

3717. **श्री प्र० न० सोलंकी** : **श्री देवेन सेन** : **श्री किकर सिंह** : **श्री ओंकार लाल बेरवा** :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर कोरिया के एक उच्चाधिकार प्राप्त व्यापार तथा सद्भावना प्रतिनिधिमण्डल ने नवम्बर, 1968 के अन्तिम सप्ताह में नई दिल्ली का दौरा किया था और व्यापार तथा अन्य मामलों पर सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की थी; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिनिधिमंडल के गुप्त तथा अघोषित दौरे के क्या कारण थे ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). गत नवम्बर-दिसम्बर, 1968 में लोकतंत्रीय गणराज्य कोरिया के विदेशी व्यापार मंत्रालय के महानिदेशक श्री किमसुक जिनकी अध्यक्षता में एक व्यापार प्रतिनिधिमण्डल दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए नई दिल्ली आया था और उसने भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमण्डल के साथ बातचीत की थी। इस बातचीत के फलस्वरूप भारत तथा लोकतंत्रात्मक गणराज्य कोरिया के बीच 9 दिसम्बर, 1968 को एक नया व्यापार करार तय हुआ, जिसकी मान्यता 31 दिसम्बर, 1970 तक दो वर्ष पर्यन्त रहेगी।

बगदाद में भारतीय अधिकारी की पिटाई

3718. **श्री श्रीचंद गोयल** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईराक की जनता की भीड़ ने संयुक्त राष्ट्र संघ के पास नियुक्त एक भारतीय अधिकारी की पिटाई की थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी नहीं, दो वर्दीधारी व्यक्तियों ने उसे पीटा था।

(ख) बगदाद स्थित भारतीय राजदूतावास ने इस मामले को ईराक सरकार के साथ बलपूर्वक उठाया था जिसने गहरा खेद प्रकट किया और क्षमा याचना की ।

भारतीय समुद्री जल क्षेत्र की विदेशी घुसपैठियों से सुरक्षा निमित्त विशेष नाविक बेड़ा

3719. **श्री वी० ना० शास्त्री** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी घुसपैठियों से भारतीय समुद्री जल क्षेत्र की सुरक्षा हेतु एक विशेष नाविक बेड़ा बनाने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी रूपरेखा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख). विदेशी घुसपैठियों के विरुद्ध अपने जल प्रदेशों की सुरक्षा भारतीय नौसेना के साधारण कर्तव्यों में से एक है, और इस उद्देश्य के लिए कोई विशेष बेड़ा आवश्यक नहीं है ।

द्वितीय संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन की सिफारिशें

3720. **डा० सुशीला नैयर** :
श्री ए० श्रीधरन :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन की कुछ सिफारिशों को प्राथमिकता देने का सरकार विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). माननीय सदस्यों का ध्यान उस वक्तव्य की ओर आकर्षित किया जाता है, जो तत्कालीन वाणिज्य मंत्री श्री दिनेश सिंह ने, द्वितीय अंकटाड के बारे में 1 अप्रैल, 1968 को सभा-पटल पर रखा था ।

सरकार सम्मेलन की सभी सिफारिशों को बहुत महत्व देती है । सम्मेलन की सिफारिश के अनुरूप, जिसको इसके संकल्प सं० 2402 (तेईस) में महासभा द्वारा दोहराया गया था तथा जिसमें सदस्य राज्यों से अनुरोध किया गया था कि वे स्थायी व्यवस्था को सौंपे गये उत्तरदायित्वों को पूरा करने में उसकी सहायता करने के मार्गोपायों का तत्परता से पता लगायें सरकार सम्मेलन की सिफारिशों को शीघ्रता से क्रियान्वित कराने के लिये सम्मेलन की स्थायी व्यवस्था की बैठकों में दबाव डालती रही है ।

सैनिक अधिकारियों द्वारा निजी व्यापार करना

3721. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या (1) 1962 और 1963 में पैदल सेना तथा (2) 1966 और 1967 में आयुद्ध विभाग में ऐसे किन्हीं अधिकारियों को नियुक्त किया गया था जो सैनिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों के रूप में नियुक्त होने से पूर्व अपना निजी व्यापार किया करते थे ;

(ख) यदि हां, तो दोनों विभागों में पृथक-पृथक ऐसे कितने अधिकारियों को नियुक्त किया गया ; और

(ग) अभी तक अपने नाम में अथवा अपने सम्बन्धियों के नाम में अपना निजी व्यापार करने वाले ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). प्राप्य आंकड़ों के अनुसार 1962 और 1963 में इन्फेण्ट्री में कमीशन पाने वाले 3 अफसर, कमीशन से पहले निजी व्यवसाय चला रहे थे। सेना के विनियम के अनुसार सभी सेविवर्ग के लिए चाहे वह किसी श्रेणी के हों किसी प्रकार का व्यवसाय निषिद्ध है। और इस उपबन्ध का विरोध किए जाने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

चीन की सीमा पर रूस के कथित आक्रमण के बारे में नक्सलपंथियों द्वारा चीन को तार का भेजा जाना।

Shri George Fernandes (Bombay-South) : Sir, I call the attention of the Home Minister to the following matter of urgent public importance and I request him to make a statement thereon :

"The reported despatch of a telegram to the chinese communist party, the Government of China and the people of China by the Naxalites through the Chinese Embassy in Delhi condemning the "armed attack on the Chinese frontier by the Soviet imperialists."

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण): सरकार का ध्यान कलकत्ता से प्रकाशित "देशश्रोत" के 13 मार्च, 1969 के अंक की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि साम्यवादी क्रान्तिकारियों की अखिल भारतीय समन्वय समिति की ओर से श्री सुशीतल राय चौधरी ने दिल्ली स्थित चीनी दूतावास के माध्यम से चीनी साम्यवादी दल और चीन की सरकार तथा वहां के लोगों को एक तार भेजा था, तार का पाठ में, जिसे "देशश्रोति" में प्रकाशित किया गया है, सोवियत संघ द्वारा चीनी सीमा पर कथित सशस्त्र आक्रमण की निन्दा की गई है। इस सम्बन्ध में और आगे जांच की जा रही है।

मुझे यकीन है कि सभा के सभी वर्ग एक भारतीय नागरिक द्वारा व्यक्त ऐसे विचारों की निन्दा करेंगे ।

Shri George Fernandes : Sir, today the Russian Leaders are pressurising India to support their foreign policy. We should remind Russia of her attitude towards India in 1962 when China committed aggression on our country. They adopted a neutral attitude and said "India is our friend but China is our brother."

In this context, it would not be out of place to mention here that a small country like Rumania declined, at a meeting of warsaw powers held recently, to offer her comments on sino-soviet conflict and totally refused to support Russia.

Now coming to the telegram despatched by the Naxalites, if Russia wants India to support her, we should initiate talks with Russia provided they are prepared to discuss the question relating to illegal occupation of 50,000 Sqr miles of Indian territory by China and liberation of Tibet. Today, both Russia and China are using expressions like "our sacred soil" for their disputed territories and I wish the Prime Minister and the Foreign Minister of this country realised the importance of our lost territory even at this stage.

The Chinese Embassy in India had indulged in such activities as were not in the interest of our freedom. The Chief Minister of Kerala had, the other day, disclosed in the Legislative Assembly of the State that the advertisement of Peking Radio found its way in a certain Newspaper of Kerala through the chinese Embassy. This is a very serious matter and it is ironical that the Home Ministry, which is running the affairs of the country should remain ignorant of the fact. Although we are not at war with China, there is no denying the fact that we are on inimical terms with her. In view of this, may I know whether the Government will put a ban on the despatch of such communications to Communist Party of China or any other body out side the country ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : स्वत: देश में ही संचार को रोकना बहुत कठिन है। वास्तव में चीनी दूतावास क्या खबर भेजता है और कैसे भेजता है, यह एक बिल्कुल अलग मामला है। मैं नहीं समझता हम उस पर कोई नियंत्रण लगा सकते हैं। जहां तक इस तार का सम्बन्ध है, वह खुद उन्हीं के समाचार-पत्र में प्रकाशित हुआ है ।

जहां तक नम्बूदरीपाद द्वारा पेकिंग रेडियो के विज्ञापन के बारे में दिये गये वक्तव्य का सम्बन्ध है, यदि सदस्य महोदय अलग से प्रश्न की सूचना दें, तो मैं इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी लेकर आऊंगा ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न बहुत संगत है तथा महत्वपूर्ण भी है। लेकिन अलग विषय पर है क्योंकि इस सूचना का सम्बन्ध केवल तार से है। यदि इस मामले पर पृथक चर्चा की जाये, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। रूमानिया तथा तिब्बत के प्रश्नों पर हमारे रवैये के बारे में भी प्रश्न पूछे गये हैं, लेकिन सब बातों पर इस ध्यानाकर्षण सूचना के अन्तर्गत विचार-विमर्श नहीं हो सकता, सदस्य महोदय किसी दूसरे अवसर पर इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को उठा सकते हैं ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I had asked certain clarifications about the implementation of the Beri Commission's Report. An assurance was given that the required information would be given to the House. A serious situation has arisen in Rajasthan.

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसे अस्वीकृत कर दिया है। सदस्य महोदय इस बारे में जो बोलेंगे, उसे वृतान्त कार्यवाही में शामिल नहीं किया जायेगा।

Shri Madhu Limaye : ***

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर नहीं दिया जायेगा। श्री ढिल्लों।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति
PUBLIC UNDERTAKINGS COMMITTEE

सत्ताइसवां प्रतिवेदन

श्री गु० सिं० ढिल्लों (तरन-तारन) : मैं हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड [लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) 1968 के सेक्शन दो में पैराग्राफ] के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का सत्ताइसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

चौवनवां प्रतिवेदन

श्री मी० रू० मसानी (राजकोट) : मैं पैट्रोलियम तथा रसायन तथा खान तथा धातु मंत्रालय (खान तथा धातु विभाग) सम्बन्धी विनियोग लेखे (सिविल), 1966-67 और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सिविल), 1968 पर लोक लेखा समिति का 54वां प्रतिवेदन उपास्थापित करता हूं।

सदस्यों की अनुपस्थित सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS

नौवां प्रतिवेदन

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का नौंवा प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

*** वृत्तान्त कार्यवाही में शामिल नहीं किया गया।

***Not recorded.

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे)—1968-69
DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (RAILWAYS)—1968-69

अध्यक्ष महोदय : अब सभा वर्ष 1968-69 के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगों (रेलवे) पर विचार करेगी।

वर्ष 1968-69 के लिये रेलवे की अनुदानों की अनुपूरक मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
4.	1	श्री नम्बियार	जीवन निर्वाह मूल्य में वृद्धि के अनुरूप पर्याप्त मंहगाई भत्ता देने की आवश्यकता।	100 रुपये
5.	2	श्री नम्बियार	बिना अधिकृत वेतन और भत्ते दिये दो वर्ष से आठ वर्ष तक लगातार नैमित्तिक श्रमिक रखने की पद्धति।	100 रुपये
6.	3	श्री नम्बियार	वांचू समिति की रिपोर्ट के अनुसार परिचालन कर्मचारियों के लिये पर्याप्त संख्या में "छुट्टी रिजर्व" देने और उनके लिये 12 घंटे की छुट्टी निश्चित करने की आवश्यकता।	100 रुपये
6.	4	श्री नम्बियार	19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले अनेक कर्मचारियों को बहाल करने में असामान्य विलम्ब।	100 रुपये

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : रेलवे मंत्री डा० राम सुभग सिंह के प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा है। लेकिन मेरी शिकायत यह है कि रेलवे बोर्ड उन्हें इन मामलों में विशेषतः कर्मचारियों के प्रश्न पर समुचित रूप से सलाह नहीं दी है।

कल मंत्री महोदय ने बताया था कि जारी किये गये अथवा संभवतः जारी किये जाने वाले परिपत्र के अनुसार 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल से सम्बन्धित कर्मचारियों के साथ उदारतापूर्ण

बर्ताव किया जायेगा, इतने बड़े संगठन का प्रधान होने के नाते रेलवे मंत्री को अपने कर्मचारियों के साथ स्वतः इस ढंग से व्यवहार करना चाहिए जिससे कर्मचारियों तथा उनके बीच विश्वास पैदा हो। केवल ऐसा करने से ही रेलवे की स्थिति सुधर सकती है।

जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, अभी लगभग 3,500 रेलवे कर्मचारी ऐसे हैं जो निलम्बित हैं अथवा जिन्हें विभिन्न कारणों से नौकरी से हटाया गया है। अस्थायी कर्मचारियों को, जिन्हें एक महीने का वेतन देकर निकाला गया है, अभी तक वापस नहीं लिया गया है। अदालतों में अनिर्णित मामले वापस नहीं लिये गये हैं।

चल रहे मामले न तो वापिस लिए गये हैं और न समाप्त किये गये हैं। मैं पुनः प्रार्थना करता हूं कि नरमी बरतते हुए सभी व्यक्तियों को काम पर ले लिया जाए।

मेरा अनुभव है कि मंत्री महोदय सहानुभूति-पूर्ण उत्तर दे देते हैं, परन्तु जब हम मुख्य व्यवस्थापकों के पास जाते हैं तो वे कहते हैं कि उन्हें ऐसे कोई आदेश नहीं मिले। मुझे दोनों पक्षों से मिलना होता है अतएव बड़ी निराशा होती है।

कर्मकार कर्मचारी-वर्ग के बारे में उन्होंने ध्यान देना है। इस वर्ग में स्टेशन मास्टर, चालक, फायर मैन और अन्य कर्मचारी जिनका सीधा सम्बन्ध रेलों के चलन से सम्मिलित है। वांचू समिति ने सिफारिश की है कि इस वर्ग के कर्मचारियों से 12 घंटे से अधिक कार्य न लिया जाये। विश्व में सर्वत्र 8 घटे का कार्य-दिन है और 40 कार्य-घंटों का सप्ताह है। वे इसे और भी घटा रहे हैं परन्तु हमारे देश में चालकों और कुछ अन्य कर्मचारियों को 12 घंटे से अधिक कभी-कभी 20 घंटे तक कार्य करना पड़ता है। फायर मैनों की हड़ताल के समय उप रेल मंत्री ने आश्वासन दिया था कि वह अभी कार्य समय 14 घंटे तक घटा कर, बाद में यथाशीघ्र 12 घंटे तक लाएंगे। "यथाशीघ्र" इस वाक्य का राजतंत्र द्वारा बहुत दुरुपयोग होतां है। ऐसा ही एक वाक्यांश "मामला विचाराधीन है" जिसका भी दुरुपयोग किया जाता है।

रेलवे में छुट्टी के एवजी व्यक्तियों की समुचित व्यवस्था नहीं है। इससे 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करने वालों को छुट्टी लेना भी कठिन है। नियमों के अनुसार, एवजी 15 से 20% होनी चाहिए परन्तु वास्तव में 12% और कहीं-कहीं 7% ही है। वांचू समिति के प्रतिवेदन के पश्चात् तो छुट्टी एवजी बढ़नी ही चाहिए।

रेलवे के 14 लाख कर्मचारी-वर्ग में $3\frac{1}{2}$ लाख नैमित्तिक मजदूर हैं जिनका उपयोग ऐसे पदों के स्थान पर किया जाता है जो स्थाई आवश्यकता के हैं। यह मामला ठेका-श्रम-विधेयक पर स्थापित प्रवर समिति के समक्ष आया था। रेलवे अधिकारी यह स्वीकार नहीं करते कि वे नैमित्तिक श्रमिकों का उपयोग स्थाई अथवा अस्थाई पदों के स्थान पर करते हैं। मेरे पास ऐसे अनेक उदाहरण है कि लोको शैडों में नैमित्तिक श्रमिकों के रूप में 5-6 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, परन्तु उनकी अस्थाई रूप में नियुक्ति वे नहीं करते तब स्थाई बनाने का प्रश्न ही कैसे उठे ? मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह नैमित्तिक श्रम व्यवस्था को समाप्त करें।

कर्म-शालाओं में, बचत के नाम पर, शिल्पियों की संख्या 50% घटा दी गई है। फलस्वरूप मरम्मत किए जाने वाले इंजनों की गुणता निचले स्तर की रह गई है। उन पर केवल पेंट कर नम्बर लिख दिया जाता है। फलतः वे पटरी से उतर पड़ते हैं और इस प्रकार दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

ऐसी बातें किसी एक स्थान पर नहीं होतीं अपितु सर्वत्र हो रही हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि कार्यों की गुणता में सुधार करें।

बचत के नाम पर दिये गये झूठे आंकड़ों पर ध्यान न दें और वर्कशापों की स्थिति बदलें।

भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अतिरिक्त सभी श्रमिक-संगठनों को अवैध घोषित किया हुआ है। परन्तु उक्त संस्था को रेलवे कर्मचारियों का विश्वास प्राप्त नहीं है। यदि वे प्रतिनिधि श्रमिक संगठनों को स्वीकृति नहीं देते तो इसका स्पष्ट अभिप्राय यही है कि वे केवल उन्हीं संगठनों को स्वीकर करते जिन्हें वे चाहते हैं। दूसरे शब्दों में केवल वे संगठन ही रह जायेंगे जिन्हें राजतंत्र अथवा शासक दल पसन्द करता है। यदि आप उनकी स्वीकृति वापिस नहीं देते तो मत ले लें, जिन संगठनों को अधिक मत मिलें उन्हें ही मान्यता दें और दलगत नीति को प्रोत्साहन न दें। आप पहले की यथापूर्व स्थिति पुनः स्थापित करें जो कि वर्षों से चलती आ रही थी।

वर्गानुसार श्रमिक संगठन उचित नहीं। ऐसे ही संगठनों को स्वीकृति देनी चाहिए जो प्रभावी हों। जब तक प्रभावी श्रमिक संगठन स्थापित नहीं होते, शिल्पी संगठनों को उनके संख्या बल के आधार पर स्वीकार करना चाहिए।

अन्ततोगत्वा हमें एक ही श्रमिक संगठन का निर्माण करना है। यदि मंत्री महोदय समझते हैं कि यह संगठन उनके प्रबन्धकों के विरुद्ध होगा तो इसे अधिकारी तंत्र का प्रभाव ही मानना पड़ेगा। परन्तु वास्तव में श्रमिक संगठन भ्रष्टाचार, धन का अपव्यय तथा अनाचार को रोकने में सहायक होगा।

श्री जो० ना० हजारिका (डिब्रूगढ़) : उत्तर-पूर्वीय रेलवे की प्रभागीय योजना सराहनीय है। यदि इसमें कुछ कठिनाई हो तो कुछ समय के लिए यथापूर्व स्थिति बनाएं रखें। उक्त रेलवे का $\frac{3}{4}$ भाग आसाम में है अतएव वहां पर तीन प्रभाग होने चाहिए। डिब्रूगढ़ के बारे में मेरी विशेष रुचि है। उधर एक जंक्शन तिनसुकिया है जिसके चारों ओर चाय-बागान हैं जिनमें दो तीन राजकीय क्षेत्र के हैं यदि निर्णय पाण्डू के स्थान पर तिनसुकिया में प्रभागीय कार्यालय खोल दें तो समय की बचत होगी।

उधर एक स्थान लाईका नाम का है जो कि मुर्कोंगसलेक के सामने है। यह एक महत्व का स्थान है। इस क्षेत्र के लोगों की मांग है कि तिनसुकिया लाईका और मुर्कोंगसलेक को नाव-

घाट द्वारा जोड़ा जाये। इससे औद्योगिक तथा अन्य विकास कार्यों में सहायता मिलेगी। अभी मैं ब्रह्मपुत्र पर और पुल बनाने पर जोर नहीं देता। पर एक दृढ़ नाव-घाट बनाना अत्यन्त आवश्यक है। पाण्डू पर नौकाओं द्वारा नदी पार करने की प्रणाली को समाप्त होने के पश्चात् अनेक स्टीमर बेकार हो गए हैं, तथा उनमें से हम तीन को तो निर्विघ्न रूप से मुरकोंगसलेक भेज सकते हैं जिससे इन दोनों जगहों के बीच नौका-व्यवस्था हो सके।

तीसरे असम में कतिपय रेल पटरियों का निर्माण होना चाहिए ताकि वर्तमान रेल पटरियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था हो सके। संसद सदस्यों आदि ने अनेक बार सुझाव दिया है कि नोगांव जिले के जरवलबन्ध से जोरहट तथा जोरहट से डिबरूगढ़ तक या तो वर्तमान रेल की पटरी का सिवसागर को मिलाते हुए विस्तार किया जाए अथवा दूसरी पटरी बिछाई जाए जिसे रेलवे प्रशासन ने लगभग रद्द कर दिया था और क्षेत्रीय समिति ने हमें बताया कि उनकी सम्मति की आवश्यकता नहीं। फिर भी यदि इस रेल की पटरी को स्वीकार किया जाए तो असमवासियों को बहुत सुविधा हो जाएगी। अतः मैं रेल मंत्री महोदय से इस पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

उत्तरी सीमान्त रेलवे में जलपान यान के विषय में मुझे शिकायतें मिली हैं कि उन्हें बहुत लम्बे समय तक एक ही ठेकेदार को दिया जाता है और उनके ठेके की अवधि भी निविदाओं के बिना दी जाती हैं। मैं जानता हूं कि डा० राम सुभग सिंह तत्कालीन राज्य मंत्री के हस्तक्षेप से ठेकों की अवधि का बढ़ाया जाना समाप्त कर दिया गया था और नये टेंडर मांगे गये थे। इसी समय प्रभावित ठेकेदारों ने न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया परन्तु न्यायालय के अन्तिम निर्णय देने से पूर्व ही ठेकेदारों और रेल प्रशासन में समझौता हो गया और अवधि पुनः बढ़ा दी थी। मैं नहीं समझता कि रेल प्रशासन ऐसी चीजों का कैसे समर्थन करता है। अतः मंत्री महोदय के समक्ष मैं सुझाव रखता हूं कि रेलों में आहार जलपान व्यवस्था सहकारी क्षेत्रों को देकर उन्हें बढ़ावा दिया जाए।

श्री एस० पी० राममूर्ति (शिवकाशी) : मैं इस अल्प समय में सामान्य समस्याओं, जिन पर अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में पिछले दो दिनों के विवाद के दौरान बहुत कुछ कहा जा चुका है, को न लेकर स्थानीय समस्याओं को लेता हूं।

तिरूनेलवली तथा कन्याकुमारी के बीच भी 40 मील की दूरी को मिलाने के लिए अनेक अभिवेदन आए हैं। मुझे बताया गया है कि सर्वेक्षण कार्य तो समाप्त हो गया है परन्तु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने में अभी देरी है। इन दोनों नगरों में सीधा सम्बन्ध न होने के कारण वहां के निवासियों को बहुत असुविधा उठानी पड़ रही है। मैं आशा करता हूं कि रेल मंत्री महोदय इस ओर तुरंत ध्यान देंगे। मैं देखता हूं कि दुर्भाग्यवश आगामी वित्त वर्ष में रेल बजट में इस रेल पटरी के निर्माण के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

कन्याकुमारी, जहां सागरों का संगम होता है, एक पुण्य भूमि है और वहां श्री विवेकानन्द

स्मारक का निर्माण हो रहा है और वह देश के अनेक भागों से यात्रियों के लिए आकर्षक बन जाएगा। इस कारण यहां अति शीघ्र ही रेल पटरी का निर्माण अत्यावश्यक हो गया है।

दो ऐक्सप्रेस गाड़ियां, जिनमें से एक मद्रास से तूतीकोरिन तक और दूसरी मद्रास से तिरूनेलवेली तक जाती है, के विषय में कहता हूं कि मद्रास से विल्लूपुरम तक की लाईन का तो विद्युतिकरण हो गया है परन्तु अभी शेष आधी पर कार्य होना है। यह ऐक्सप्रेस रेलगाड़ी मद्रास से टूटीकोरिन की दूरी 18 घंटे में तय करती है। यदि इसे डीजलीकृत कर दिया जाए तो यह दूरी 14 घण्टे में तय की जा सकती है जिससे यात्रियों को लगभग 5 घण्टे की बचत हो जायेगी। यही सुझाव मैं मद्रास से तिरूनेलवेली तक जाने वाली ऐक्सप्रैस गाड़ी के सम्बन्ध में देता हूं।

टूटीकोरिन बन्दरगाह होने के कारण मद्रास टूटीकोरिन रेल लाइन पर यातायात बहुत अधिक रहता है परन्तु दुर्भाग्यवश अब वहां एक ही रेल लाइन है, जिससे वहां यातायात पूर्णरूप से रुक जाता है। मैं रेल मंत्री महोदय से पुरजोर अनुरोध करता हूं कि वे वहां रेलवे लाइन के दोहरा होने की सम्भाव्यता पर विचार करें जिससे यातायात का दबाव दोनों लाइनों पर होकर बेरोक-टोक चलता रहे।

मद्रास—तिरूनेलवेली लाइन पर बहुत ही नीची सतह पर एक कोविलपट्टी नाम का स्टेशन, जो वर्षाकाल में पानी में डूब जाता है और यात्रियों और रेल कर्मचारियों को घुटने तक पानी में चलना पड़ता है जिसका परिणाम मंत्री महोदय स्वयं ही सोच सकते हैं।

स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री तत्कालीन रेल मंत्री के नाम अनेक अभिवेदन भेजे गए परन्तु दुर्भाग्यवश उस स्टेशन की सतह को ऊंची करने के लिए अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है।

तिरूनेलवेली जंकशन पर मुख्य सड़क पर एक रेलवे फाटक है जिसके कारण यातायात रुक जाता है और स्थानीय जनता को असुविधा होती है। अतः वहां के लोगों की सुविधा का ध्यान रखते हुए, वहां शीघ्र ही एक पुल बनाया जाए।

Shri Sheo Narain (Basti) : Mr. Deputy Speaker, I rise to support the Supplementary grant of Rs. 29.79 crores. But I want to tell the Government that there is no provision of of sanctioning the smaller grants for improvement of railway service. I urge the Government to take vigorous steps to end over crowding in railways specially in 3rd class compartment. It is a common thing that trains run late. The train by which I came here arrived here at 11.00 O'clock, i. e. two hours late. This train involved in an accident in Bareilly and this was not made known to the public. The guard told about the accident when train arrived at Moradabad. The Governor of U. P. State was also travelling in the same train. It is a result of lack of discipline and lack of working. Railway Department is responsible for the security of life and property of passengers. I would like to suggest you to abolish the Railway Board, because your whole of the department is against it.

There is a loss of Rs. 18 crores to the Government every year. People are favoured with free passes. Some get Air-conditioned passes while the Members of Parliament, representatives of the people, get First class passes. In this connection I request you to abolish issuing

passes to the officials and even to Members. Instead give them money so that misuse of the passes may be stopped completely.

I request you to get the numerous small bridges between Gorakhpur and Basti repaired. This is my long standing demand. But unfortunately nothing has been done to repair these small bridges. A railway line may be constructed from Khalilabad to Basti and extended to Mahdawal. This line is on the India-Nepal border and this area is not free from danger, and therefore of strategic importance.

I want to request to Hon. Minister that all the Court cases and suspension orders should be withdrawn from those officers who participated in the token strike of 19th September, 1968. I again request the Hon. Prime Minister and Hon. Home Minister to take a lenient attitude and to reinstate all those who took part in the strike.

I want to request you adhere to the timings, fixed up for trains.

The budget which you have submitted shows no deficit and as such we recommend your supplementary demand, but we want that it is utilised properly. You have imposed agricultural tax of Rs. 18.00 crores on the people. This money of Rs. 18 crores can be saved by stopping free railway passes, with these words I support this demand.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य आरम्भ में ही मांगों में कटौती चाहते थे । मैं समझता हूं इसके लिए यही समय समीचीन है ।

डा० राम सुभग सिंह : ये अनुपूरक मांगें चालू वर्ष के लिए हैं । मैं यह बताना चाहता हूं कि मांग संख्या 2 से 10 तथा 13 के अन्तर्गत वित्त-व्यय के लिए अतिरिक्त आवश्यकताओं जो अनुपूरक मांगों की पुस्तक में मुद्रित हैं, को 28.31 करोड़ रुपये से घटाकर 27.67 करोड़ रुपये कर दिया है । चालू वर्ष के लिए मांगों के सम्बन्ध में अतिरिक्त आवश्यकताएं रेलों के द्वारा बताए गए हेरफेर के कारण बजट में दोहराए गए तमखीने से 1.12 करोड़ रुपये कम थे । चालू वर्ष के लिए इन आवश्यकताओं का पुर्नविलोकन कर लिया है जो दुबारा घटकर 0.64 करोड़ रुपये रह गए हैं ।

मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि चालू वर्ष के लिए अतिरिक्त यातायात की सम्भावना पूर्ण रूप से साकार हो जाएगी तथा इसी महीने में बढ़ सकती है । माल का यातायात भी चालू वर्ष में 81 लाख टन होने की पूरी सम्भावना है । राजस्व तथा पूंजी में कटौती को देखते हुए चालू वर्ष में घाटे की वित्त व्यवस्था जो लगभग 10 करोड़ रुपये थी दोहराए हुए तमखीने में कुछ कम होने की आशा है ।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : श्रीमन्, यह व्यवस्था का प्रश्न है । अनुपूरक मांगों पर बहस है । यह रेल के सामान्य बजट का तीसरा अध्याय सिद्ध हो चुका है । क्या आप सदस्यों से इन अनुपूरक मांगों पर हवाला देने को कहेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : जो कुछ कहा गया है मैं उसकी सराहना करता हूं । जब हम रेलवे बजट की अनुपूरक मांगों पर विचार कर रहे हैं, तो उस समय उसे एक सामान्य विवाद का रूप नहीं देना चाहिए ।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : आदरणीय मंत्री ने अभी कुछ विवरणों को पढ़ा तथा कुछ आंकड़ों को बदलने का प्रयास किया। क्या इनको संशोधन माना जाए ? इसके लिए क्या प्रक्रिया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मूल मांगें छोटी पुस्तक में थीं जिन्हें अब घटा दिया है। इन परिवर्तनों को परिचारित कर दिया जा चुका था ।

श्री सेझियान : इन त्रुटियों को हम मान सकते हैं यदि ये गलतियां छापने में रह गई हैं। परन्तु ये शुद्धियां महत्वपूर्ण प्रतीत होती हैं और इनके लिए उपयुक्त संशोधन पेश होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने अध्यक्ष महोदय को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने सुझाव दिया था कि और आगे विचार करने के पश्चात् आंकड़ों में कमी करनी पड़ी तथा वह उन संशोधित आंकड़ों को सदन में विचार-विमर्श के समय पेश कर देंगे। इसी प्रकार की प्रक्रिया पहले भी की जा चुकी है जिसे बदलना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता।

Shri Shri Chand Goyal : Mr. Deputy Speaker, the Hon. Minister has placed before the House supplementary demands for Rupees 30 crores for meeting the additional allowances for the staff ; meeting the losses caused to railways because of floods for which provision should have been made in the budget. The House can allow to pass such expenditure in the supplementary demands as could not be imagined even before. But if you see demand No. 8 on page 14 a sum of Rs. 374.67 lakhs have been demanded. This supplementary demand is rather heavy and such supplementary demands should not be allowed in the House.

Mr. Deputy Speaker, I have already requested the Hon. Minister personally to see that the promotional opportunities which is about 45% at present should be increased for commercial clerks who are one of the best qualified staff in the railways.

Apart from this Station Masters and Assistant Station Masters manipulate the things and get Medical Certificates to enter into the category of commercial clerks. Thus they affect the promotion chances of the clerks already there in that category.

It was also decided by the Ex-Railway Minister that the decategorised and transportation staff would not be included in this category. But if it would be done their percentage would be determined separately so that they would not be deprived of promotion chances.

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बजकर 4 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha reassembled after Lunch at Four Minutes Past Fourteen of the Clock

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

Shri Bal Raj Madhok (South Delhi) : Sir, thirty Members of the Delhi Metropolitan council have launched **Dharna** at the residence of Hon. Finance Minister.

Their demand of Rs. 225 crores for meeting the expenditure on social services is quite genuine in view of the increasing population of Delhi. The Planning commission earmarked an amount of Rs. 217 crores but the Hon. Finance Minister has reduced it to Rs. 115 crores only ignoring the recommendations of the commission.

The Hon. Finance Minister has also turned down the proposal of the Metropolitan council that they should be permitted to raise their additional resources to meet the development expenses of Delhi which would enable them to dispense with the Central assistance. I request the Hon. Finance Minister to make a statement in the mater.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य सभा को सूचित करना चाहते थे कि महानगर परिषद् के सदस्यों ने वित्त मंत्री महोदय के घर के आगे धरना दिया हुआ है और वह चाहते हैं कि जो भी नये संधान पैदा किये जायें उन्हें दिल्ली को दिया जाये। अब हमें रेलवे की अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर वाद-विवाद को आगे बढ़ाना चाहिए।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : महोदय, मैं इस बारे में प्रक्रिया सम्बन्धी नियम सभी के समक्ष रखना चाहता हूं। मांगें सदा प्रस्ताव के रूप में आती हैं तथा सदन में रखे गये उस प्रस्ताव पर विचार-विमर्श होता है। उसकी विषय सूची में कोई परिवर्तन केवल स्थानापन्न प्रस्ताव या संशोधन प्रस्ताव द्वारा ही किया जा सकता है। नियम 208 (3) में दिया गया है।

"किसी अनुदान की मांग को कम करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किये जा सकेंगे।"

किन्तु इस बारे में सही प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया, अपितु केवल सूचना दी गई है। मैं इस प्रकार इसे मानने को तैयार नहीं हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा के समक्ष प्रस्ताव रखने से पहले ही उन्होंने सूचना दे दी है तथा प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए भी उन्होंने नियमों का पालन किया है। उसके बाद सभा में उन्होंने कोई नये परिवर्तन नहीं रखे हैं।

डा० राम सुभग सिंह : मैंने वे अध्यक्ष महोदय को बता दिये थे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि इस मामले में उस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है।

Shri Shri Chand Goyal : The Government should also realise the difficulties faced by the pensioners in view of the upward trend of the prices. Their pay scales and allowances should also be revised.

The workers of the different categories should be permitted to organise their separate unions and, Government should recognise them. If it is done each union will be able to present the difficulties of its workers more effectively before the Railway Board.

In view of the increasing population of Chandigarh, its present Railway station should be considerably developed.

I request the Hon. Minister should sympathetically consider the problems of the large number of workers who daily come to Delhi from Faridabad.

A shuttle train should be introduced from Delhi or Palwal to Faridabad to remove their inconvenience of the non-availability of any proper conveyance.

श्री विक्रम चन्द महाजन (चम्बा) : मैं मांग संख्या 5, 6, 9 और 14 के बारे में चर्चा करना चाहता हूं ।

बनने वाली नई रेलवे लाइनों में से एक रेलवे लाइन पठान कोट से जैसोर तक बननी है । वहां पर छोटी रेलवे लाइन पहले ही विद्यमान है । वह भूप्रदेश भी समतल है । मेरा निवेदन है कि नई बड़ी रेलवे लाइन बनाने को भूमि अधिगृहीत करने की अपेक्षा वर्तमान छोटी लाइन को बड़ी में परिवर्तित करना लाभप्रद तथा मितव्ययतापूर्ण रहेगा । इससे बड़ी लाइन के दोनों ओर छोड़ी जाने वाली भूमि की भी बचत होगी । मंत्री महोदय मेरे इस सुझाव पर विचार करें ।

हिमाचल प्रदेश में पोंग नामक बांध बनाया जा रहा है । इसके बनने से राजस्थान नहर से राजस्थान क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी । वहीं एक रेलवे लाइन है जिसे मोड़ना पड़ेगा तथा एक नई लाइन भी बिछानी पड़ेगी जिससे कि उसमें पानी न भरे । नये सर्वेक्षण के अनुसार वर्तमान रेलवे स्टेशन से करीब 4 या 5 मील की दूरी पर नई रेलवे स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है । मेरे विचार से पर्वतीय क्षेत्र में 3 या 4 मील कोई भी पैदल चलना नहीं चाहेगा । अतः मेरा निवेदन है रेलवे स्टेशन को कस्बों के यथासम्भव नजदीक बनाया जाये जिससे रेलों को नुकसान न रहे तथा वहां के व्यक्तियों को भी कोई कठिनाई न रहे । इस बारे में मैं कांगड़ा के रेहन और जवाली का उल्लेख करना चाहता हूं ।

जोगिन्दर नगर—पठान कोट क्षेत्र में बहुत पुराने इंजन चल रहे हैं जिनमें अधिक ईंधन जलता है । मितव्ययता तथा लाभ की दृष्टि से वहां आधुनिक इंजन चलाने चाहिए ।

कालका से शिमला चलने वाली रेल कार का किराया बहुत अधिक है किन्तु उससे सामान ले जाने की अनुमति नहीं है । शिमला जैसे हिल स्टेशन पर जाने के लिए सामान ले जाना आवश्यक हो जाता है । अतः मेरा निवेदन है कि यात्रियों को उस गाड़ी से सामान ले जाने की भी अनुमति होनी चाहिए ।

महंगाई भत्ते से सम्बन्धित मांग के बारे में मेरा निवेदन है कि यदि कर्मचारियों की संख्या में कुछ कमी कर दी जाये तो कुछ मितव्ययता हो सकती है । रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स तथा रेलवे पुलिस फोर्स इन दोनों के स्थान पर किसी एक को ही रखा जा सकता है ।

कालका शिमला रेलगाड़ी मूलतः कालका और शिमला क्षेत्र के लिए चलाई गई थी । नये नगर चण्डीगढ़ के बनने से जिसकी कि जनसंख्या बहुत अधिक है उस गाड़ी में तीसरे दर्जे की बोगियों की संख्या में वृद्धि कर देनी चाहिए ।

पहली श्रेणी के 4 या 5 डिब्बों को मिला देना चाहिए तथा प्रत्येक डिब्बे में एक-एक परिचारक रखने के स्थान पर उन चारों या पांचों मिले डिब्बों में एक ही परिचारक रखना चाहिए ।

अन्त में मेरा निवेदन है कि दिल्ली—पठान कोट लाइन पर केवल कंदोरी नामक रेलवे स्टेशन ही है। वह विकासशील बाजार है अतः वहां पर गाड़ी रुकनी चाहिए।

Shri Jageshwar Yadav (Banda) : Railways have not made any headway since independence although twenty-two years have passed. The number of railway lines remain the same, we still find heavy rush of passengers in the Third class compartments. No body can enter the compartment easily. I would request the Government to increase the number of trains, to cope with the heavy rush.

I fail to understand why there has been no increase in the revenue of the railway when the commerce and trade has increased manyfold. It appears from the figures that there has been an increase in the passengers and goods traffic but surprisingly enough there is no increase in the railway revenue.

The survey of the railway line from Lalitpur to Ajaygarh via Khajurao has already been done but no railway line has so far been laid.

So far as pilferage on the railways is concerned, we should not blame the students or passengers. As a matter of fact railway employees themselves are involved in it.

श्री रा० ढो० भण्डारे (बम्बई-मध्य) : मुझे आशा है कि श्री राम सुभग सिंह द्वारा रेलवे का कार्य भार संभाल लिए जाने के बाद अब इसमें उदारता आयेगी तथा इसमें लोकतंत्रात्मक ढंग अपनाया जायेगा। अतः श्री राम सुभग सिंह को बधाई देने वालों में मैं भी स्वयं को शामिल करता हूं।

मुझे आशा है कि उनकी अवधि में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों से न्याय तथा उचित व्यवहार होगा। अधिकारियों के मामले में इन जातियों के लिए रक्षित कोटे के सभी स्थान नहीं भरे गये हैं।

रेलवे में कुछ अधिकारी अनेक वर्षों से एक ही ग्रेड में काम कर रहे हैं। उनको पदोन्नति का कोई अवसर नहीं दिया गया है। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इन अधिकारियों की ओर ध्यान दें।

लोपर बैरल वर्कशाप, मातुंगा वर्कशाप तथा सेन्ट्रल रेलवे वर्कशाप में 1958—60 में खलासियों का ट्रेड टेस्ट लिया गया था और उनको पदोन्नति के आश्वासन भी दिये गये थे। इस बात को आठ वर्ष हो गये हैं परन्तु अभी तक उनको पदोन्नत नहीं किया गया है।

1960-61 में पुनः खलासियों को प्रपत्र भरने के लिए कहा गया था और यह भी कहा गया था कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के खलासियों को पदोन्नत किया जायेगा। इनमें से अधिकतर बुद्ध धर्म के अनुयायी हैं। उनको प्रोत्साहन देने के लिए ऐसा किया जा रहा है। मेरा निवेदन यह है कि जिन लोगों का मूल धर्म बुद्ध है उनकी पदोन्नति हेतु भी कुछ पद आरक्षित किये जाने चाहिए।

रेलवे में ऐसे मजदूर हैं जो कि पन्द्रह वर्ष की सेवा करने के पश्चात् भी अभी तक अस्थायी हैं। उनको स्थायी नहीं बनाया गया है। कुछ मजदूर तो सेवा से निवृत्त होने तक अस्थायी रहते हैं। इसके परिणामस्वरूप उनको अन्य कर्मचारियों के समान सुविधायें तथा अन्य लाभ प्राप्त नहीं होते। ऐसे मजदूरों के मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिये।

बम्बई की स्थानीय रेलगाड़ियों में बहुत भीड़ होती है। इस ओर भी माननीय मंत्री को ध्यान देना चाहिए।

जहां तक खेलों का सम्बन्ध है, रेलवे में कबड्डी तथा अन्य भारतीय खेलों को प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। कबड्डी के खिलाड़ियों को कुछ प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

रेलवे बोर्ड के बारे में मैं एक रचनात्मक सुझाव देना चाहता हूं। रेलवे बोर्ड में कुछ लोकतंत्रात्मक ढंग अपनाया जाना चाहिए ताकि लोगों की भावनाओं के प्रति यह अधिक जागरूक हो सके। इन शब्दों के साथ मैं रेलवे की मांगों का समर्थन करता हूं।

Shri George Fernandes (Bombay-South): Four points have been mentioned in the book which has been given to us on the supplementary grants of the Railways. It has been said that there has been increase in the dearness allowance of the workers and there is also an increase in the expenditure on coal, diesel and electricity. Railway has also to pay more for thefts and as compensation to dependents of the victims of the railway accidents.

So far as the question of paying of more dearness allowance to the workers is concerned I may say that we have been pleading for it and it is justified as Government has failed to check the rise in prices. For this increase Government and big industrialists are responsible.

So far as increase in the operational cost is concerned, I may say that it is also due to the same factor i.e. Government have failed to check the rise in prices of coal, diesel and electricity. I fail to understand why do Government increase the prices of those commodities which are used in essential services? Ultimately the burden falls on the passengers because it is the passenger who has to pay more by way of tickets etc.

So far as the question of paying compensation for claims for goods lost and damaged is concerned, I would say that it is a serious matter and Government should look into it. I want to know what the Railway Board is going to do to reduce the number of such claims? Government is spending about 9 crores of rupees on the maintenance of Railway Protection Force and an equal amount has been paid in compensation last year for the goods lost and damaged. It has been stated in the report of the Railway Board that this force had assisted in the maintenance of law and order in the disturbed areas. It means that this Force is not being used to check the pilferage. I would request the Hon. Railway Minister to use the force for the purpose for which it is being maintained.

It is wrong to say that claims are settled in 32.89 days on an average in the railway as has been pointed out in the report of the Railway Board. It takes years to get claims settled in the railways. I have received many complaint from the public in this connection. The Railway Board should not misguide us by furnishing wrong figures.

The Railway Board in its report has categorised the cases as settled by payment and settled otherwise. I want to know for what this word "otherwise" stand and whether there is any different procedure for settling such claims and if so, what is that?

The commission on railway safety has complained that the Railway Board is not co-operating with them. The officers of the Railway Board are not providing necessary facilities to the commission. In this connection, the provisions of the Railways Act are not being implemented. The recommendations of the commission are also being neglected.

I want to know from the Hon. Railway Minister whether it is not a fact that 300 railway employees were put on job for the fete which was organised by the Western Railway Women's Social Service Committee ? On the one hand money is being wasted like this and on the other hand more money is being asked for. With these words I oppose the demands.

Shri Shashi Bhushan (Khargaon) : I rise to support the demands.

The case of the railway doctors is pending since long. There is wide disparity among the service conditions of the C. H. S. doctors and railway doctors. These demands should be looked into and the disparity removed.

Similarly there is a wide disparity among the employees of the Railway Accounts Office and A. G. C. A. So far as the question of promotion is concerned, this matter should also be looked into.

The procedure of keeping a representative of Accounts Department in the Railway Engineering Department should be continued. This will enable us to check corruption in the latter Department.

There is a big factory in the Mughal Sarai for manufacturing diesel engine. The workers of this factory are quite able to handle their work independently without any help from foreign experts. It is, therefore, in the fitness of things that their dependence on foreign collaboration which is only 7 per cent, should be done away with.

Some time-limit should be fixed for laying a Khandwa-Dohad railway line. This area is rich in the production of cotton and groundnut and therefore, it will prove to be an economical line.

I would also request the Hon. Minister to look into the case of seniority of the old drivers of the locomotives who are now-working on the diesel engines.

The benefits being given to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe should also be given to those Scheduled Castes and Scheduled Tribes who have embrassee Buddhism.

Railway should help the Co-operative Societies instead of closing them.

Shri Mohan Swarup (Pilibhit) : I am thankful to the chair for providing mean opportunity to speak on these supplementary grants. Some of the demands should have been put alongwith the General Budget.

I would suggest that a high power committee should be set up to look into its structure, its administrative set up, its financial policy and its relation with the labour.

A Union of the N. F. Railway has been derecognised because they put forward some demands in the September strike. I would request the Hon. Minister to recognise these unions as the Government has liberalised its attitude towards such things. Moreover in the democratic set up workers have the right to put forward their demands.

[श्री तिरुमल राव पीठासीन हुए
Shri Thirumal Rao in the Chair]

Sometimes wrong figures are put forward resulting in utter confusion. Secondly the funds allocated for a specified year should not be brought forward for next years. They should be spent in the same year, for which they are allocated.

The people are dissatisfied with the working of the railways, large scale pilferage is going on in the railways. People do not get place in the compartments due to heavy rush. There is no arrangement for the security of the passenger in the Railways. All these things should be looked into and working of the railways should be improved.

The U. P Government's request for relaying the Melani-Shahjahanpur railway line has not so far been conceded.

There should be a halt station between Jindapur and Bisalpur on the North Eastern Railway. The people of the area are prepared to construct the railway platform by way of 'Shramdan'. The Hon. Railway Minister should look into this demand of the people.

A new train should be introduced between Delhi and Bareilly. The train which goes from Delhi to Moradabad should be extended upto Bareilly. The work of laying a broad gauge line from Rampur to Haldwani should again be undertaken. I fail to understand why the work on this project has been postponed especially when some earth-work has already been done.

It takes four hours to reach Pilibhit from Bareilly by rail whereas one can cover this distance in about one and a half hour by bus. This matter should also be looked into. A diesel shuttle should be introduced between Pilibhit and Bareilly.

The Hon. Minister has assured to convert the meter gauge line from Lucknow to Gorakhpur into broad gauge line. I would suggest that the line from there to Haldwani via Pilibhit should also be converted into broad gauge one.

I would request the Hon. Minister to make a thorough study of the working of the railways and its shortcomings should be removed.

श्री चेंगलराया नायडू : (चित्तूर) : मैं नये रेलवे मंत्री श्री राम सुभग सिंह को अलाभप्रद रेलवे लाइनों को चालू रखने संबंधी निर्णय लेने के लिये बधाई देता हूं।

मेरा कहना है कि यदि रेलवे अधिकारी इन रेलों को सुधारने में कुछ रुचि लेते तो इन अलाभप्रद लाइनों को लाभप्रद लाइनों में बदला जा सकता था। रेलवे अधिकारी यातायात को बढ़ाने तथा अधिक धन जुटाने में रुचि नहीं लेते। इन लाइनों पर रेलवे यातायात में वृद्धि करने तथा रेलवे की आय को बढ़ाने के तरीके ढूंढने के लिए एक समिति बनाई जानी चाहिए। इस समिति के चार अथवा पांच सदस्य होने चाहिये और इनमें रेलवे बोर्ड का कोई अधिकारी नहीं होना चाहिये। मैं चाहता हूं कि इस समिति में किसानों को प्रतिनिधित्व दिया जाये।

मैं यह भी चाहता हूं कि किसानों को अपने गांवों में अनुसंधान केन्द्रों में जाने के लिये कुछ

रियायतें दी जायें ताकि वे नये बीजों को देख सके और वापस आकर अपने खेतों में उनका प्रयोग कर सकें ।

रेलवे को कृषि वस्तुओं विशेषकर फल और सब्जियों जैसी वस्तुओं के लिए विशेष रियायतें देनी चाहिए । इन वस्तुओं को बिना विलम्ब गन्तव्य स्थान पर पहुंचाने के लिए भी तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए ।

रेलवे स्कूलों के अध्यापकों को वार्षिक वृद्धियां तथा मंहगाई भत्ते में वृद्धि का लाभ नहीं दिया जाता है । उनको ये सभी लाभ दिये जाने चाहिये । केन्द्रीय सरकार के स्कूलों के अध्यापकों को मिलने वाली सभी रियायतें रेलवे स्कूलों के अध्यापकों को दी जानी चाहिए ।

दिल्ली से मद्रास तक के लिए भी एक राजधानी एक्सप्रैस जैसी रेलगाड़ी चलाई जानी चाहिए ।

विजयवाड़ा और हैदराबाद के बीच एक तेज चलने वाली रेलगाड़ी चलाई गई है । मेरा निवेदन है कि विजयवाड़ा से और हैदराबाद से इसके चलने के समय में थोड़ा परिवर्तन किया जाना चाहिए । विजयवाड़ा से प्रातः छः बजे चलाने के बजाय इसको पांच बजे अथवा साढ़े चार बजे चलाया जाना चाहिये । इसी प्रकार हैदराबाद से इसको सायं चार बजे के बजाय पांच बजे चलाया जाना चाहिये ताकि लोगों को वहां पर रात भर न रहना पड़े ।

रेलगाड़ियों में ऐसे डिब्बे होने चाहिये जिनमें कि धूल न आ सके ।

आंध्र प्रदेश में कोई नई रेलवे लाइन नहीं बिछाई जा रही है । ओंगोल से नागार्जुनासागर होते हुए हैदराबाद तक एक रेलवे लाइन बिछाई जानी चाहिए । कावूर से भद्राचलम तक भी एक रेलवे लाइन बिछाई जानी चाहिए । इन मामलों में तुरन्त निर्णय किया जाना चाहिए ।

श्री लोबो प्रभु : (उदीपी) : यह तीसरी बार है जबकि रेलवे ने इस वर्ष अनुदानों की अनुपूरक मांग प्रस्तुत की है । मुझे आशा है कि नये रेलवे मंत्री इस बात को रेलवे अधिकारियों के साथ उटायेगे और भविष्य में ऐसी मांगों को इस प्रकार सभा के सामने नहीं लायेंगे । सभी मागों को सामान्य बजट में पेश किया जाना चाहिए ।

कर्मचारियों को यात्रा भत्ता आदि देते समय हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि इसका बोझ गरीब यात्रियों पर पड़ता है । यदि इसमें कमी करना सम्भव नहीं है तो माननीय मंत्री को रेलवे कर्मचारियों की और मांगों पर विचार करते समय इस तथ्य को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए और उनको अन्य सरकारी कर्मचारियों से अधिक कुछ नहीं दिया जाना चाहिये ।

यह बहुत आश्चर्य की बात है कि मूल्यों में 13 प्वाइंट की कमी के बावजूद सामान की लागत के शीर्षक के अन्तर्गत और राशि मांगी गई है । जहां तक दुर्घटनाओं में हुई हानि के लिए मुआवजा देने का सम्बन्ध है मेरे विचार में यदि पूरी तरह सर्तकता रखी जाती तो शीर्षक के अन्तर्गत और राशि मांगने की कोई आवश्यकता नहीं थी । मेरे विचार में मूल कारण यह है

कि यह पुलिस रिपोर्ट करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकती। यह किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। किसी पर मुकदमा नहीं चला सकती। यह सब काम राज्य सरकार की पुलिस का है। इन लोगों को भी राज्य सरकार की पुलिस वाली शक्तियां दी जानी चाहिये।

मैं यह सब कुछ रचनात्मक भावना से कह रहा हूं और मुझे आशा है कि नये रेलवे मंत्री इस बारे में कुछ सुधार करेंगे।

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मुझे प्रसन्नता है कि मेरे माननीय मित्र सर्वश्री शिव नारायन और लोबो प्रभु इस बात से सहमत हैं कि यात्रा भत्ते और मुफ्त पासों के मामले में कुछ छानबीन होनी चाहिए। मैं स्वयं महसूस करता हूं कि इस सुविधा का कुछ दुरुपयोग हो रहा है। संसद सदस्यों को दिये जाने वाले प्रथम श्रेणी के पासों से अधिक मूल्य का मुफ्त पास किसी को नहीं दिया जायेगा। यह पहली अप्रैल से लागू हो जायेगा।

मैं श्री नायडू के इस सुझाव को स्वीकार करता हूं कि अलाभप्रद लाइनों के मामले की जांच लिए एक समिति नियुक्त की जानी चाहिए। मुझे आशा है कि मेरे साथी श्री आर० एल० चतुर्वेदी इसका अध्यक्ष बनना स्वीकार करेंगे। इस समिति में एक दो संसद सदस्यों तथा कुछ विशेषज्ञों को भी शामिल किया जायेगा।

रेलवे के वित्तीय मामलों में परामर्श देने के लिए हमने सिविल सेवा का एक व्यक्ति रखा हुआ है। रेलवे बोर्ड की क्षमता के बारे में यदि किसी को कोई सन्देह हो, तो मैं उनको विश्वास दिला सकता हूं कि वे रेलवे द्वारा देश की प्रशंसनीय सेवा कर रहे हैं।

मेरे माननीय मित्र श्री नायडू ने कहा है कि रेलवे के मामले में दक्षिण की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए।

मैं दक्षिण को उसका उचित भाग और यदि सम्भव हो तो उससे भी अधिक भाग देने को तैयार हूं।

हम हलद्वानी से रायपुर तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण करा रहे हैं। अन्य लाइनों की अलग जांच की जायेगी।

यह कहना ठीक नहीं है कि रेलवे सुरक्षा दल को कोई शक्ति नहीं है। वह गिरफ्तारियां कर सकते हैं। अब उनको कुछ और भी शक्तियां दी गई हैं। इन बातों की जांच के लिए श्री शांति लाल संसद सदस्य की अध्यक्षता में एक उच्च शक्ति वाली समिति भी नियुक्त की गई थी। इस समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। इस प्रतिवेदन की जांच की जा रही है। श्री जार्ज फरनेन्डीज ने कहा कि यह दल लोगों के आन्दोलनों को दबाने के लिए राज्य पुलिस की सहायता करता है। यह बात गलत है। यदि रेल में अथवा मार्गों में अथवा रेलवे स्टेशनों अथवा गोदामों आदि पर कोई घटना घटती है तो हमें अपने हितों की सुरक्षा के लिए

राज्य सरकार से सहायता मांगनी पड़ती है और इसके लिए यदि राज्य सरकार रेलवे सुरक्षा दल की सहायता मांगती है तो हम उनकी सहायता करते हैं। श्री हजारिका ने कहा कि डिवीजनल स्कीम से आसाम के लोग आमतौर पर संतुष्ट हैं। मुझे खुशी है कि श्री हजारिका ने आसाम के लोगों की भावनाओं को व्यक्त किया है। हम इन क्षेत्रों की विशेषकर आसाम की सहायता करना चाहते हैं। श्री हजारिका तथा कुछ माननीय सदस्यों ने सहकारी समितियों को प्राथमिकता देने के लिए कहा है। हम ऐसा करने जा रहे हैं।

अनेक सदस्यों ने रेलगाड़ियों के देर से चलने का उल्लेख किया है। हम इसमें सुधार करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

सर्वश्री गोयल तथा भण्डारे ने कमर्शियल क्लर्कों का उल्लेख किया है। इनके समेत हम कई अन्य वर्गों के मामलों पर भी विचार कर रहे हैं। यदि किसी के साथ कोई अन्याय हुआ है तो हम उसके साथ न्याय करेंगे। दिल्ली और फरीदाबाद के बीच शटल गाड़ी चलाने के प्रश्न की जांच की जायेगी।

श्री महाजन ने पठानकोठ—जेसौर को पोंगबांध के निकट मोड़ने के बारे में कहा है। इस बात पर हम विचार करेंगे। उन्होंने रेहान तथा जवाली के निकट रेलवे स्टेशन बनाने की बात भी कही है। हम इस पर विचार करेंगे कि लोगों को असुविधा न हो। पुराने इंजनों के स्थान पर नये इंजन लगाने के प्रश्न पर भी विचार किया जायेगा।

यह सच है कि कालका-शिमला लाइन पर सामान ले जाने की अनुमति नहीं है। हम इस लाइन पर यात्रियों को सुविधा देने के प्रश्न पर भी विचार करेंगे।

श्री भण्डारे ने खेलों में कबड्डी का उल्लेख किया है। रेलवे को अपने खिलाड़ियों पर गर्व है क्योंकि उन्होंने रेलवे के लिये अच्छा नाम कमाया है। कबड्डी को राष्ट्रीय खेलों में शामिल करने के बारे में मैं खेलों से सम्बन्धित लोगों से परामर्श करूंगा।

जहां तक अस्थायी कर्मचारियों का प्रश्न है मैं इस मामले की जांच करूंगा।

अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों से न्याय किया जायेगा।

श्री शशि भूषण ने रेलवे डाक्टरों का प्रश्न उठाया है। उनको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हमने इन डाक्टरों को राजपत्रित अधिकारी बना दिया है। अब हमें बताया गया है कि वह सी० एच० एस० के डाक्टरों के समान नहीं हैं। मैं इस बात की जांच करूंगा।

जहां तक डी० एल० डब्लू का सम्बन्ध है हमारा प्रयत्न शत प्रतिशत स्वदेशी उत्पादन करने का है, परन्तु यह सच है कि इस समय काफी माल का आयात भी किया जा रहा है।

खंडवा-दोहदा लाइन का रिकार्ड इस समय मेरे पास नहीं है। मैं इस रिकार्ड को देखूंगा।

जहां तक डीजल और कोयले से चलने वाले इंजनों के ड्राइवरों का सम्बन्ध है उनके मैरिट्स को ध्यान में रखा जाता है।

जहां तक किसानों को अनुसंधान केन्द्रों की यात्रा के लिए रियायत देने का सम्बन्ध है मैं उनको वापसी यात्रा (रिटर्न जर्नी) की सुविधायें देने के प्रश्न पर विचार करूंगा। किसानों को मैं 50 प्रतिशत रियायत दूंगा।

श्री भण्डारे ने उप-नगरीय यात्रा सुविधाओं के बारे में कहा है। मैं बताना चाहता हूं कि हाल में देश के कुछ भागों में उपनगरीय 'कोचों' को नष्ट कर दिया गया है। हम स्थिति में सुधार करने का प्रयत्न करेंगे। यहां से मद्रास के लिए विशेष रेलगाड़ी चलाने के मामले की मैं जांच करूंगा। मैं इस बारे में अभी कोई आश्वासन नहीं देना चाहता। मंहगाई भत्ते की वर्तमान दरें गजेन्द्रगडकर आयोग की सिफारिशों पर आधारित हैं।

इस समय रेलवे में लगभग 3.44 लाख नैमित्तिक मजदूर हैं। उनका काम ही ऐसा है कि उनको दैनिक मजदूरी पर ही रखा जा सकता है। जिन पर न्यूनतम मजूरी अधिनियम लागू होता है उनको उसके अनुसार मजूरी दी जाती है। जिनपर यह लागू नहीं होता उनको स्थानीय बाजार भाव के हिसाब से मजूरी दी जाती है जो मजदूर परियोजनाओं से अतिरिक्त कार्यों पर निरन्तर छः महीने की सेवा पूरी कर लेते हैं उनको अस्थायी कर्मचारियों के वेतनमान तथा अन्य सुविधायें दी जाती हैं यद्यपि वे नियमित संवर्ग में अपने आप नहीं लगाये जाते तथापि नियमित पदों पर नियुक्ति के लिए उनके मामलों पर विचार किया जाता है। उनको आयु-सीमा में छूट आदि भी दी जाती है। चयन समिति द्वारा बनायी गई तालिका पर उनको ऊपर रखा जाता है। नैमित्तिक मजदूरों को अन्य कर्मचारियों के समान संवर्ग के अनुसार न्यूनतम मजूरी देने का प्रश्न रेलवे न्यायाधिकरण, 1969 को सौंप दिया गया है।

काम के घण्टों का भी उन्होंने उल्लेख किया है। 1947 में न्यायाधीश राजाध्यक्ष ने कुछ मामलों के बारे जिनमें गाड़ियों के साथ चलने वाले रेल कर्मचारियों के काम के घण्टों तथा विश्राम अवधि आदि भी शामिल थे, अपना पंचाट दिया था। उनकी सिफारिशों के अनुसार गाड़ियों के साथ चलने वाले रेल कर्मचारियों को सामान्यतया "कंटिनुअस" कर्मचारियों की श्रेणी में रखा जाता है और उनसे महीने में औसतन 54 घण्टे प्रति सप्ताह काम लिया जाता है। यह उपबन्ध किया हुआ है कि ऐसे कर्मचारियों से साधारणतः लगातार 10 घण्टे से अधिक काम न लिया जाये और 12 घण्टे के बाद उन्हें छोड़ दिया जाये बशर्ते कि वे इस बारे में नियंत्रक को 2 घण्टे पहले सूचना दे दें।

इस बारे में हर संभव प्रयत्न किया जा रहा है कि गाड़ियों के साथ चलने वाले कर्मचारियों को लगातार अधिक समय तक काम न करना पड़े। इस बारे में काफी कुछ किया जा चुका है और आगे भी इन घण्टों में और अधिक कमी करने के प्रयत्न जारी रहेंगे।

जहां तक 19 सितम्बर की हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों का सम्बन्ध है, हमें गृह-कार्य मंत्रालय के आदेशों का पालन करना होता है। फिर भी हम जहां तक संभव होगा उदार दृष्टिकोण अपनायेंगे। जिन्होंने उस हड़ताल में भाग नहीं लिया उन कर्मचारियों में से कुछ को हम पुरस्कार भी देने जा रहे हैं।

1 मार्च, 1969 को स्थिति इस प्रकार थी। 89,523 कर्मचारियों में से जिन्होंने हड़ताल में भाग लिया था, मुअत्तिली के लगभग 2,685 मामले, सेवा समाप्ति के लगभग 889 मामलें तथा बर्खास्तगी के लगभग 129 मामलों को छोड़कर शेष सभी मामलों में निर्णय कर लिया गया है। इस मामले में और अधिक उदारता दिखाने के सरकार के निर्णय की रेलवे को 17 मार्च, 1969 को सूचना दे दी गई है। इन हिदायतों के पालन से कुछ और कर्मचारियों को शीघ्रातिशीघ्र बहाल कर दिया जायेगा।

श्री श्रीचन्द गोयल और श्री लोबो प्रभु ने यह प्रश्न उठाया था कि संसद् की मंजूरी के बिना भारत की संचित निधि से कोई व्यय नहीं किया जा सकता। आयव्ययक के समय वर्ष के लिये प्राक्कलित व्यय के लिये अनुच्छेद 112 से 114 के अन्तर्गत संसद् की मंजूरी लेनी पड़ती है। अनुच्छेद 115 में दिया हुआ है कि यदि अनुच्छेद 114 के उपबन्धों के अनुसार किसी वर्ष के लिये प्राधिकृत धनराशि उस वर्ष के लिये अपर्याप्त पाई जाती है तो उस अतिरिक्त व्यय के लिये संसद् की मंजूरी उसी रूप में लेनी होगी जैसे कि मूल आयव्ययक के सम्बन्ध में ली जाती है। इसलिये मुआवजे सम्बन्धी दावों पर होने वाले व्यय में प्रत्याशित वृद्धि के लिये संसद् की मंजूरी लेना जरूरी है। इस वृद्धि का कारण यह है कि हम सभी बकाया मामले निपटाना चाहते हैं।

श्री नम्बियार ने अपने कटौती प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस लिये

The cut Motions were by leave withdrawn

सभापति महोदय द्वारा वर्ष 1968-69 के लिए रेलवे के सम्बन्ध में अनुदानों की निम्नलिखित अनुपूरक मांगें मतदान के लिए रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं।

The following Supplementary Demands for the Grants in respect of Railways for the year 1968-69 were put and adopted

मांग संख्या	शीर्षक	राशि रुपये
2	विविध व्यय	31,36,000
3	चालित और दूसरी लाइनों का भुगतान	6,33,000
4	संचालन व्यय—प्रशासन	1,80,05,000
5	संचालन व्यय—मरम्मत और अनुरक्षण	7,55,60,000
6	संचालन व्यय—परिचालन कर्मचारी	5,11,84,000
7	संचालन व्यय—परिचालन (ईंधन)	6,82,32,000
8	संचालन व्यय—परिचालन (कर्मचारी और ईंधन को छोड़कर)	4,86,18,000
9	संचालन व्यय—विविध व्यय	1,00,19,000
16	पेंशन-प्रभार—पेंशन-निधि	94,08,000

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य)—1966-67
DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (GENERAL), 1966-67

Shri Om Prakash Tyagi (Moradabad): An additional sum of Rs 2.92 lakhs is being sought under the head "Benefits to Retired Pensioners." The persons who got retirement by 1952 are facing a miserable plight. They are being given pensions on the basis of the code approved in 1939. The consumer price index in 1939 was 100 and it has gone up to 746 in 1968. The prices having gone so high, no modification has been made in the old pension code. Government only listens when people start agitations and indulge in acts of violence. These old people, being loyal and disciplined, do not want to adopt such tactics. Government should, therefore, do justice to them.

Additional money is being asked for under the head "Roads Construction." But I want to say that although there are sign-boards on the highways in the big cities and on their outskirts but as we go farther we de not see sign-boards displayed on the cross-roads or road diversions. As a result of which foreign visitors are put to great difficulties. Similar is the position about way-side restaurants-cum-hostels. Such restaurants should at least be opened on the national highways so that the tourists can rest there and have some refreshments as well. More roads should be constructed in the rural areas. What I mean to say is that if all the loop-holes in the working of this department including corruption and other malpractices had been plugged, there would have been no need for this excess grant.

Excess demand has been made for Andman and Nicobar as well. There forests are being cleared for colonisation. There corruption is rampant and the major portion of the amount earmarked for this scheme is taken away by it. Government should look into this matter.

There is no need for such a huge staff for the President's Secretariat, nor there is any justification for such a big estate for the President which covers thousands of acres of land. The Britishers being foreigners were afraid of the Indians and they were to create an atmosphere suited to them. That was why they built the President's Estate in its present form. The President of India should be a symbol of India's culture and should lead a simple life. Our leaders and our President should set up a model for others to follow. From the security point of view, there is no danger to the life of the President. In my opinion if this wasteful expenditure is stopped, then there would be no need for supplementary demands.

Shri K. M. Madhukar (Kesaria): The excess demands are simply an indication of extravagance and wastage. If steps are taken to stop this extravagance and wastage there will be no need to ask for these excess grants.

There is no provision for roads in the villages. Whatever roads are there remain unrepaired. In the rainy season, breaches are caused by the rain water and they remain practically unserviceable. Even the national highways are not repaired in time. It appears that the Government have no plan for which they can prepare their estimates before hand.

Government have been saying so often that steps will be taken to effect economy in administrative expenditure. But we see the same extravagance and wastage everywhere. They have been reiterating so often that their aim is to bring about socialism in this country. But

monopolies are being further strengthened. In the Rajya Sabha Shri Chandra Sekhar raised his voice against the Birlas. But nothing has been done. On the other hand it is being hushed up. Government is not worried about raising the standard of living of the common man. They are more worried about the Tatas and the Birlas. If demand is put forward for schemes for the benefit of the common man, then we can understand that the Government has a realistic approach. But these excess grants are being sought for meeting the extravagance and wastage indulged in by Government machinery. This House should reject them.

Have the Government actually made serious efforts to promote small-scale industries ? In Champaran in Bihar there is a Mehsi Button Factory which exports buttons to foreign countries. This Factory wants to raise its capital for increasing its exports. But it is regrettable that Government does not heed such requests.

These excess grants do not seek money for any new schemes. The House should straightaway reject them.

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : The excess grant in relation to Demand No. 1 has been necessitated by excess expenditure on travelling. Similarly the excess spending in regard to Demand No. 45 is the result of undertaking more tours by the Ministers and Deputy Ministers in the latter part of the year.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

Similar is the case about Demand No. 62. Therein it has been said :

"Increased expenditure on travelling allowance due to more tours than anticipated."

So all these excess demands for grants excepting No. 89 arise out of extravagance or tours by the Ministers and Deputy Ministers.

Demand No. 89 relates to communications. Therein it has been said :

"Execution of certain urgent and inescapable works in Nefa to meet the defence needs and other essential works undertaken in Andaman and Nicobar Islands and Dadra and Nagar Haveli."

We could for a while understand it because it pertains to the defence of our country. But most of the excess grants have been necessitated by extravagance indulged in by the Government machinery or the tours of Ministers ond Deputy Ministers. We of the opposition have been impressing upon the Government to cut down its expenditure but Government seems to sleep over it. If this extravagance is stopped, there would be no need to resort to deficit financing.

The Finance Minister has said much about socialism in his budget speech and he has also referred to Mahatma Gandhi therein. In spite of all this, the basic ill that has taken root after independence is the development of capitalism in the country. This basic ill has been giving rise to other ills as well. Therefore it is high time that we eradicate this ill. Whatever production is there it should be for all the people of the country. If this socialistic pattern is adopted, there will be no need for resorting to deficit financing and the country will march on the road to progress and prosperity.

In my opinion, the House should reject these demands as they have been necessitated by the extravagance indulged in by Government machinery.

Shri Lakhan Lal Kapur (Kishanganj): Lateral road from Bareilly to Assam is under construction. The construction work of this road was undertaken in 1962 and it was scheduled to be completed within 2 years. Uptill now astronomical amounts have been spent on this road but still its construction work has not been completed. This road is very important from the strategic point of view and it is regretted that Government is not giving serious thought to its completion.

In my opinion the then Chief Excutive Engineer of the project, now elevated to the post of Chief Engineer, P. W. D., Bihar, is solely responsible for the non-completion of this road. It is lamentable that instead of punishing that man, he has been rewarded by way of giving promotion. A rumour is also afloat in Bihar that he got this promotion by giving a bribe of Rs. 1 lakh.

Materials and equipment worth crores of rupees are lying there in disuse. I, therefore, urge upon the Hon. Minister to appoint a commission through the medium of C. B. I. to enquire into the gross defalcations in this affair.

श्री नन्द कुमार सोमानी (नागौर) : भारत सरकार के मंत्रालयों को यह विश्वास-सा हो गया है कि वे जब चाहें अनुपूरक मांग के द्वारा कोई भी धनराशि संसद् से मंजूर करा सकते हैं। मंत्रालयों को इस बात से अवगत कराया जाना चाहिये कि यदि वे कोई अनुपूरक मांग पेश करेंगे तो वह एक गम्भीर बात मानी जायेगी।

पिछले पांच वर्षों में प्रतिरक्षा व्यय बढ़कर अब 1200 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। इस सभा में बार-बार यह मांग की जाती रही है कि लोक-लेखा समिति की तरह की एक संविहित संसदीय समिति बनाई जाय जो इस बारे में जांच करे कि प्रतिरक्षा पर जो व्यय किया जा रहा है, क्या वह ठीक तरह से व्यय किया जा रहा है। पेंशनों के लिये 9,40,000 रुपये रखे गये हैं। इस विभाग की कार्यकुशलता की दृष्टि से इस प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिये।

ऋणों पर ब्याज के भुगतान के हेतु जो मूल उपबन्ध किया गया था, उसके लिये 64 लाख रुपये से अधिक की अतिरिक्त मांग पेश की गई है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस बारे में ठीक से हिसाब किताब नहीं रखा जाता है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय को ही लीजिये। एक वर्ष में एक अवधि में 16 लाख रुपये की अतिरिक्त मांग पेश करने का क्या कोई औचित्य है क्या उन्हें अचानक 6-7 प्रसारण केन्द्र स्थापित करने थे जिनके लिये पहले से कोई उपबन्ध नहीं किया गया था ? या अनेक सूचना तथा प्रसारण निदेशकों को नियुक्त करना पड़ा था ? उन्होंने इस प्रकार से इतनी बड़ी रकम की मांग क्यों की है ? वित्त मंत्री को इस मामले की जांच करनी चाहिये। इन मांगों को सभा में पेश करने से पहले इनकी जांच पड़ताल की जानी चाहिये और यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिये कि इन अतिरिक्त मांगों का बड़ा गम्भीर मामला समझा जायेगा।

संचार विभाग के लिये 65 लाख रुपये की अतिरिक्त मांग पेश की गई है। आसाम में

अमीगांव से उत्तर प्रदेश में बरेली तक एक 1111 मील लम्बी पार्श्ववर्ती सड़क के निर्माण पर आरम्भ में 110 करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान लगाया गया था जबकि लोक-लेखा समिति के अध्ययन दल के अनुसार इस परियोजना पर 74 करोड़ रुपये से अधिक खर्च नहीं हो सकते। इस समिति ने अपने उस वर्ष के प्रतिवेदन में कहा है कि उन्हें यह बताया गया था कि 825 लाख रुपये की मशीनें संबंधित चार राज्यों में इस्तेमाल में लाने के लिये खरीदी गई थी और तीन राज्यों द्वारा उसमें से 282 लाख रुपये की मशीनें तथा उपकरण फालतू घोषित कर दिये गये थे। ऐसी स्थिति में यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि यह परियोजना अभी पूरी नहीं हुई है। दो-तीन साल से इतनी मशीनें तथा उपकरण बेकार पड़े हैं और उनका कोई प्रयोग नहीं किया जा रहा है। ये कुछ उदाहरण हैं जिनके बारे में हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिये। यहां पर हर साल जो वाद-विवाद होता है उसमें बार-बार मंत्रालयों का ध्यान इस ओर दिलाया जाता है कि वे ठीक तरह से खर्च करें और खर्चे को कम करने का प्रयास करें परन्तु चूंकि बहुमत होने के कारण उन्हें अतिरिक्त धन मिल ही जाता है इसलिये उन्होंने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है।

Shri Mohammad Ismail (Barrackpore): Government has forfeited all its rights to bring these excess grants before this House. I want to highlight the depths of degradation to which India has been pushed to by this Government by citing only one or two examples. Seventysix per cent of the agricultural machinery and 28 per cent of the machine tools are lying idle in our country. The engineering industry is engulfed in a crisis. In my State of W. Bengal thousands of labourers have been laid off. The engineering industry there is not getting any orders. The small scale industries are on the vanishing point. But our Government have no Compunction. When the workers there protest against the apathy and remissness of the Government, they have to face the showers of bullets and bayonets. One single textile machinery manufacturing unit in that State named "Texmaco" has retrenched three thousand workers and the reason for this is that instead of placing orders on that concern Government imported textile machinery from abroad.

As regards the small tools, they are in great demand in Viet-Nam, Cuba, etc. Our industrialists have been clamouring for orders for such tools but our Government did not do it.

Our licencing policy is erratic and items which can profitably be manufactured in the country are being imported. The strings of our Government in regard to such policies are controlled from America due to P. L. 480 agreement.

The Congress Government is responsible for the present malady and malaise of strikes and lay-offs which are eating into the very vitals of our economy.

Since there is no justification for presenting these excess demands Government should, therefore, withdraw them.

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : क्या वर्ष की समाप्ति से थोड़ा पहले 8-9 करोड़ रुपये अधिक खर्च करना उचित है? इस थोड़े से समय में क्या मंत्रालयों को इतने मुक्त हाथ से धन खर्च करना चाहिये? यह बहुत जरूरी है कि वित्त मंत्रालय आखिरी समय में ऐसे खर्च पर नियंत्रण रखे। इस मामले में वित्त मंत्रालय स्वयं सबसे बड़ा दोषी है। 'कर तथा आय' शीर्षक के अन्तर्गत वित्त

मंत्रालय द्वारा लगभग 4.35 लाख रुपये ऐसी चीजों पर खर्च किये गये हैं जैसे होलोरिथ मशीन, रिक्त पद आदि। उन्होंने 15 मार्च के बाद रिक्त पद भरने का निर्णय क्यों लिया? क्या बजट मांगें बनाते समय या अनुपूरक मांगों में उनका इन पदों पर खर्च करने का प्रस्ताव था? अपनी त्रुटियों को छिपाने के लिये वे अतिरिक्त मांगों की मंजूरी पर निर्भर करते हैं।

मेरा समय समाप्त होने वाला है इसलिये मैं संक्षेप में यह कहना चाहता हूं कि मंत्रियों के विदेशों के दौरों पर खर्च निरन्तर बढ़ता जा रहा है। क्या ये दौरे जरूरी हैं? क्या उन्हें संसद् या अपने मंत्रालय में कोई काम नहीं करना होता है?

दूसरी बात मैं आराम देह स्टाफ कारों के बारे में कहना चाहता हूं। प्रत्येक मंत्रालय को वर्ष की समाप्ति पर ही यह पता चलता है कि उन्हें स्टाफ कार की जरूरत है। सरकार को तो एक उदाहरण पेश करना चाहिये और जनता के धन को खर्च करने में मितव्ययिता से काम लेना चाहिये। समाजवाद् की समर्थक सरकार के लिये आरामदेह कारों की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिये।

श्री एस० आर० दामानी (शोलापुर) : विरोधी दलों के माननीय सदस्यों ने कोई सारभूत बातें नहीं रखी हैं। वित्त मंत्रालय ने आय और व्यय का सही अनुमान लगा कर प्रशंसनीय कार्य किया है। प्रतिपक्षी सदस्य यह भूल जाते हैं कि गत वर्ष सूखा पड़ा था और कुछ भागों में बाढ़ आई थी। लोगों की सहायता करने के लिये सरकार को अकस्मात् खर्च करना पड़ा। इसलिये मैं इन अतिरिक्त मांगों का समर्थन करता हूं।

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा जो अतिरिक्त व्यय किया गया है उसकी मंजूरी के लिये हमने संसद् में अतिरिक्त मांगें पेश की हैं।

संविधान के अनुच्छेद 115 (1) (ख) में इस आकस्मिकता के लिये उपबन्ध किया गया है। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की कोई संभावना न होती तो इस अनुच्छेद की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं यह नहीं कहता कि बड़ी मात्रा में अतिरिक्त खर्च करना उचित है। परन्तु अनुदानों की 151 मांगों में से केवल 28 मामलों में 11.53 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को अधिक नहीं कहा जा सकता है। यह कुल व्यय का, जिसकी मंजूरी दी गई थी, केवल 0.8 प्रतिशत है। इसमें से 1.79 करोड़ रुपये "राजस्व" शीर्षक के अन्तर्गत, 6.05 करोड़ रुपये 'पूंजी' शीर्षक के अन्तर्गत और 3.69 करोड़ रुपये "ऋण और अग्रिम" शीर्षक के अन्तर्गत व्यय हुए हैं।

लेखे महानियंत्रक तथा महा लेखा परीक्षक प्रतिरक्षा लेखे तथा रेलवे द्वारा तैयार किये जाते हैं और उसके बाद लेखा परीक्षा विभाग उनकी जांच पड़ताल करता है और फिर लोक-लेखा समिति उनकी जांच करती है। गत वर्ष आपने निर्णय किया था कि लोक-लेखा समिति द्वारा

जांच किये जाने के बाद ही अतिरिक्त मांगें सभा में पेश की जायें। लोक-लेखा समिति द्वारा जांच किये जाने के बाद ही ये मांगें पेश की गई हैं।

श्री त्यागी ने राष्ट्रपति भवन पर होने वाले व्यय के बारे में उल्लेख किया। राष्ट्रपति के पद की तथा राष्ट्रपति भवन में आने वाले प्रतिष्ठित विदेशियों की गरिमा बनाए रखने के लिये राष्ट्रपति भवन की उचित देख-रेख करना जरूरी है। मुझे आशा है कि सभा इस व्यय पर कोई आपत्ति नहीं करेगी।

दौरों पर जो अतिरिक्त व्यय हुआ है वह लगभग 1 लाख रुपये है। कभी-कभी अकस्मात् दौरे करने पड़ जाते हैं इन दौरों में विदेशों के तथा देश के अन्दर दोनों प्रकार के दौरे शामिल हैं। इसलिये यह कोई बड़ी रकम नहीं है और मेरी राय में यह सभा इस पर कोई आपत्ति नहीं करेगी।

श्री लखन लाल कपूर ने सड़क का उल्लेख किया है। इस सड़क का निर्माण कार्य आपात-काल में आरम्भ किया गया था और हमने इस पर काफी बड़ी धनराशि व्यय की थी। परन्तु 1965-66 में इस बारे में धीमे चलने का निर्णय किया गया क्योंकि इस पर लगभग 70-73 करोड़ रुपये खर्च होने थे। फिर भी इस सड़क पर कार्य आरम्भ करने के लिये इस वर्ष उपबन्ध किया जा रहा है। इसके पूरे होने में कुछ समय अवश्य लगेगा क्योंकि इतनी अधिक राशि की व्यवस्था भी तो करनी है।

यह बात नहीं है कि मंत्रालयों के व्यय पर कोई नियंत्रण नहीं रखा जाता। हर संभव पूर्वोपाय करने के बावजूद यह स्थिति उत्पन्न हुई है। प्रक्रिया में और सुधार किया जा रहा है और प्रत्येक मंत्रालय में एक वित्त 'सेल' खोला जा रहा है। इस 'सेल' से लेखे वित्त विभाग के पास भेजे जायेंगे। वहां से लेखा परीक्षा के लिये और बाद में लोक-लेखा समिति के पास भेजे जायेंगे। हमें आशा है इससे स्थिति में सुधार होगा।

मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों को ध्यान में रखा जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1966-67 के लिये सामान्य आयव्ययक के सम्बन्ध में अतिरिक्त अनुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गई तथा स्वीकृत हुई :

The following Demands for Excess Grants in respect of the General Budget for the General Budget for the year 1966-67 were put and adopted :

मांग संख्या	शीर्षक		राशि
			रुपये
1	वाणिज्य मंत्रालय	...	65,740
8	रक्षा सेवायें—निष्क्रिय	...	9,40,225

मांग संख्या	शीर्षक		राशि
			रुपये
9	शिक्षा मंत्रालय	...	8,920
12	भारतीय सर्वेक्षण	...	30,834
13	वनस्पति सर्वेक्षण	...	53,517
14	प्राणि सर्वेक्षण	...	4,434
21	निगम कर आदि सहित आय सम्बन्धी कर	...	4,35,138
45	मंत्रिमण्डल	...	1,08,748
58	उद्योग मंत्रालय	...	69,886
62	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	...	96,567
63	प्रसारण	...	16,19,566
71	मुख्य खान निरीक्षक	...	25,052
77	विधि मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	...	80,344
78	खान और धातु मंत्रालय	...	27,653
85	पूर्ति और तकनीकी विकास मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	...	16,617
86	परिवहन और उड्डयन मंत्रालय	...	6,45,840
89	संचार (राजपथों सहित)	...	65,83,292
92	उड्डयन	...	6,16,166
94	निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्रालय	...	28,677
104	संचार विभाग का अन्य राजस्व व्यय	...	13,615
121	वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	...	1,79,07,352
130	सूचना और प्रसारण मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	...	3,25,978
137	सड़कों पर पूंजी परिव्यय	...	1,13,62,206
144	परमाणु शक्ति विभाग का पूंजी परिव्यय	...	9,03,244
145	डाक और तार विभाग पर पूंजी परिव्यय (राजस्व से नहीं)	...	2,98,23,395

विनियोग विधेयक, 1969

APPROPRIATION BILL, 1969

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं श्री मोरारजी देसाई की ओर से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1967 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर उन सेवाओं के लिये तथा उस वर्ष के लिये दी गई राशियों के अतिरिक्त व्यय की गई

राशियों को पूरा करने के लिये भारत की संचित निधि में से राशियों के विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि 31 मार्च, 1967 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर उन सेवाओं के लिये तथा उस वर्ष के लिये दी गई राशियों के अतिरिक्त व्यय की गई राशियों को पूरा करने के लिये भारत की संचित निधि में से राशियों के विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1967 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर उन सेवाओं के लिये तथा उस वर्ष के लिये दी गई राशियों के अतिरिक्त व्यय की गई राशियों को पूरा करने के लिये भारत की संचित निधि में से राशियों के विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1967 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर उन सेवाओं के लिये तथा उस वर्ष के लिये दी गई राशियों के अतिरिक्त व्यय की गई राशियों को पूरा करने के लिये भारत की संचित निधि में से राशियों के विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3, अनुसूची, खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 2 और 3, अनुसूची, खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 2 and 3, the schedule, clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री प्र० चं० सेठी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1966-67

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL), 1966-67

उपाध्यक्ष महोदय : सभा में अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) पर चर्चा होगी ।

वर्ष 1966-67 के लिये सामान्य आयव्ययक के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
5	1	श्री पी० विश्वम्भरन	सशस्त्र सेनाओं में निचले पदों पर काम करने वालों के वेतन-क्रमों, भत्तों तथा अन्य सुविधाओं में वृद्धि करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
54	2	श्री पी० विश्वम्भरन	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की किराया-खरीद योजना तथा प्रगति की अन्य गति-विधियों को सक्रिय बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
80	3	श्री पी० विश्वम्भरन	राष्ट्रीय राजपथ 47 को सुधारने की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
124	4	श्री पी० विश्वम्भरन	फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रांवन्कोर लिमिटेड में व्यर्थ व्यय और कुप्रशासन का अन्त करने की आवश्यकता।	100 रुपये
5	5	श्री कंवर लाल गुप्त	जवानों के विशेषकर उन जवानों के जो सीमाओं पर तैनात हैं, वेतन भत्ते बढ़ाने तथा उन्हें अधिक सुविधायें देने की आवश्यकता।	100 रुपये
54	6	श्री कंवर लाल गुप्त	दिल्ली स्थित उद्योगों को अधिक सुविधायें देने तथा दिल्ली को शुष्क पत्तन घोषित करने की आवश्यकता।	100 रुपये
80	7	श्री कंवर लाल गुप्त	दिल्ली में तथा इसके चारों ओर बड़ी सड़कों तथा राजपथों में सुधार करने की आवश्यकता।	100 रुपये
96	11	श्री मी० रु० मसानी	सरकार के उप-मुख्य सचेतकों के वेतन और भत्ते।	1,02,600 रुपये
3	12	श्री लोबो प्रभु	खादी तथा ग्रामोद्योग स्वत: विकसित नहीं हो सकते और वे करदाताओं पर बोझ हैं।	100 रुपये
5	13	श्री लोबो प्रभु	58.57 करोड़ रुपये के भारी व्यय का, विशेषकर उपकरण तथा स्टोर के बारे में, पूर्वानुमान लगाने में असफलता।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
13	14	श्री लोबो प्रभु	नित्यचर्या के व्यय का पूर्वानुमान लगाने में असफलता।	100 रुपये
18	15	श्री लोबो प्रभु	अतिरिक्त पदों में वृद्धि जबकि कार्य को सरल तथा युक्तिसंगत बनाये जाने के फलस्वरूप इनकी संख्या कम की जानी चाहिये।	100 रुपये
27	16	श्री लोबो प्रभु	दिये गये अनुदान में ग्रामीण सड़कों के बारे में योजना आयोग की नीति को कार्यान्वित करने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रु० कर दी जाये।
41	17	श्री लोबो प्रभु	सेना के व्यय में इसकी आधुनिक उपकरणों द्वारा कार्यकुशलता में सुधार किये बिना, 8.98 करोड़ रुपये की वृद्धि।	100 रुपये
52	18	श्री लोबो प्रभु	गुप्त सूचना विभाग द्वारा जानकारी देने में असफलता जिसके दिये जाने से भारी पैमाने पर हुए दंगे रोके जा सकते थे।	100 रुपये
53	19	श्री लोबो प्रभु	हीटरों पर किये गये 30,000 रुपये के व्यय के में अन्तर्निहित विलास।	100 रुपये
77	20	श्री लोबो प्रभु	हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स, जो उस लागत पर विमान नहीं बना सकते जिस पर कि वे विदेशों में बिकते हैं, द्वारा राज्य-सहायता लेते रहना।	राशि घटा कर 1 रु० कर दी जाये।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
79	21	श्री लोबो प्रभु	उन कर्मचारियों को सेवा में रखे रहना जिन्हें कि कर्मचारी निरीक्षण एकक ने फालतू माना था ।	100 रुपये
115	23	श्री लोबो प्रभु	साधारण खाद्यान्न के मूल्य कम करने में तथा विशेषकर समाहार मूल्य तथा राशन की दूकानों के मूल्यों में अन्तर कम करने में असफलता ।	100 रुपये
124	24	श्री लोबो प्रभु	औषध निगम, उर्वरक निगम तथा तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कारखानों की असफलता और विशेषकर तट से दूर समुद्र में ड्रिलिंग करने में विलम्ब ।	100 रुपये
125	25	श्री लोबो प्रभु	सिंगरेनी कोयला खानों का घाटे पर चलाया जाना ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये ।

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : संसद् कार्य विभाग के सम्बन्ध में अनुदान की अनुपूरक मांग में 1,02,600 रुपये कम कर दिये जायं, क्योंकि सरकारी उप-सचेतकों के वेतन तथा भत्तों को इस मांग में शामिल करना अनुचित है । यदि सरकार कुछ अपने समर्थकों को इस प्रकार वेतन आदि देना चाहती है तो उसे ऐसा कानून बनाकर के ही करना चाहिये । तथापि सरकारी मुख्य सचेतक को जो वेतन दिया जाता है वह उचित ही है क्योंकि सरकारी मुख्य सचेतक एक मंत्री होता है और वह सरकार का अंग होता है । अतः उनके वेतन को सरकार के राजस्व में से दिया जाना चाहिये । लेकिन उप-सचेतक सरकार के सदस्य न होकर किसी विशेष दल के पदाधिकारी होते हैं । उनका कर्त्तव्य यह सुनिश्चित करना होता है कि सत्तारूढ़ दल के बहुसंख्यक सदस्य सभा में उपस्थित रहें । अतः दल के पदाधिकारियों को जनता के कोष से रुपया देना आपत्तिजनक है । अतः सरकार को इस मांग को वापिस ले लेना चाहिये । इस सम्बन्ध में

कल ही माननीय वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया था कि सरकारी खर्च में यथासम्भव कमी करने का प्रयास किया जायेगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस दल के उप-सचेतकों को सरकारी कोष से वेतन देना अत्यावश्यक है और इसे रोका नहीं जा सकता। यह बिल्कुल अनुचित व्यय है और मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : मैं केवल मांग संख्या 24 और 17 के बारे में चर्चा करूंगा। जहां तक मांग संख्या 24 का सम्बन्ध है, सरकार ने पेंशनभोगियों के मामले में न्याय नहीं किया है। मूल्यों में वृद्धि को देखते हुए पेंशनभोगियों की पेंशन में वृद्धि की जानी चाहिए। सरकारी कर्मचारियों की तरह उन्हें भी चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिये। वास्तव में अन्य कर्मचारियों की तुलना में उन्हें चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं की अधिक आवश्यकता है क्योंकि वे अधिक आयु के हैं।

मांग संख्या 27 संघ राज्य क्षेत्र और राज्यों को दिये जाने वाले अनुदानों के बारे में है। चण्डीगढ़ की बजट सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने का पूर्ण दायित्व केन्द्रीय सरकार पर है। यद्यपि किराये और प्लाटों की बिक्री से इस राज्य क्षेत्र के राजस्व में वृद्धि हुई है तथापि चण्डीगढ़ प्रशासन को उसे खर्च करने की अनुमति ही नहीं दी जाती है। इस समय वहां पर 10,000 सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं जिनको अभी तक क्वार्टर अलाट नहीं किये गये हैं।

पंजाब और हरयाना के उन सरकारी कर्मचारियों को, जो चण्डीगढ़ में रह रहे हैं, व्यवसायिक कर देना पड़ता है जबकि पंजाब और हरयाना सरकार ने इस कर को समाप्त कर दिया है। इसको समाप्त करने के लिए बहुत बार मांग की गई लेकिन सरकार ने इसे अभी तक समाप्त नहीं किया है।

चण्डीगढ़ में किराये में वृद्धि और सरकारी कर्मचारियों की मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार को मकानों का निर्माण करना चाहिये या सरकार को सरकारी कर्मचारियों को प्लाट बेचने चाहिये।

सरकार ने बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं, सिंचाई और बिजली योजनाओं के लिये गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष कम धन राशि की व्यवस्था की है। यद्यपि राजस्व में वृद्धि हुई है फिर भी सार्वजनिक कार्यों के लिये कम धन की व्यजस्था की गई है। केन्द्रीय सरकार ने इस राज्यक्षेत्र के विकास के लिये धन के आंवटन में उदारता से काम नहीं लिया है।

चण्डीगढ़ के आसपास 36 गांव हैं जिनको चण्डीगढ़ से अभी तक नहीं जोड़ा गया है। सरकार इन गांवों तक पहुंचने के लिये सड़कें बनाने में असमर्थ रही है। यहां तक कि किसानों को, जिन्होंने अपने खर्चे पर नलकूप लगवाये हैं, बिजली के कनेक्शन नहीं दिये गये हैं। इसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन में कमी हो रही है। औद्योगिक उत्पादन में भी कमी हो रही है।

सरकार को चण्डीगढ़ की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये। चण्डीगढ़ के विकास के लिये उदारता से धन दिया जाना चाहिये। चण्डीगढ़ प्रशासन को उस द्वारा एकत्रित राजस्व को खर्च

करने की अनुमति दी जानी चाहिये । मकानों को बनाने की परियोजना को शीघ्र आरम्भ करना चाहिये ।

संसद-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : श्री मसानी की बात बिल्कुल गलत है कि दल के उप-सचेतकों को अनुचित तरीके से भुगतान किया जा रहा है। उप-सचेतक का पद निवारक अनर्हता अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत लाभपद है और इसलिये उप-सचेतक को सामान्य भत्ते के अतिरिक्त वेतन का भुगतान करना अनुचित नहीं है। ऐसा पिछले 14 वर्ष से होता आ रहा है। उन्हें गत 14 वर्ष से संसदीय सचिवों को प्राप्त होने वाली सुविधाएं ही जाती रही हैं। अभी तक इसका किसी ने विरोध नहीं किया। अब हम उन्हें केवल उप-मंत्री का दर्जा दे रहे हैं। इस सम्बन्ध में आपको याद होगा कि अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन में पारित किये गये संकल्प में मांग की गई थी कि उन्हें उपमंत्री का दर्जा दिया जाना चाहिये। सरकार ने अब जो कुछ किया है, वह विधि मंत्रालय की सलाह से किया है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): May I know whether Auditor General has raised some objection in this regard. I also submitted a Short Notice Question on this subject. but it has been rejected. In case objection has been raised by the Auditor General, there is no importance of Law Minister's opinion.

श्री रघुरमैया : आडिटर जनरल ने कहा था कि मुझे शक है कि तत्सम्बन्धी अधिनियम के अन्तर्गत उप-सचेतकों को संसद् सदस्यों के रूप में उपलब्ध पारिश्रमिक को स्थगित किया जा जा सके "अन्यथा मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि जैसाकि विधि मंत्रालय ने सलाह दी है, सरकार को वेतन का भुगतान करने का अधिकार है।"

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar): Political discrimination is being made in so far as budgetary allocations for Delhi are concerned.... **(Interruptions)**

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance had assured the Delhi Administration that the additional revenue which would be collected by it would be spent on Delhi itself. This was also recognised by the Planning Commission, the Ministry of Finance and the Home Ministry. We have collected four to five crores of additional revenue. But now the Central Government is of the opinion that that money cannot be given to Delhi. The Hon. Minister should not take a decision on political level. We want the Centre to be strong.

The Cow Protection Committee has not so far submitted its report.

There are some States in which cow slaughter is not prohibited. **(interruptions)**. This committee should be scrapped.

On the one hand the Prime Minister has stated that the defeated, dejected and frustrated politicians will not be appointed, on the other hand Shri C. Subramanian has been appointed as the Chairman of the Defence Committee on Aeronautics, He is being paid Rs. 850/- per month.

The wasteful expenditure should be checked and the money should be utilised for some useful purposes.

श्री पी० विश्वम्भरन् (त्रिवेन्द्रम): सरकार को अपने धन के व्यय में कमी करनी चाहिये तथा कम्पनियों के कार्य की पूरी जांच करनी चाहिए। माननीय मंत्री ने उल्लेख किया है कि

केरल में औद्योगिक क्षमता का केवल 60 प्रतिशत उत्पादन हो रहा है और इसके लिए केरल में बिजली की कमी का कारण बताया गया है, जो सच नहीं है। गत तीन वर्षों से केरल में बिजली की कमी नहीं है।

केन्द्रीय जांच विभाग के कुछ अधिकारियों ने फर्टीलाइजर एण्ड कैमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड के बारे में आरम्भिक जांच की थी लेकिन उन्हें ऐसा करने के लिए प्रोत्साहन नहीं दिया गया और आगे जांच करने की अनुमति नहीं दी गई। वर्ष 1960—68 की अवधि में इस फर्म द्वारा कमीशन एजेन्टों को 38 लाख रुपये से बढ़ाकर 40 लाख रुपया कमीशन के रूप में दिया गया। कमीशन में 900 प्रतिशत वृद्धि हुई है जबकि उत्पादन में केवल 400 प्रतिशत ही वृद्धि हुई है। सरकार को कमीशन के भुगतान के मामले में जांच करनी चाहिये।

जहां तक राष्ट्रीय राजपथ 47 का सम्बन्ध है, मुझे यह कहना है कि 235 मील में से केवल 74 मील के टुकड़े का विकास किया गया है। केन्द्रीय सरकार केवल विद्यमान सड़क को चौड़ी ही कर रही है उसने एक मील भी नई सड़क नहीं बनवाई है। हाल ही में जब संसद सदस्यों ने एरणाकुलम से त्रिवेन्द्रम तक दौरा किया था, तब उन्होंने इस सड़क को बहुत खराब बताया था। इस सड़क को राष्ट्रीय राजपथ के स्तर का नहीं कहा जा सकता। सरकार को इस सम्बन्ध में जांच करनी चाहिए।

Shri Gunanand Thakur (Saharsa): If the wasteful in Government offices particularly of Central Government had been stopped, there would have been no need for these Supplementary demands. The acceptance of the recommendations of the Administrative Reform Commission would also help in reducing the expenditure.

The political atmosphere of the country has changed after the General election. The relations between the Centre and the States are tense. Centre is adopting favourable attitude only towards Congress Governments in the States.

Centre has adopted double standards in respect of different States regarding amortisation of debts. The Central Government did not accept the request of the non-congress Government in Bihar to forego the loans due to the Centre, but it immediately accepted the same request made by the Congress Government when it came into power after the midterm election.

The Finance Commission, appointed under the chairmanship of Shri Mahavir Tyagi, has not submitted its report.

The Centre gives only 20 per cent of the amount raised by way of Central taxation to the States with the result that the States have to take loans from the Centre which are going on increasing.

Bharat Sewak Samaj has accepted money even from Pope Paul. A committee should be appointed to investigate into the matter.

In view of what has been stated above the Government should withdraw the supplementary demands for Grants.

Shri Jharkhande Rai (Ghosi): The construction of the road in question was not necessary. It was merely a wastage of public money.

The plight of the displaced persons from Bengal is still pitiable. No arrangements have so far been made to rehabilitate them.

The roads in U. P. are in very bad condition. No constructive steps have been taken to develop them. It is regretted that the report of the Patel Commission regarding the development of Kurmachal has been shelved. It should be implemented.

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : 339 करोड़ रुपये के खर्च के लिये केवल एक घंटे का समय देना पर्याप्त नहीं है। मैंने 14 कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। मैं उनको पढ़ना चाहूंगा ताकि सभा को स्थिति की गम्भीरता का भान हो जाये।

प्रतिरक्षा पर 58 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है। हम देश के लिये अच्छी सेना चाहते हैं। ऐसी सेना नहीं चाहते जो हमेशा धन की मांग करती रहे।

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के कार्य की जांच करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया जाना चाहिये। नौकरी दिलाने के नाम पर देश का धन इतनी बड़ी मात्रा में बरबाद नहीं किया जाना चाहिए। मंत्री महोदय मेरे कटौती प्रस्तावों पर ध्यान से विचार करें और देश को यह आश्वासन दें कि मांगा गया धन उचित प्रकार से खर्च किया जायेगा।

श्री सोनावने (पेंडरपुर) : उप-सचेतक मुख्य-सचेतक की सहायता करते हैं जिसे संसद में न केवल अपना कार्य ही बल्कि कुछ मंत्रालयों का भी कार्य करना पड़ता है। ये कांग्रेस दल के हितों की सुरक्षा करने के लिए नहीं हैं।

जब संसद सदस्यों की उपलब्धियों में वृद्धि किये जाने सम्बन्धी विधेयक संसद में प्रस्तुत हुआ था तो साम्यवादी और एस. ए. पी. के सदस्यों ने इसका विरोध किया था। लेकिन जब विधेयक अधिनियम बन गया तो सबसे पहले उन्होंने ही इसे स्वीकार किया।·· **(अन्तर्बाधाएं)**

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : चालू वित्तीय वर्ष में प्रस्तुत की गई ये अन्तिम अनुदानों की अनुपूरक मांगें है। उनमें से 64 विनियोग, 50 राजस्व और 14 पूंजी लेखा जिसमें केन्द्र द्वारा दिया गया ऋण और अग्रिम धन भी शामिल है।

श्री मसानी द्वारा उठाई गई आपत्ति का मेरे सहयोगी संसद कार्य मंत्री ने उत्तर दे दिया है।

मुझे विश्वास है कि चण्डीगढ़ को आवश्यक सहायता देने के बारे में और अधिक ध्यान दिया जायेगा।

दिल्ली की योजना के लिये इस वर्ष अतिरिक्त धन दिया गया है।

श्री सुब्रह्मणयम का मामला प्राक्कलन समिति के जांचाधीन है। मुझे विश्वास है कि प्राक्कलन समिति इस मामले में न्याय करेगी।

उर्वरक कम्पनी के खर्च में कमी करने के बारे में बोर्ड के निदेशक जांच कर रहे हैं और इस विशेष मामले की जांच के लिए वे एक समिति नियुक्ति कर रहे हैं। पेट्रोलियम तथा रसायन

मंत्री ने भी इस स्थान का निरीक्षण किया है। कारखाने का विस्तार हो रहा है और उर्वरकों के लागत मूल्य में कमी होने की आशा है।

बिजली की कमी है इसमें भी सुधार किया जायेगा।

यह कहना, कि केन्द्रीय सरकार राज्यों को उनकी आवश्यकतानुसार वित्तीय सहायता नहीं दे रही है, सच नहीं है। राज्यों पर 5,191 करोड़ रुपये के ऋण हैं। हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि इस बारे में और कठिनाई न हो।

इस समस्या के बारे में वित्त आयोग भी जांच कर रहा है। राज्यों को वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर ऋण दिया जाता है। वित्त आयोग राज्यों के राजस्व व्यय की भी जांच करता है।

इसके अतिरिक्त योजना आयोग भी राज्यों की विभिन्न परियोजनाओं की ओर ध्यान देता है। अतः यह कहना ठीक नहीं है कि राज्यों की उपेक्षा की जा रही है।

केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच आय का विभाजन वैधानिक आधार पर किया जाता है। अतः यह कहना ठीक नहीं है कि किसी राज्य विशेष या कांग्रेस राज्य या गैर-कांग्रेस राज्य के लिये अलग-अलग नीति अपनाई जाती है। उस समय इस सड़क पर 68 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान था अतः यह निश्चय किया गया कि हमें इस कार्य को धीरे-धीरे करना चाहिये। परन्तु अब एक समिति ने इस मामले की जांच की है और यह निर्णय किया गया है कि इस सड़क के लिये इस वर्ष 7 करोड़ रुपये दिये जायेंगे और आगामी वर्ष में 10 करोड़ रुपये दिये जायेंगे। इस सड़क के 1970-71 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

जहां तक प्रतिरक्षा पर खर्च का सम्बन्ध है, वह कुछ वर्गों के कर्मचारियों को अधिक वेतन तथा भत्ते देने के कारण अधिक दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने खर्च में 11.5 करोड़ रुपये की कमी भी की है, अतः प्रतिरक्षा सम्बन्धी खर्च में कुल 36.12 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।

ग्राम तथा खादी उद्योग बोर्ड बहुत आवश्यक है क्योंकि इससे बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है। यह ठीक है कि उसमें कुछ बुराइयां आ गई हैं जिनकी जांच की जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री मी० रु० मसानी का कटौती प्रस्ताव संख्या 11 मतदान के लिये रखता हूं।

[**श्री रा० ढो० भंडारे पीठासीन हुए**
Shri R. D. Bhandare in the Chair]

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 28 ; **विपक्ष में** 63

Ayes 28 ; Noes 63

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The Motion was negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा अन्य सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

All other Cut-Motions were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1968-69 के लिये निम्नलिखित अनुदानों की अनुपूरक मांगे (सामान्य) मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं

The following Supplementary Demands for Grants (General) were put and adopted

मांग संख्या	शीर्षक		राशि
1	2		3
1	वाणिज्य मंत्रालय	..	5,03,000
3	वाणिज्य मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	..	50,39,000
4	रक्षा मंत्रालय	..	1,00,000
5	रक्षा सेवाएं, सक्रिय	..	58,57,18,000
6	रक्षा सेवाएं, निष्क्रिय	..	1,75,00,000
7	शिक्षा मंत्रालय	..	2,31,000
8	शिक्षा मंत्रालय	..	2,000
13	विदेश मंत्रालय	..	42,00,000
14	विदेश मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	..	1,53,00,000
15	वित्त मंत्रालय	..	66,000
18	निगम कर आदि सहित आय पर कर	..	70,00,000
20	लेखा परीक्षा	..	60,00,000
21	मुद्रा और सिक्का ढलाई	..	48,50,000
23	कोलार की सोने की खानें	..	4,40,000
24	पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	..	58,73,000
27	राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायक अनुदान	..	54,76,00,000
30	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय	..	5,58,000

मांग संख्या	शीर्षक		राशि
1	2		3
34	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	..	11,42,000
35	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन, निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्रालय	..	4,52,000
38	गृह मंत्रालय	..	9,05,000
41	पुलिस	..	8,78,69,000
45	प्रादेशिक और राजनीतिक पेंशनें	..	2,41,000
46	दिल्ली	..	5,03,65,000
48	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	..	64,98,000
49	आदिम जाति क्षेत्र	..	41,71,000
52	गृह मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	..	1,000
53	औद्योगिक विकास और समवाय मंत्रालय	..	5,10,000
54	उद्योग	..	16,01,000
55	नमक	..	6,04,000
56	औद्योगिक विकास और समवाय मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	..	3,25,000
57	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	..	2,69,000
58	प्रसारण	..	62,66,000
60	सिंचाई और बिजली मंत्रालय	..	1,23,000
66	विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय	..	4,72,95,000
69	विधि मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	..	21,00,000
70	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय	..	40,000
72	इस्पात, खान और धातु मंत्रालय	..	1,73,000
75	पर्यटन और असैनिक उड्डयन मंत्रालय	..	81,000
76	ऋतु विज्ञान	..	1,000
77	उड्डयन	..	1,58,23,000

मांग संख्या	शीर्षक		राशि
1	2		3
79	परिवहन और जहाजरानी मंत्रालय	..	4,16,000
80	सड़कें	..	4,10,79,000
81	व्यापारिक समुद्री बेड़ा	..	12,57,000
84	निर्माण, आवास और पूर्ति मंत्रालय	..	2,25,000
85	लोक निर्माण कार्य	..	34,70,000
93	डाक और तार-कार्य चालन व्यय	..	3,87,07,000
96	संसदीय कार्य विभाग	..	1,94,000
110	पेंशनों का राशीकृत मूल्य	..	28,81,000
113	केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण और अग्रिम	..	80,00,00,000
115	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	..	3,48,00,000
119	औद्योगिक विकास और समवाय मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	..	20,00,000
121	बहुप्रयोजनी नदी योजनाओं का पूंजी परिव्यय	..	2,64,02,000
123	श्रम, नियोजन और पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	..	1,08,70,000
124	पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	..	4,63,63,000
125	इस्पात, खान और धातु मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	..	4,59,89,000
129	बन्दरगाहों पर पूंजी परिव्यय	..	1,30,06,000
130	परिवहन और जहाजरानी मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	..	24,75,000
132	लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	..	1,000
134	परमाणु शक्ति विभाग का पूंजी परिव्यय	..	1,000

विनियोग (संख्या 2) विधेयक—1969
APPROPRIATION (NO. 2) BILL—1969

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं श्री मोरारजी देसाई की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि भारत की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1968-69 की सेवाओं के लिये कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि भारत की संचिति निधि में से वित्तीय वर्ष 1968-69 की सेवाओं के लिए कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री प्र० चं० सेठी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

मैं श्री मोरारजी देसाई की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि भारत की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1968-69 की सेवाओं के लिये कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : It has been stated that an additional provision of Rs. 1.40 lakhs is required mainly to meet larger expenditure on travelling allowance, overtime allowance and honoraria due to increased activities of the Ministry. In this connection I want to know as to why the Government should not requisition the mill stocks including that held Benami and why the mills should not manufacture B twill bags and supply to the Government at controlled price when they were already manufacturing them prior to the price fixed by the Government ? I want the Hon'ble Minister to clarify it.

Besides I have been writing letters about Indo Nepal Trade but in spite of three reminders I have not received any reply. Nepal is reexporting our goods to other countries with the result that we are losing foreign exchange. But our Foreign Trade Ministry is not taking any action in this regard.

There is enhanced provision to improve the working of Central Board of Excise and Customs. But the fact is that its efficiency is deteriorating day by day. In 1966 there was a case against Bird and Company in which Rupees one crore and thirty-forty lakhs were involved. Custom authorities had decided that Bird and Company would have to pay heavy penalty. After the Company filed an appeal, I wrote to the Prime Minister in 1966, that the said company had purchased our officers and the result would be that Rs. 1 crore would be written off on that appeal and the same thing happened. We approached Shri Morarji Desai and he promised that he would take action against each and every officer found responsible for these corrupt practices. But nothing has so far been done against them.

Same thing happened when an aircraft of B. O. A. C. carrying contraband gold was seized. The customs officers decided to confiscate the gold as well as the aircraft.

[श्री रा० डो० भण्डारे पीठासीन हुये
Shri R. D. Bhandare in the Chair]

I wrote to the Prime Minister that Shri Anand and other corrupt officials would repeat the same story of Bird and Company. Accordingly it is now understood that these officers have now released the aircraft as well as the gold after accepting bribe and under the pressure of Britishers. This shows that even now the Government submits to the wishes of British people.

Now Shipping Department is asking for more money. According to an agreement between brokers and shipping Agents of India and other countries it was decided that the 1.25 percent commission which they were getting would be divided. India is entitled to 50 per cent commission and that also in the form of foreign exchange but in practice India is not being given 50 percent of the commission. The things which had happened in the case of Mr Teja are being repeated in this case of brokers and shipping Agents also. A company known as the "International chartering service Incorporated" have a business of Rs. 4 crores and if our commission is reduced by 10 percent that amounts to a loss of Rs. 80 lakhs in foreign exchange. Instead of enhancing land revenue and laying excise duty on fertilizers and pumping sets we should put an end to the loss of such foreign exchange and tax evasion.

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : It has correctly been stated that many things are being smuggled into India from Nepal and similarly many goods are being smuggled from India into Nepal. In this way an illegal trade is going on. The Government should take steps to stop it as the regular trade is being affected by it. There should be strict vigilance on the Nepal border.

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : मेरी शिकायत यह है कि यह मंत्रालय निर्यात बढ़ाने के बारे में अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है। तम्बाकू के निर्यात के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं की जा रही है। तम्बाकू खरीदने वालों में पश्चिम योरुप से आई० एल० टी० डी० और इंग्लैण्ड हैं और दूसरी ओर रूस है। हमारा विचार था कि ये देश राज्य व्यापार निगम के माध्यम से तम्बाकू खरीदेंगे। परन्तु उन्होंने ऐसे तरीके अपनाये कि हमारे देश के लोगों का आपस में मुकाबला होने लगा है। सरकार को तम्बाकू उत्पादकों की सहायता करनी चाहिये। इस सम्बन्ध में मैंने रचनात्मक सुझाव दिया था कि सरकार को राज्य व्यापार निगम, रिजर्व बैंक आफ इंडिया तथा भाण्डागार निगम आदि की सेवाओं का उपयोग करके तम्बाकू के जमा भण्डार को अपने नियंत्रण में ले लेना चाहिये। सरकार को दुकानदारों तथा किसानों को ऋण देना चाहिये जिससे उन्हें कोई कठिनाई न हो। मैं चाहता हूं कि सरकार इस मामले की ओर विशेषरूप से ध्यान दे जिससे तम्बाकू के निर्यात में वृद्धि हो।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : I want to point out that our Ambassadors and high commissioners in foreign countries are not presenting true image of India. They just attend parties and functions and do nothing else. Recently a person who had been sent to U. N. O. want to see Mr. Dharam Teja. I want to know the capacity in which he went to see Mr. Teja ? I also want to know as to what has happened to Mr. Teja ? Is it a fact that

a retired Army officer who is an Ambassador in a foreign country, has sought permission to marry a girl of 24 years age in the country in which he is an ambassador ?

I may also point out that there is wide disparity in the facilities provided to the officers and other ranks of army. I would request the Government to reduce this disparity to the minimum.

In the end I would suggest that concrete and specific steps should be taken to rehabilitate ex-servicemen in order to avoid any discontentment among them. A commission should be appointed to go into the question of rehabilitation of ex-servicemen.

श्री प्र० चं० सेठी : श्री मधु लिमये ने बर्ड एण्ड कम्पनी का मामला उठाया था परन्तु वह सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है। अत: हम इस सम्बन्ध में उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय किये जाने तक कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। बी० ओ० ए० सी० के मामले का ब्योरा देना मेरे लिये सम्भव नहीं है। इस सम्बन्ध में एक अल्प सूचना प्रश्न है, उसका उत्तर देते हुये हम इस बात का उत्तर देंगे।

चार्टरिंग संगठन के बारे में मुझे यह कहना है कि दिल्ली में उनके द्वारा ब्रोकर नियुक्त नहीं किये जाते। उन्हें विदेशी ब्रोकर स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करते हैं और उनका जो कमीशन होता है वह सम्बन्धित फर्मों को दे दिया जाता है।

Shri Madhu Limaye : My question was different. We should get foreign exchange. It is the responsibility of Reserve Bank and shipping Department. (**Interruptions**)

सभापति महोदय : मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं। आप अपने स्थान पर बैठ जाइये।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : He should behave like a gentleman.

Shri Madhu Limaye :***

श्री रणधीर सिंह : यह क्या है*** मैं आपके माध्यम से इन्हें चेतावनी देता हूं।

Shri Madhu Limaye : Who cares for his warning ***

श्री रणधीर सिंह : ***

Shri Madhu Limaye : I am asking the Hon'ble Minister and not him.

Shri Randhir Singh : ...... What is this ?...... (**Interruptions**)

श्री मधु लिमये : ***

Shri Randhir Singh : He behaved like this in future.***

सभापति महोदय : आप सुनते क्यों नहीं हैं ?

श्री रणधीर सिंह : ***

श्री नन्दकुमार सोमानी (नागौर) : बहुत भद्दे शब्दों का प्रयोग किया गया है। उन्हें कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल देना चाहिये।

सभापति महोदय : हम कार्यवाही वृत्तान्त देखकर आवश्यक कार्यवाही करेंगे। और जो कुछ कार्यवाही वृतान्त से निकालना होगा निकाल देंगे।

Shri Randhir Singh : They feel greatness by abusing the Ministers***

*** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया। देखिये पृष्ठ संख्या··153····।

***Expunged as ordered by the Chair **vide** page ..153......

श्री प्र० चं० सेठी : मेरे पास जो जानकारी थी वह मैंने दे दी है। परन्तु यदि माननीय सदस्य उस पत्र का हवाला दे रहे हों जो उन्होंने प्रधान मंत्री तथा उप-प्रधान मंत्री को भेजा है तो उस पत्र पर विचार किया जा रहा है।

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय जो बी० ट्विलस का सबसे बड़ा खरीदार है, उन्हें खुले बाजार से न खरीद कर नियंत्रित मूल्य पर खरीदता है।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : There should be some connection. It is the responsibility of Members as well as the Chair. This is an august House and if abuses are hurld and unparliamentary language is used then what would be the difference between a Panchayat of a village and the Parliament?

श्री द्वैपायन सेन (कटवा) : श्री मधु लिमये ने कहा था***

Shri Madhu Limaye : I object to it. I have demanded reply to my question and nothing else.

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक भारत-नेपाल समझौते का सम्बन्ध है, हम सीमाशुल्क (संशोधन) विधेयक पर चर्चा करते समय इस सम्बन्ध में ब्योरेवार विचार करेंगे।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1968-69 की सेवाओं के लिए कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2 और 3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 2 and 3, the Schedule, Clause I, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री प्र० चं० सेठी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

*** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया। देखिये पृष्ठ संख्या···153······।

***Expunged as ordered by the Chair **vide** page No. ..153....

**बोकारो इस्पात परियोजना का पूरा किया जाना
**COMPLETION OF BOKARO STEEL PROJECT

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर) : बोकारो इस्पात कारखाने की स्थापना में बहुत विलम्ब हो रहा है। मेरे विचार में विलम्ब के दो कारण हैं—एक यह कि रूस यह नहीं चाहता कि भारत तीव्रगति से विकास करे और दूसरा यह कि वह भारत पर निरन्तर दबाव डाले रखना चाहता है जिससे भारत उनकी इच्छानुसार कार्य करे। रूस इन दोनों प्रयोजनों में सफल रहा है। रेलवे के माल डिब्बों का रूस के साथ जो सौदा हुआ था वह अभी तक पूरा नहीं हुआ। इस सौदे में 9 महीनों का विलम्ब हुआ है। क्या रूस द्वारा हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन को दिये जाने वाले उपकरणों की सप्लाई की कोई तिथि निर्धारित की गई है ? क्या यह सच नहीं है कि रूस द्वारा सप्लाई किये जाने वाले उपकरणों के मूल्य के बारे में हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन और बोकारो इस्पात कारखाने के प्रबन्धकों के बीच मतभेद है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या किया जा रहा है ? मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या कारखाने की स्थापना में विलम्ब होने से कुछ हानि होगी, और यदि हां, तो कितनी ? क्या आधारभूत कलपुर्जों के पहुंचने में भी कुछ विलम्ब हुआ था और क्या इस कार्य के लिये हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन का एक प्रतिनिधिमण्डल रूस गया था परन्तु वहां कोई समझौता नहीं हो सका था और यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

क्या यह सच है कि प्रबन्धक निदेशक ने उसके करार की अवधि समाप्त होने के बाद एक और पदावधि के लिये काम करने से इन्कार कर दिया है ? यदि इस्पात मंत्रालय के सचिव को बोकारो इस्पात कारखाना देखने के लिये बार-बार जाना पड़ेगा तो क्या इससे अन्य कार्यों में बाधा नहीं पड़ेगी ? रूस ने इस परियोजना से सम्बन्धित योजना को एक-एक करके भेजने की बजाये गत वर्ष 31 मार्च को सभी योजनाएं भेज दीं जिससे उन्हें छांटने में ही आठ महीने लग गये। अभी पता नहीं कितना समय और लगेगा। पहले सरकार किसी अन्य को यह कार्य सौंपना नहीं चाहती थी। अमरीका और जापान ने प्रस्ताव किये थे……

श्री ओंकार लाल बेरवा (कोटा) : सभा में गणपूर्ति नहीं है।

सभापति महोदय : घण्टी बजनी बन्द हो गई है। गणपूर्ति नहीं है। कल ग्यारह बजे तक के लिये सभा स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 20 मार्च, 1969/29 फाल्गुन, 1890 (शक) के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, the 20th March, 1969/Phalguna 29, 1890 (Saka)

Tej Kumar Press, Lucknow. 2-7-69—600.

**आधे घन्टे की चर्चा
**Half-an-hour discussion